राजस्थान विधान सभा

आठवीं बैठक, सोमवार–१५ मार्च, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २१७

पालड़ी बड़ी, तहसील मेड़ता, में सरकारी अध्यापक

श्री भोपालसिंह (वि० सं० २०)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पालड़ी बड़ी तहसील मेड़ता में सरकारी मास्टर भेजने से पहले इस स्कूल में लड़कों की कितनी संख्या थी ?

(ख) अब सरकारी मास्टर भेजने से कितनी (संख्या) है ?

श्री शिक्षा मन्त्री (श्री भोलानाथ)—(क) पालड़ी बड़ी, तहसील मेड़ता, में राजकीय पाठशाला के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राइवेट पोशाल थी जिसकी छात्र-उपस्थिति का अनुमान लगाना कठिन है ।

(ख) अब २५ लड़के पढ़ते हैं ।

श्री भोपालसिंह—क्या पिछले साल इसी सदन में यह जवाब नहीं दिया गया था कि इसमें १५० लड़के हैं ।

(अश्रव्य होने के कारण)

श्री अध्यक्ष—क्या पहले यह जवाब दिया गया था कि वहाँ १५० लड़के हैं ?

श्री भोलानाथ—पहले सवाल पूछा नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या जवाब दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही नहीं है कि पाठशालाओं में गवर्नमेंट की तरफ से जो टीचर्स भेजे गये हैं वे इनएफिशियन्ट (inefficient) साबित हो रहे हैं और इस कारण छात्रों की संख्या क्रमशः घटती जा रही है ।

श्री भोलानाथ—नहीं ।

श्री भोपालसिंह—यह संख्या जो कम हो रही है इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजना पसन्द नहीं करते होंगे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भोपालसिंह ।

श्री भोपालसिंह—क्या वहाँ सरकार दूसरा मास्टर भेजने की कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ—छात्रों की संख्या को देखते हुए अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भोपालसिंह—पहले छात्रों की संख्या १५० थी और अब २५ रह गई है ।

श्री भोलानाथ—अगर छात्रों की संख्या ५० तक पहुँचेगी, तो उसके बाद में विचार किया जा सकता है ।

श्री भोपालसिंह—क्या छात्रों की संख्या १५० से २५ रह गई है, तो दूसरा मास्टर भेजने की कृपा की जायगी ?

श्री भोलानाथ—जब तक यह संख्या रहेगी यह सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—उस मास्टर की क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ?

श्री भोलानाथ—फिर सवाल पूछिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भोपालसिंह ।

प्रश्न संख्या २१८

मेड़ता हाई स्कूल में विज्ञान का विषय

श्री भोपालसिंह (वि० सं० २०)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या मेड़ता हाई स्कूल में साइन्स का विषय है ?

(ख) वहाँ पर साइन्स का क्या-क्या सामान है ?

[श्री भोपालसिंह]

(ग) क्या अब साइन्स का सामान उचित मात्रा में भेजा जावेगा ?

श्री शिक्षा मन्त्री (श्री भोलानाथ)—(क) हाँ। सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है, परन्तु एच्छिक विषयों में विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जाता।

(ख) आवश्यक सामान मौजूद है।

(ग) नहीं।

श्री भोपालसिंह—क्या वहाँ साइन्स की क्लास खोलने की कृपा की जायगी ?

श्री भोलानाथ—विचार कर सकते हैं।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)— क्या वहाँ के हैडमास्टर ने साइन्स के एपेरेटस की कमी के बारे में सरकार को कुछ लिखा है ?

श्री भोलानाथ—सामान्य विज्ञान के लिए एपेरेटस काफी हैं।

श्री भैंरूसिंह—उनकी कमी के बारे में सरकार को लिखा है ?

श्री भोलानाथ—कमी का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भैंरूसिह (वि० सं० १६)—क्या यह सही है कि वहाँ के हैडमास्टर साहब उसकी कमी महसूस करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१६

सन् १६५३ ई० में राजस्थान में दलितों की भूमि से बेदखली

श्री लालूराम—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ५३ में राजस्थान के दलितों को जमीन से बेदखल करने का क्या कारण था और आज तक कितने दलितों को जमीन से बेदखल किया गया ?

(ख) जिला टोंक में आज तक कितने दलित कितनी-कितनी जमीन से बेदखल किये गये ?

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और आगे क्या करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) सन् १९५३ में कोटा, जोधपुर और उदयपुर डिवीजनों में किसी दलित को बेदखल करने का मामला पेश नहीं हुआ है। जयपुर डिवीजन में कुछ ऐसी शिकायतें थीं और उन मामलों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) जिला टोंक से इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सदन के समक्ष पेश कर दी जायगी।

(ग) ऐसे मामलों पर प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न संख्या २२०

उदयपुर डिवीजन की तहसीलों में पैमाइश तथा बन्दोबस्त कार्य

श्री जगतसिंह झाला (वि० सं० ६४)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) उदयपुर डिविजन की कौन-कौन सी तहसीलों में अभी तक पैमाइश होना बाकी है ?

(आ) सरकार इनमें बन्दोबस्त का कार्य कब तक शुरू करने का विचार रखती है ?

(इ) जहाँ बन्दोबस्त हुए २५-३० साल हो गए हैं वहाँ का रिवीजन कराने के विषय में सरकार का क्या विचार है और यह कार्य कब व कौन-कौन सी तहसीलों में शुरू किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अ) वल्लभनगर, कोटड़ा और खेरवाड़ा तहसीलों में।

(आ) इन तीनों तहसीलों में पैमायश का काम इस साल शुरू हो जायगा।

(इ) उदयपुर डिवीजन में बन्दोबस्त का काम शीघ्र ही शुरू हो जावेगा। डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा और चित्तौड़ की तहसीलों में पहले-पहले सेटलमेंट का काम शुरू हो जायगा।

प्रश्न संख्या २२१

अप्रेल १९५१ के पश्चात् भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड की मिसलें

श्री तेजमल बापना—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड से अप्रेल १९५१ के बाद अब तक कितनी मिसलें कब-कब बरामदे वगैरह की स्वीकृति के लिये आपके यहाँ भेजी गई थीं ?

(ख) उनमें से कितनी मिसलें कब-कब स्वीकृत हो गई ?

Page No.5

[श्री तेजमल बापना]

(ग) कितनी मिसलें अब पेंडिंग हैं और वे कब से आई हुई हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि कई मिसलें तीन वर्ष होने पर भी स्वीकृत नहीं हुई हैं। यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) लगभग ४२, इनमें से सन् ५३ में लगभग १५ और सन् ५२ में लगभग २७।

(ख) १६ सन् १६५२ में और ११ सन् १६५३ में।

(ग) ११ मिसलें सन् १६५३ से आई हुई पेंडिंग हैं। अभी तहकीकात पूरी नहीं हो पाई है।

(घ) यह मिस्ल की हालत पर मुनस्सर है।

प्रश्न संख्या २२२

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी—इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, श्री गुरुदयालसिंह के प्रश्न का।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—जवाब दे सकते हैं या ले सकते हैं।

(हँसी)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२३

मेड़ता हाई स्कूल में टाइप की मशीनें

श्री भोपालसिंह (वि० सं० २०)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) मेड़ता हाई स्कूल में टाइप की मशीनें कितनी हैं ?

(ख) क्या यह मशीनें क्लास के लिये काफी हैं ?

Page No.6

[श्री भोपालसिंह]

(ग) क्या मशीनें कम होने से लड़के पूरी प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं ?

(घ) क्या अब ५ मशीनें और खरीद कर देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) इस समय मेड़ता हाई स्कूल में चार टाइप की मशीनें हैं।

(ख) कुछ कम हैं, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार कर दी जाती है कि कमी महसूस नहीं होती है ।

(ग) टाइप अध्यापक का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाता है कि जिससे कोई भी विद्यार्थी बेकार नहीं रहता ।

(घ) विचार किया जायेगा ।

श्री भोपालसिंह—क्या हैडमास्टर ने इनकी कमी महसूस नहीं की है ?

श्री भोलानाथ—की है ।

श्री खेतसिंह—अब जब कि हिन्दी ऑफिशियल लेंग्वेज हो रही है, तो क्या सरकार हिन्दी के टाइप राइटर्स स्कूलों में प्रयोग में लाने के लिये कुछ सोच रही है ?

श्री भोलानाथ—अभी ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या २२४

सन् १९५४-५५ में माध्यमिक पाठशालाओं को हाई स्कूल बनाने की योजना

श्री खेतसिंह--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् १९५४-५५ में राजस्थान सरकार कितनी माध्यमिक पाठशालाओं को हाई स्कूल बनाने की योजना रखती है ?

(ख) क्या शेरगढ़ तहसील में भी उपर्युक्त योजना के मातहत किसी माध्यमिक पाठशाला को हाई स्कूल बनाने की तजवीज है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ।

[श्री भोलानथ]

(ख) इस विषय में सरकार का निर्णय होने के बाद ही शेरगढ़ तहसील में किसी माध्यमिक पाठशाला को हाई स्कूल बनाने के प्रश्न पर अन्य ऐसे ही दूसरे स्कूलों के प्रश्न के साथ आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार विचार किया जायेगा।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि वहाँ १ लाख १६ हजार की जनता के लिये एक भी हाई स्कूल नहीं है ?

श्री भोलानाथ--जी हाँ, मालूम है।

श्री खेतसिंह—तो फिर क्यों सरकार कुछ नहीं सोच रही है ?

श्री भोलानाथ—अवश्य सोच रही है।

श्री खेतसिंह—हाई स्कूल खोलने के मुत्तलिक सोच रही है या केवल योजना बनाने के बारे में ही सोच रही है।

श्री भोलानाथ—इसका जवाब प्रश्न के (ख) भाग में दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या २२५

भीम-तहसील की पाठशालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तर

श्री संग्रामसिंह (वि. सं. १३४)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि भीम तहसील की पाठशालाओं के स्थानीय अध्यापकों का तबादला काफी अर्से से नहीं किया गया ?

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ---इनके तबादले की आवश्यकता नहीं समझी गई, इसलिये नहीं किया गया।

(ख) ख का जवाब (क) में आ जाता है।

प्रश्न संख्या २२६

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२७

श्री अध्यक्ष—श्री छतरसिंह

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२८

भानपुर में झालावाड़ रोड का टैक्स

श्री जगतसिंह झाला—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या यह सच है कि भानपुर में झालावाड़ रोड का टैक्स ज्यादा होने के कारण मोटरों वाले बजाय स्टेशन के यात्रियों को मध्य भारत की सीमा में उतारते हैं, जिसके कारण यात्रियों को सामान लेकर स्टेशन पर आने में बड़ा कष्ट होता है ?

(आ) क्या सरकार इस पर विचार कर यात्रियों के कष्ट को मिटाने का हल निकालेगी ?

(इ) यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री) (अ)—राजस्थान व मध्य भारत के मोटर टैक्स कानून के अनुसार राजस्थान की ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों को, जब वे मध्य भारत में जाती हैं तो मध्य भारत का टैक्स भी देना पड़ता है और इसी प्रकार जब मध्य भारत की ट्रान्सपोर्ट गाड़ियाँ राजस्थान में आती हैं, तो उनको राजस्थान का टैक्स भी देना पड़ता है। रेसीप्रोकल एरेन्जमेंट तय करने के लिये राजस्थान मध्य भारत के यातायात अधिकारियों की एक मीटिंग तारीख १५ व १६ जून, १९५१ को जयपुर में हुई थी। इस मीटिंग में यह तजवीज किया गया कि ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों का टैक्स एक ही स्टेट से लिया जाना चाहिए और दूसरी स्टेट को बगैर टैक्स लिये बस को अपनी स्टेट में चलाने की आज्ञा दे देनी चाहिये। राजस्थान सरकार ने इस तजवीज को मन्जूर कर लिया है। परन्तु, मध्य भारत ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। जब तक मध्य भारत सरकार इस तजवीज को मन्जूर नहीं कर लेती, दोनों स्टेटों में टैक्स लेने की प्रथा जारी रहेगी।

इस सम्बन्ध में फासले का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे एक फर्लाङ्ग ही क्यों न हो। जब मध्य भारत सरकार अपनी स्वीकृति, रेसिप्रोकल एरेंजमेंट पर देगी, तब मध्य भारत की गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं लिया जायगा।

(अ) हाँ। इस विषय में कोई ओफिशियल सूचना या शिकायत नहीं है। इस प्रश्न के आने पर जाँच की गई तो यह पता चला है कि मध्य भारत के बस वाले यात्रियों को बजाय स्टेशन तक आने के अपनी सीमा पर उतार देते हैं।

[redacted]

[श्री रामकरण जोशी]

(इ) अवश्य ।

(ई) मध्य भारत सरकार से बातचीत तय होने पर ही ऐसा होना संभव है।

प्रश्न संख्या २२९

परबतसर की ग्राम पंचायतों को पेय जल के हेतु सहायतार्थ रुपया

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगेः—

(अ) पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिये परबतसर तहसील की ग्राम पंचायतों को इस वर्ष कितना रुपया सहायतार्थ दिया गया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—५६, ८५०) रु०

श्री चाँदमल मेहता—जितनी रकम स्वीकार की गई, क्या वह सब अदा कर दी गई है ?

श्री रामकरण जोशी—जी हाँ ।

प्रश्न संख्या २३०

बाँसवाड़ा जिले में गत दो वर्षों में अधूरे शिक्षा-भवन निर्माण-हेतु रकम की सहायता

श्री धूलजीभाई भवसार—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बाँसवाड़ा जिले में गत दो वर्षों में अधूरे शिक्षा भवन निर्माण हेतु कितनी रकम सहायतार्थ खर्च की गई है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—अधूरे भवन निर्माण के लिए कोई रकम नहीं दी गई और न कोई सहायता ही दी गई; क्योंकि इसके लिये बेजट में कोई रकम नहीं थी।

श्री धूलजीभाई—क्या मन्त्री महोदय अधूरे भवन को पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री भोलानाथ—जरूर ।

Page No.10

प्रश्न संख्या २३१

तहसीलगढ़ी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के बैठने के कमरे एवं साधन

श्री धूलजीभाई--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील गढ़ी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के बैठने के कमरे एवं साधन पूरे हैं ?

श्री भोलानाथ—हाँ।

श्री धूलजी भाई--वहाँ पर कमरे पूरे हैं तो क्या वहाँ ऐसी बात हुई है कि वहाँ की हाई स्कूल को युनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा नोटिस मिला है कि कमरे पूरे न होने से हाई स्कूल हटा ली जाय, क्या यह बात सही है ?

श्री भोलानाथ—इस समय वहाँ पर ४ बड़े कमरे हैं जिनमें बड़ी क्लासेज पढ़ाई जाती हैं, ये कमरे १८×१५ के हैं। चार कमरे १२×१४ के हैं और कुछ ११×१० के हैं। इनसे काम चल सकता है।

श्री हरिदेव जोशी--जब कमरे पूरे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी ने उनको नोटिस क्यों दिया ?

श्री भोलानाथ--वहाँ पर कमरे और साधन पूरे हैं।

श्री हरिदेव जोशी--जब आप फरमा रहे हैं कि साधन पूरे हैं तो फिर युनिवर्सिटी ने उनको नोटिस क्यों दिया ?

श्री भोलानाथ—इस समय के लिए साधन और कमरे काफी हैं।

श्री हरिदेव जोशी--क्या युनिवर्सिटी ने आज के लिए नोटिस दिया है या भविष्य के लिए ?

श्री भोलानाथ—शायद भविष्य के लिए दिया होगा।

प्रश्न संख्या २३२

बाँसवाड़ा शहर की कन्या पाठशाला का कन्या हाई स्कूल में परिवर्तन

श्री धूलजीभाई—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे-

क्या बाँसवाड़ा शहर की कन्या पाठशाला को कन्या हाई स्कूल में परिवर्तन करने का राज्य सरकार इस वर्ष इरादा रखती है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)...नहीं।

श्री धूलजी भाई—क्या आधुनिक कन्या पाठशालाओं में जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनको हाई स्कूल तक पढ़ाना सरकार उचित नहीं समझती ?

श्री भोलानाथ—जी नहीं। लड़कियों को लिखाना-पढ़ाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!! Reply is there. No arguments.

श्री हिम्मतसिंह—Why ?

प्रश्न संख्या २३३

सांवतसर ग्राम में बारानी जमीन का लगान
तथा सेटलमेंट की रेट

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

सांवतसर ग्राम में बारानी जमीन का लगान सेटिलमेंट होने के पहले क्या लिया जाता था और सेटिलमेंट में क्या रेट मुकर्रर हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—पैमाइश होने के पूर्व साँवतसर गाँव में बारानी जमीन का लगान आठ आना फी बीघा कायम था और पैमायश होने के बाद अव्वल किस्म की जमीन का लगान १० आ० और दोयम का ७ आ० और तृतीय श्रेणी का ५ आ० फी बीघा कायम किया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि पहले जिसका लगान ८ आ० फी बीघा था उसका लगान अब १० आना फी बीघा कर दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह भी सही है कि पहले जिसका लगान ५ आना था उसका भी १० आना फी बीघा कर दिया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सांवतसर गांव के निवासियों ने लगान कम करने की मांग की थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माँग पर विचार किया गया और बाद में अन्तिम रेट कायम की गई।

प्रश्न संख्या २३४

सरवाड़ तहसील में जागीरदारों के गाँवों में किसानों पर दोहरा लगान

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

[श्री चाँदमल मेहता]

क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि सरवाड़ तहसील में जागीरदारों के गाँवों में सेटलमेंट के रेकार्ड में कूए जागीरदार के नाम व उनकी जमीनें किसानों के नाम दर्ज हैं जिससे किसान को दोहरा लगान देना पड़ता है। नकदी लगान सरकार वसूल करती है व पानी का मुआवजा जागीरदार वसूल करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--हाँ।

श्री चाँदमल मेहता--इस तरह के दोहरे कर से किसानों को बचाने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री चाँदमल मेहता--कब तक तय हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इस बारे में मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता; क्योंकि कुछ कूए जागीरदारों के बनाये हुए हैं इसलिये उनके नाम लिख दिये गये हैं, लेकिन यह तय कर दिया गया है कि पानी किसानों को मिलता रहेगा।

श्री चाँदमल मेहता--क्या पानी के मुआवजे के तौर पर बारानी जमीन के माफिक लगान लेने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यदि इस तरह की कोई माँग आयेगी तो विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २३५

श्री अध्यक्ष--श्री हरिशंकर शिद्धान्त शास्त्री।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३६

इलाका करनपुर में पाँच गाँवों में कूए बनाने के लिए रकम

श्री धर्मचन्द्र--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

क्या यह सही है कि इलाके करनपुर में पाँच गाँवों को फी गाँव १ हजार रुपया कूए बनाने को दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—यह स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से सम्बन्धित था और वहाँ से परसों हमारे पास आया। वे प्रश्न नहीं समझ सके कि आपका मतलब सिंचाई से है या पीने के पानी के लिये कूओं से है ?

श्री धर्मचन्द्र—पीने के लिए पानी से मतलब है।

श्री मोहनलालसुखाड़िया—तब यह प्रश्न मुझसे सम्बन्धित नहीं है।

एक सदस्य—क्या यह जिससे सम्बन्धित है वे ही इसका उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—He wants to know to whom does it relate.

श्री रामकरण जोशी—पीने के पानी से ताल्लुक है, तब यह म्युनिसिपेलिटी से सम्बन्धित है। लेकिन, आपके प्रश्न में यह नहीं लिखा था कि पीने के पानी से सम्बन्धित है, इसलिये इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—Then I postpone it. On the next turn you will be supplied a reply.

प्रश्न संख्या २३७

बांसवाड़ा जिले में कई जगहों पर एवं देहातों में मिडिल स्कूल व छात्रावास की माँग

श्री धूलजीभाई—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बांसवाड़ा जिले में कई जगहों पर एवं देहातों में मिडिल स्कूल व छात्रावास की माँगे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसकी पूर्ति करने की सरकार इस वर्ष इरादा रखती है ?

श्री भोलानाथ—इस तरह की अन्य स्थानों की माँगों के साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या २३८

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३९

बालिका पाठशाला बीदासर के मेहतर को वेतन न मिलना

श्री प्रतापसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

(अ) क्या इस हाउस में ता० २६.२.५३ को प्रश्न नं० ४०३ के उत्तर में आश्वासन मिलने पर भी गर्ल्स स्कूल बीदासर के स्वीपर को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है ?

[श्री प्रतापसिंह]

(आ) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इसी वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी ?

(इ) क्या अब सरकार उसे जल्द से जल्द तनख्वाह दिलाने की कृपा करेगी ?

(ई) जिन सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनके खिलाफ क्या उचित कार्यवाही होगी ?

श्री भोलानाथ—(अ) मिल गई है ।

(आ) नहीं ।

(इ) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री धर्मचन्द्र—पीछे की सारी तनख्वाह मिल गई है या कम ?

श्री भोलानाथ--सब मिल गई है ।

श्री धर्मचन्द्र—किस तारीख को मिल गई ?

श्री भोलानाथ--तारीख मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री जवानसिंह—क्या यह प्रश्न का अंग नहीं है ?

श्री भोलानाथ—प्रश्न यह था कि उसको वेतन जो बन्द था वह मिल गया या नहीं ? उसको ६ रुपया महावार मिलते थे, वह मिल गये । अब इस प्रश्न का महत्त्व नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह— क्या ऐसेम्बली की बैठक शुरू होने से पहले मिल गये ?

श्री अध्यक्ष— Your purpose is served.

प्रश्न संख्या २४० तथा २४१

श्री अध्यक्ष—श्री कँवरलाल जेलिया ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४२

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुखर्जी ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४३

बिलाड़ा, भावी पीपाड़ सीटी, और भोपालगढ़ के मार्गों में कोलटार

श्री संतोषसिंह--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री सन्तोषसिंह]

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिलाड़ा भावी, पीपाड़ सिटी और भोपालगढ़, चारों गाँवों की आबादी छोटे-छोटे शहरों के बराबर है और क्या सरकार इनके अन्दर के रास्तों को पक्के कोलटार की सड़कों के माफिक मय दोनों तरफ सीमेंट की नालियों के जल्दी से बनवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या बिलाड़ा, भावी, पीपाड़ सीटी और भोपालगढ़, इन बड़े-बड़े गाँवों में सब्जी बेचने वालों के बैठने के लिये सीमेंट की चबूतरियां व टीन के छप्पर बनवाने को सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीरामकरण जोशी--(क) ऐसे कार्य लोकल डिवेलपमेंट वर्क्स के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं। जिला डेवेलपमेंट कमेटी की ओर से इनकी सिफारिश आने पर विचार किया जा सकेगा।

(ख) अभी इन स्थानों की पंचायतों का पुनर्गठन नहीं हुआ है जो कि इस कार्य को हाथ में ले सकती हैं।

प्रश्न संख्या २४४

निर्धन हरिजनों के विद्यार्थियों को वजीफा

श्री प्रतापसिंह--क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे--

(अ) क्या गरीब हरिजनों के लड़के जो पढ़ रहे हैं, उन्हें सरकार वजीफा देना चाहती है ?

(आ) अगर हाँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है ?

(इ) क्या ऐसे वजीफों के लिए डिस्ट्रिक्ट से कुछ अर्जियाँ प्राप्त हुई हैं ?

(ई) अगर हाँ, तो उन पर क्या निर्णय किया गया और कितनों को वजीफा दिया गया ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(अ) हाँ।

(आ) छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित फॉर्म में होने चाहियें। ये फॉर्म डाईरेक्टर, बेकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। हर वर्ष आवेदन-पत्र भेजने की तारीख राजपत्र वगैरह में सूचित की जाती है। इस तारीख से पहिले आवेदन-पत्र भर कर तथा उन्हें फॉर्म में बताये गये ढंग से सम्बन्धित स्कूल या कॉलेज के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करवा कर उपर्युक्त कार्यालय में पहुँचा देना चाहिये।

[श्री भोलानाथ]

(इ) हाँ।

(ई) चूरू जिले के ११६ हरिजन छात्रों को छात्र वृत्ति स्वीकृत की गई है।

प्रश्न संख्या २४५ तथा २४६

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी।

प्रश्न संख्या २४७

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४८ तथा २४६

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया यह प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५०

करोली सब डिविजन के विभिन्न ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं

श्री धर्मचन्द्र—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) करौली सब डिविजन के प्रत्येक तहसील के किन-किन गाँवों में प्राइमरी स्कूल थापित करने के हेतु इन्स्पेक्टर स्कूल्स ने रिपोर्ट की है ?

(आ) उस रिपोर्ट के आधार पर कितने स्कूल इस वर्ष किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

(इ) अगले वर्ष कितने नए स्कूल इस सब डिविजन में सरकार खोलना चाहती है और किन-किन गाँवों में ?

श्री भोलानाथ—(अ) करौली सब डिविजन की तहसील में जहाँ-जहाँ नये स्कूल खोलने के लिये इन्पेक्टर स्कूल्स कोटा की रिपोर्ट थी वहाँ स्कूल खोल दिये गये हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

१. सालपुर

२. चैनपुर

Page No.17

[श्री भोलानाथ]

३. बेहरूदा
४. आपौती
५. खेड़ा
६. ठिठोड़ा
७. नियोदर
८. मेहरोड़ा
६. गिरोंटा
१०. फतहपुर समरेदा
११. नैनपुरा आरिया
१२. करसाई
१३. करौली शहर

(आ) निम्नलिखित स्थान पर स्कूल खोलने की कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही नया स्कूल खोल दिया जायगा :—

१. इयानखोड़ा ।

(इ) अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ है कि अगले वर्ष कितने और कहाँ-कहाँ नये स्कूल खोले जाँयगे ।

प्रश्न संख्या २५१

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५२

पीलवा (तहसील परबतसर) के ग्रामवासियों द्वारा हाई स्कूल हेतु भवन-निर्माण

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पीलवा (तहसील परबतसर) के ग्रामवासियों ने करीब १५,०००) रुपया लगाकर हाई स्कूल के लिये इमारत बनवाई है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त ग्राम में हाई स्कूल कब तक चालू कर दी जावेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) पीलवा तहसील परबतसर के ग्रामवासियों ने जो इमारत बनवाई है वह मिडिल स्कूल के लिये पर्याप्त है, हाई स्कूल के लिये नहीं ।

(ख) नये हाई स्कूल खोलने के प्रश्न पर निर्णय करते समय अन्य स्थानों के साथ पीलवा के लिये भी विचार किया जायेगा ।

प्रश्न संख्या २५३

परबतसर पशु-मेला से सरकार को प्रतिवर्ष आय

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) परबतसर पशु मेला से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

(ख) उस आय में से परबतसर की तरक्की एवं जिन रास्तों व घाटियों में होकर पशु गुजरते हैं उन पर सरकार कितना रुपया प्रतिवर्ष खर्च करती है ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—(क) इस वर्ष, यानी १९५३-५४ के परबतसर के पशु मेले की सरकार को २,८८,७८६) रुपयों की आय हुई।

(ख) हिसाब के नियमों के अनुसार आय में से किसी प्रकार का खर्चा करना है तो इस प्रकार के कार्य पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट की ओर से किये जाते हैं इसलिये खर्च का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री चाँदमल मेहता—इस प्रकार के खर्च के लिये आय में से परसेंटेज मुकर्रर है ?

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखता है।

प्रश्न संख्या २५४

राजस्थान में तेल और तिलहन के आयात-निर्यात पर शुल्क तथा उसका घटाया जाना

श्री शम्भूसिंह—(डि० सं. १३६) क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) राजस्थान में तेल और तिलहन के आयात और निर्यात पर क्या शुल्क था और अब कब से कितना घटाया गया है ?

(ख) क्या इस परिवर्तन के करने में सरकार ने स्थानीय तेल के उद्योग और ऐसे उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों तथा तिलहन के उत्पादकों के हानि-लाभ को भी मद्दे नजर रखा है और इस परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ ?

श्री भोलानाथ—(क) राजस्थान में तेल पर जो कस्टम निर्यात कर था उसको तारीख १ जनवरी सन् १९५४ से पचास प्रतिशत घटाया गया।

(ख) श्रमिकों के हानि-लाभ को ध्यान में रखा गया है। इसका परिणाम कम से कम ६ महीने बाद बताया जा सकता है कि किन लोगों ने कितना फायदा उठाया है ?

श्री शम्भूसिंह—यह कर ऐक्सपोर्ट पर से घटाया गया है या इम्पोर्ट पर से ?

Page No.19

श्री भोलानाथ—ऐक्सपोर्ट पर से ?

श्री शम्भूसिंह—श्रमिकों के फायदे को किस तरह ध्यान में रखा गया है ?

श्री भोलानाथ—बाहर जायगा तो किसानों को फायदा होगा और मिल खुलेंगे तो श्रमिकों को फायदा होगा।

श्री कँवरलाल जेलिया—मूँगफली के तेल पर आयात कर क्या है ?

श्री भोलानाथ—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री अध्यक्ष—आठ मार्च के प्रश्न। श्री धर्मपाल प्रश्न संख्या १०

प्रश्न संख्या १०

गंगानगर जिले की ग्राम पंचायतें तथा उनमें हरिजन सदस्यों की नामजदगी

श्री धर्मपाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गंगानगर जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं ?

(ख) क्या सब में हरिजन मेम्बर नामजद किये जा चुके हैं ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—(क) २१६ ग्राम पंचायतें है।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्योंकि ये पंचायतें बीकानेर ग्राम पंचायत एक्ट, १६२८ के अन्तर्गत कार्य कर रही थीं और उस कानून में हरिजन मनोनीत करने का कोई प्रोविजन नहीं था।

श्री धर्मपाल—नया कानून बना है उसके आधार पर कब नामजद किये जायँगे ?

श्री रामकरण जोशी—इसके आधार पर नये चुनाव हो जायँगे तब।

प्रश्न संख्या १४

राजस्थान की नगरपालिकाओं के मेहतर कर्मचारियों की हड़तालें

श्री धर्मपाल पंवार—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस साल राजस्थान की म्युनिसिपेलिटियों के मेहतर कर्मचारियों की कितनी हड़तालें हुई ?

(ख) क्या कहीं पर मेहतरों द्वारा वेतन के समय पर नहीं मिलने के कारण भी हड़ताल करनी पड़ी है ? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) ११ हड़तालें हुईं।

(ख) हाँ। निम्नलिखित नगरपालिकाओं में वेतन समय पर न मिलने के कारण हड़तालें हुईं :

१. सीकर

२. नाथद्वारा

३. बिसाऊ

४. पिलानी

५. झुंझुनू

६. कांकरोली (राजसमंद)

७. चिड़ावा

८. जोधपुर।

श्री धर्मपाल—आपने फरमाया कि समय पर सरकारी सहायता नहीं मिली। तो, सरकार ने समय पर सहायता क्यों नहीं दी ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार जो सहायता देती है वह तो समय पर ही दे देती है, पर जो बोर्ड आय-व्यय को संतुलित नहीं रख सकते, वह सरकारी सहायता से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर उसके लिये माँग करते हैं। इसलिये सरकार को, यह प्रोविजन तो होता नहीं, निकालना पड़ता है और उनको दिया जाता है; इसमें देर लग जाती है। इसमें सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई बोर्ड अपने यहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सके।

श्री धर्मपाल—क्या जो बोर्ड समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं देता, ऐसे बोर्ड के खिलाफ सरकार कभी कदम उठायेगी ?

श्री रामकरण जोशी—जरूर।

श्री धर्मपाल—जिनके खिलाफ कदम उठाया जाय तो सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

श्री रामकरण जोशी—यही कर सकती है कि उनको बन्द कर दे।

श्री धर्मपाल—क्या सरकार ने कोई बोर्ड बन्द किया है ?

श्री रामकरण जोशी—सवाल बहुत लम्बा है, पर जयपुर का उदाहरण तो हमारे सामने ही है।

प्रश्न संख्या १५, १६, २० और २४

श्री अध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५

भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा टैंडर

श्री तेजमल बापना—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से अप्रेल, १९५३ से अब तक कितने टेन्डर मंजूरी के लिये कब-कब पेश हुए हैं और वे कब-कब स्वीकृत हुए ?

(ख) क्या यह सही है कि ७-८ माह होने व साल के समाप्त होने का समय नियत होने पर भी अब तक वहाँ के टेन्डर पास नहीं हुए हैं ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उन्हीं टेन्डरों को पास कराने के लिये बोर्ड के सेक्रेट्री करीब दो माह तक जयपुर में रहे, फिर भी अब तक टेन्डर पास नहीं हुये ?

(घ) इन टेन्डरों के पास होने में अब कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)।

प्रश्न संख्या २६ और २६ ए

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

श्री कँवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, अभी प्रश्नों के पूछे जाने का समय शेष है। अगर आज्ञा हो तो बाकी रहे हुए प्रश्न पूछ लिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—हमें बहुत काम करना है। आज कुछ समय मिलेगा।

श्री कँवरलाल जेलिया—ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—उनके जवाब हाउस की मेज पर रख दिये जावेंगे।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सदन की सम्मति से प्रश्न पूछे जाने की आज्ञा प्रदान की।)

Page No.22

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या २२२, २२६, २२७

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या २३८ श्री शम्भूसिंह ।

(श्री भोलानाथ पत्रादि देखने लगे)

श्री अध्यक्ष—जब तक आप प्रश्न का उत्तर ढूँढलें, तब तक प्रश्न संख्या २३५ ले लिया जावे ।

प्रश्न संख्या २३५

ए. आर. टी. ओज. की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (डि. नं. ५६)—क्या ट्रांस्पोर्ट विभाग-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि इस बार कुछ ए. आर. टी. ओ. की नियुक्तियाँ हुई हैं ? यदि हाँ, तो कितनी ?

(ख) क्या इन नियुक्तियों में शिड्यूल्ड कास्ट से भी कोई व्यक्ति लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—(क) हाँ, पाँच ।

(ख) नहीं, ये नियुक्तियाँ पब्लिक सर्विस कमिशन ने की हैं । इन पोस्टों को पब्लिक सर्विस कमिशन ने जब एडवर्टाइज़ किया और आवेदन-पत्र माँगे तब किसी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के व्यक्ति ने इन पोस्टों के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया, इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के व्यक्ति के लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ ।

श्री श्यामलाल गोयल—ए. आर. टी. ओज. लिये गये इससे पहले शिड्यूल्ड कास्ट के कितने व्यक्ति थे ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २३८

भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में हाई स्कूल भवन का जनता-द्वारा निर्माण

श्री शम्भूसिंह (डि० नं० १३६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.23

[श्री शम्भूसिंह]

(क) भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में हाई स्कूल की इमारत वहाँ के लोगों ने बनवा दी है या नहीं ?

(ख) क्या शिक्षा मंत्री ने उस इमारत का निरीक्षण किया था ?

(ग) क्या गंगापुर में हाई स्कूल खोलने के हेतु वहाँ की जनता और उसके प्रतिनिधि एक लम्बे अर्से से सरकार की सेवा में आवेदन कर रहे हैं ?

(घ) क्या सरकार के ध्यान में है कि हाई स्कूल के अभाव में बहुत से होनहार विद्यार्थी हानि उठा रहे हैं ?

(ङ) क्या सरकार आगामी वर्ष के बजट में इस कार्य हेतु रकम स्वीकार कर हाई स्कूल तुरन्त खोलने की कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) गंगापुर के स्कूल-भवन में १२ कमरे हैं जो सरकार ने बनाये हैं और ६ कमरे जनता ने बनाये हैं।

(ख) हाँ, तब काम चालू था।

(ग) हाँ।

(घ) हानि का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

(ङ) जनता की प्रार्थना पर अन्य दूसरी जगह को ध्यान में रखते हुए जरूर विचार किया जावेगा।

श्री शम्भूसिंह—वहाँ पर कब तक हाई स्कूल खोल दी जावेगी ?

श्री भोलानाथ—जब दूसरी जगह खोलने का विचार होगा उसके साथ-साथ इस पर भी विचार होगा।

श्री शम्भूसिंह—इस सम्बन्ध में पहले भी सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

श्री भोलानाथ—आश्वासन अब भी दिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या २४०

सरकार द्वारा भूमि-वितरण की नीतिः विशेषतया किशनगंज, शाहबाद, अटरू व लाडपुरा में

श्री कँवरलाल जेलिया (डि० नं० ७०)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री कँवरलाल जेलिया]

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भूमि-वितरण करने के लिए कोई नीति निर्धारित कर रखी है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

(ख) गत वर्ष व इस वर्ष में कोटा डिवीजन में तहसील किशनगंज, शाहबाद, अटरू व लाडपुरा में जो भूमि राजस्थान सरकार द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को दी गई है, वह किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी दी गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि इन तहसीलों में जो भूमि दी गई है इनमें से किन्हीं तहसीलों में स्थानीय माल अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के किन्हीं नजदीक के रिश्तेदारों को भी मिली है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास स्थानीय जनता की ओर से शिकायत भी प्रस्तुत की गई है ? इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) हाँ, इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं।

(ख) इस विषय में तहसीलों से आँकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके प्राप्त होने पर बताया जा सकेगा।

(ग) नहीं। अगर किसी अनुचित कार्यवाही की शिकायत जनता सरकार के ध्यान में लावेगी तो अवश्य उस पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री कँवरलाल जेलिया—तहसीलदार किशनगंज का तबादला किस कारण से हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ट्रान्सफर तो अमूमन होते ही रहते हैं।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार के सामने उनकी कोई शिकायत आई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर कोई शिकायत आई होगी तो उसकी जाँच की जा रही होगी।

श्री कँवरलाल जेलिया—आपके पास आई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने भी कहा और दूसरे भी कहते हैं।

(हँसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या यह भी सही है कि कोटा में अधिकांश अपने-अपने रिश्तेदारों को ही .....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह कोटा की सब तहसीलों का प्रश्न था। अगर आप इसके लिये अलग प्रश्न पूछते तो उसका जवाब दिया जाता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या सरकार को यह मालूम है कि कितने रिश्तेदारों को नियुक्त किया है ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४१

स्थानीय ग्राम पंचायतों को डिविजन वाइज़ धन-राशि की सहायता

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायतों को किन-किन डिविजन में कितनी-कितनी धन-राशि सहायतार्थ दी गई है ?

(ख) कोटा डिवीजन के तीनों जिलों में किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी दी गई ?

(ग) क्या राजस्थान सरकार की यह जानकारी में है कि कोटा डिविजन में संचालित ग्राम पंचायतें सफाई के लिए स्थानीय हरिजन कर्मचारियों को उचित तनख्वाह चुकाने में असमर्थ हो रही हैं ? यदि हां, तो अब सरकार इस ओर क्या सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत :

	रुपये
उदयपुर डिविजन को	१,८६,६२८
बीकानेर ,,	३,३५,५३५
जोधपुर ,,	१,८८,३१०
जयपुर ,,	२५,३६५
कोटा ,,	७,३६५

रचनात्मक कार्य के लिए विभागीय बजट से :

उदयपुर डिविजन को	६,५००
कोटा ,,	५,०३०
जयपुर ,,	११,०००

(ख) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत :

१. बूंदी जिले में:—

लबान पंचायत को	१,४६५
डाबीर वेग ,,	१,४६५
आलोद ,,	४,४६५

[श्री रामकरण जोशी]

विभागीय बजट से :

२. कोटा जिला में बोहत पंचायत को १,०००
३. झालावाड़ जिले में डग ,, ४,०३०

(ग) हां, कर्मचारियों को भविष्य में समय पर वेतन चुकाने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री कँवरलाल जेलिया—कोटा डिविजन में ग्राम-पंचायतों को और डिविजनों की अपेक्षा कम सहायता क्यों दी गई ?

श्री रामकरण जोशी—पीने के पानी का जहाँ अभाव था वहाँ पर यह सहायता ज्यादा दी गई और जहाँ पीने के पानी का अभाव नहीं था वहाँ पर कम।

एक सदस्य—क्या सरकार के सामने ग्राम पंचायतों के लिए पीने के पानी की शिकायत है ?

श्री रामकरण जोशी—शिकायतें तो आती ही रहती हैं, लेकिन पंचायतों के द्वारा एस्टीमेट आदि के साथ नहीं आई है।

श्री कँवर लाल जेलिया—आपने जयपुर को लाखों रुपया दिया है और कोटा को इतना कम क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि जयपुर और कोटा के आकार को देखकर आप बात करें तो अच्छा होगा।

श्री रघुराज सिंह—पीने के पानी की कमी का आपने कहा। तहसील (अअअ) में पानी की कमी नहीं है, उसको क्यों मदद दी गई ?

श्री रामकरण जोशी—पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिए जो नीति है, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ :

अव्वल तो पंचायतों में फॉर्म होता है, उसको भर कर पंचायतें भेजती हैं और अपनी सिफारिश करती है। उसकी सिफारिश के आधार पर वह सेन्टर गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और उसके बाद उसके लिए मंजूरी होती है। कई जगहें ऐसी हैं जहां पर जल-कष्ट बहुत है और बीकानेर व मारवाड़ के हिस्सों में पानी का बहुत अभाव है। वहाँ २०-२० मील से पानी लाना पड़ता है। उस जगह पीने के पानी के प्रबन्ध का सवाल पहले रहता है और दूसरी जगह का प्रश्न बाद में आता है। इसके अलावा पंचायतों का जो फौर्म होता है भर कर देना पड़ता है, जिसमें १।३ हिस्सा वहाँ के लोगों को खर्च करना पड़ता है और बाकी सरकार को। मैं समझता हूँ कि किसी ने इस सिद्धांत से फॉर्म भर कर नहीं भेजे।

एक सदस्य—(अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष—He has given information more than what was necessary.

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार का अब क्या इरादा है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Shri Abni Kumar.

प्रश्न संख्या २४२

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४५

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री नारायण चतुर्वेदी।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न को पूछ लूं क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से चुना गया हूँ ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४६

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४७

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४८

जिला जयपुर की बालिका पाठशालाओं में सवर्ण तथा परिगणित जाति की अध्यापिकाएं

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि—

१. जिल जयपुर के गर्ल्स स्कूलों में कितने सवर्ण और कितनी परिगणित जाति की अध्यापिकायें हैं ?

[श्री हरिशंकर]

(क) गत अप्रेल, सन् १९५२ से दिसम्बर, सन् १९५३ तक कुल कितनी अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई ? इसमें शिड्यूल्ड कास्ट से कितनी ली गई ?

(ख) क्या इनकी नियुक्तियाँ करते समय शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा गया था ? यदि हाँ तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) अब भविष्य में शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया जायेगा ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—१. जयपुर जिले की कन्याशालाओं में २८७ सवर्ण तथा १ परिगणित जाति की अध्यापिकायें हैं।

(क) गत अप्रेल ५२ से दिसम्बर ५३ तक के समय में ५२ अध्यापिकाओं की नियुक्तियाँ की गई हैं। इनमें से एक अध्यापिका अनुसूचित जाति में से ली गई है।

(ख) नियुक्तियाँ करते समय इसका ध्यान रखा गया था लेकिन उक्त किसी प्रकार की प्रार्थिनियों के अधिक आवेदन पत्र प्राप्त न होने से निर्धारित कोटा के अन्तर्गत नियुक्तियाँ नहीं की जा सकीं।

(ग) नियुत कोटा के अन्तर्गत जितने आवेदन पत्र उक्त प्रकार की प्रार्थिनियों के प्राप्त हो जावेंगे तो उनको नियुक्त किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५६

जिला जयपुर की बालिका पाठशालाओं में अप्रेल १९५२ से दिसम्बर १९५३ तक सवर्ण तथा हरिजन चपरासिनें

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) शिक्षा विभाग जिला जयपुर की गर्ल्स स्कूलों में अप्रेल सन् १९५२ से दिसम्बर सन् १९५३ तक कितनी चपरासिनें नई भर्ती की गई ?

(क) इसमें से सवर्ण कितनी और हरिजन कितनी ?

(ख) क्या इनको भर्ती करते समय सरकार की आज्ञानुसार शिड्यूल्ड कास्ट का १५ प्रतिशत कोटा पूरा करने का भी ध्यान रखा गया था ? यदि हाँ तो किस प्रकार और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

[श्री हरिशंकर]

(ग) क्या सरकारी अफसरों द्वारा इस प्रकार की नीति बरती जाना संविधान के प्रतिकूल नहीं है ? यदि है तो इस पर क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—१. जयपुर जिले के कन्या विद्यालयों में अप्रेल सन् १६५२ से दिसम्बर सन् १६५३ तक २० चपरासिनें नई नियुक्त की गई हैं।

(क) इनमें से १६ चपरासिन सवर्ण तथा ४ हरिजन नियुक्त की गई हैं।

(ख) निर्धारित कोटा के अन्तर्गत ही नियुक्तियाँ की गई हैं।

(ग) चूँकि निर्धारित कोटा के अन्तर्गत नियुक्तियाँ की गई हैं अतः इस प्रश्न का सम्बन्ध नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २५१

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—Should we again go over the scheduled questions of the 8th March ?

(विराम)

Questions No. 15, 19, 20, 24, 25......

श्री तेजमल बापना—No. 25 has been asked.

श्री अध्यक्ष—Now, the questions are all over. We resume our discussions on the Appropriation Bill(श्री पालीवाल को संकेत करते हुए) Yes.

(विराम)

I am sorry. The Bills to be put in. The Bills to be placed before the House.

राजस्थान सीमेंट क्रय कर विधेयक, १६५४ (पुरःस्थापन)

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill for the imposition and levy of a tax on the sale of cement product or manufactured in the State of Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is, "that leave be granted to introduce a Bill for the imposition and levy of a tax on the sale of cement produced or manufactured in the State of Rajasthan".

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री भोलानाथ—Sir, I introduce the Bill.

राजस्थान राजकीय भाषा (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरः स्थापन)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend to the Rajasthan Official Language Act, 1952."

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is that leave be granted to introduce a Bill to amend the Rajasthan Official Language Act, 1952.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक १९५३ (वापिस लेना)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं निम्नांकित विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ :—

"Bill to amend the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951"

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The quesion is that leave be granted to withdraw a Bill further to amend the Rajasthan Motor Vehicles......

एक माननीय सदस्य—Sir, Rajasthan Town Municipalities........

श्री अध्यक्ष—Yes. I put the question.

The question is "that leave be granted to withdraw the Bill to amend the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951"

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह जो विथड्रॉ करने की प्रार्थना की गई है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है और मैं आशा करूँगा कि माननीय मंत्री महोदय इस बिल को विथड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि कारण यह है कि टाउन म्युनिसिपल एक्ट, सन् १९५१ में आया था वह असेम्बली के सामने नहीं आ सका और पहले का होने से उसमें बड़ी भारी गलतियाँ रह गई हैं। इतनी गलतियाँ रह गई हैं कि कदम-कदम पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। निवेदन के तौर पर मैं कहूँगा कि पिछले माह एक केस के सिलसिले में जब हाईकोर्ट में बहस हो रही थी, तो चीफ जस्टिस

[श्री गोपीलाल यादव]

महोदय ने तीन दफा कहा कि यादव साहब आप गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट करें कि वह इस बिल को अमेन्ड करे। इसमें गलतियाँ रह गई है कि कदम-कदम पर दिक्कतें महसूस हो रही हैं और आगे होने जा रही हैं, उन्होंने मुझे यह बात तीन दफा कही। माननीय अध्यक्ष, अगर अमेन्डमेन्ट्स प्राइवेट मेम्बर की ओर से रखे जावेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके पास होने में एक सेंचुअरी लग जावेगी। अतः कुछ संशोधन हम रख दें और कुछ गवर्नमेन्ट बेन्चेज़ की ओर से संशोधन रख दिये जाँय तो यह टाउन म्युनिसिपल एक्ट संशोधित हो जायगा। मैं आशा करूँगा कि माननीय मन्त्री महोदय इसको वापिस नहीं लेंगे। अगर वे इसको वापिस ही लेना चाहते हैं तो मैं आशा करूँगा कि वे हम लोगों से सलाह करके, अपने डिपार्टमेन्ट से सलाह करके, एक दूसरा कम्पलीट अमेन्डिंग बिल पेश करेंगे।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं निवेदन कर दूँ। मैं समझता हूँ कि इससे आपकी सब शंकाओं का समाधान हो जायगा। इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था और उसने गंभीरता से इस पर विचार किया। टाउन म्युनिसिपेलीटीज़ को देखते हुए इसमें इतने फ्लॉज़ (flaws) रह गये थे जो अमेन्डमेन्ट के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये जा सकते। इसलिये इसको वापिस लेकर दूसरा बिल इस सदन में पेश किया जावेगा। सिलेक्ट कमेटी ने मुझे इसको विथड्रा करने की इजाजत दे दी है।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdrawal.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री रामकरण जोशी—मैं इस विधेयक को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Yes, next.

राजस्थान मोटर वाहन कराधान, विधेयक, १६५४ (वापिस लेना)

श्री रामकरण जोशी—मैं निम्नांकित विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ :—

"A Bill to further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act 1951.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is, "That leave be granted to withdraw the bill further to amend the Rajasthan Moter Vehicles Taxation Act 1951.

श्री रघुराज सिंह—May I ask what is the criterion of withdrawing the Bill ?

श्री अध्यक्ष—I think it will be advisable to say something when withdrawal is asked for.

श्री रघुराज सिंह—Why all the time Government and the public money is wasted like this if the Bills are to be withdrawn ?

श्री अध्यक्ष—I think that withdrawing a taxation bill is healthy ?

(हँसी)

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, इस बिल में कुछ गलतियाँ रह गई थीं, इसलिये इसमें कुछ वैधानिक आपत्तियाँ उठाई गई थीं तथा इसमें कुछ अनुसूचियाँ लगी हुई थीं, उसमें भी कुछ खामियाँ थीं। उन पर विचार यहाँ करना संभव नहीं हो सकता था, इसलिये इसे वापिस लेने की मुझे सिलेक्ट कमेटी ने सिफारिस की थी। इसलिये मैंने सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि मुझे इस बिल को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री रघुराजसिंह—But the fresh Bill should come.

श्री रामकरण जोशी—मेरा निवेदन यह है कि दूसरी अच्छी तरह से स्क्रूटिनी करने की आवश्यकता है। पहले लॉ डिपार्टमेन्ट इसकी स्क्रूटिनी कर ले फिर तुरन्त बाद में इसको सदन के सामने रखा जा सकता है, ताकि किसी प्रकार की खामी रहने का अन्देशा न हो।

श्री रघुराजसिंह—Simultaneously a fresh Bill should have been presented when this Bill is withdrawn.

श्री अध्यक्ष—Yes. Is it the leave of the House to allow withdrawal.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

राजस्थान तमाखू विक्रेता अनुज्ञापत्र विधेयक, १९५४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to regulate the retail sale of manufactured tobacco be extended upto the last day of the first week of the next session.

श्री रामकरण जोशी—मैं क्या यह समझूं कि मुझे अपना बिल विथड्रा करने की आज्ञा मिल गई है ?

श्री अध्यक्ष—I am sorry.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं विधेयक वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या यह सदन की राय है कि समय की वृद्धि के लिए जो अनुमति मांगी गई है वह दी जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई

Page No.33

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५४ जो सदन के सामने विचारार्थ रखा गया है उसके विषय में मैं कुछ निवेदन कर दूँ। यह एप्रोप्रिएशन बिल जो सदन के सामने रखा गया है सदन को अधिकार है कि वह इस पर वाद-विवाद करे। लेकिन, इसी प्रकार का काफी वाद-विवाद सप्लीमेंटरी बजट की प्रस्तुति के समय, सप्लीमेंटरी ग्रान्टस के समय हो चुका है। माननीय सदस्यों ने कट मोशन देकर भी इस पर डिस्कशन कर लिया है उसके बाद यह एप्रोप्रियेशन बिल आपके सामने आया है। सदन चाहे तो इस पर वाद-विवाद कर सकता है, लेकिन परम्परायें जो हमने अब तक डाली हैं उनमें एप्रोप्रियेशन बिल पर खास तौर से वाद-विवाद नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पोलिसी होती है बजट के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन होकर वह पोलिसी क्रिटिसाइज कर दी जाती है। उसके बाद जो कट मोशन आते हैं, उनके अन्तर्गत भी यह क्रिटिसाइज हो जाता है और फिर उसके बाद में वे ही बातें, बिलकुल वे ही बातें इस स्टेज पर भी आती हैं।

एक बार हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर ने एप्रोप्रियेशन बिल के स्कोप पर अपनी रूलिंग देते हुए कहा था कि निश्चय ही सदन को यह अधिकार है कि वह एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस करे किन्तु परम्परायें ऐसी होनी चाहिए कि इस पर बहस को अवोइड किया जाय। सारी की सारी वे ही बातें इस समय भी दोहराई जाती हैं; क्योंकि सदन के सामने जो डिमान्ड्स आती हैं वे तो पास की जा चुकी होती हैं। इसलिए डिमान्ड्स के पास हो जाने के बाद जो कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है वह एप्रोप्रियेशन बिल के रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर बोलने के लिए आप मेरी आँखें केच करें, उससे बचने के लिए यह अच्छा हो कि मैं ही आँखे बन्द कर लूँ, फिर हाउस के सामने क्वेश्चन के रूप में रख दूँ। फिर भी अगर सदन की मन्शा हो कि इस पर बहस की जाय, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष श्रीमान् ने जो बातें कहीं उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के लिए जितने भी दिन बहस हुई मैंने एक भी कटमोशन नहीं रखा, न मैंने कुछ भी शब्द इस बारे में कहे। इसलिये मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल पर हाउस का कुछ समय लेना जरूरी समझता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि यह एप्रोप्रियेशन बिल इस समय पास न किया जाय। इसे पास तो करना है ही, जब हमने ग्रान्टस पास कर दी है तो यह पास तो अवश्य होगा। किन्तु मेरा इस समय यह निवेदन है कि हमें इस पर विचार करना है। मुझे इस बारे में यह निवेदन करना है कि हमने पिछले दो सालों में करीब दो दफा एप्रोप्रियेशन बिल पास किये हैं, एक तो मार्च के महीने में तथा दूसरा किया गया अगस्त के महीने में। तीसरा यह एप्रोप्रियेशन बिल हम पास कर रहे हैं। देश के फाइनेन्सेज़ पर पब्लिक कन्ट्रोल एक्सरसाइज करती है। इस हाउस के जरिये हाउस किस तरह से सेटिसफाइड (संतुष्ट) हो कि रुपया जो सरकार को दिया गया, वह ठीक तरह से इस्तेमाल किया गया है या ठीक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से पिछली दो दफा हमने एप्रोप्रियेशन बिल पास किये......

श्री अध्यक्ष—आप बहस करना चाहते हैं इस बिल पर ?

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं बहस ही कर रहा हूँ। हमने पहले दो एप्रोप्रियेशन बिल पास किये। गवर्नमेंट ने वह रुपया ठीक तरह से खर्च किया या कहीं इस एप्रोप्रिएशन बिल का मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं किया, यह बातें हमें देखनी हैं। इसके लिए मेरे मित्र यह कहेंगे कि क्या आपको हमारा विश्वास नहीं है, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, तमाम दुनिया हमको ईमानदार मानती है। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस वक्त पंडित नेहरू ने अपना पद संभाला उस वक्त वे भी यह कह सकते थे कि मुझे आप ओथ (शपथ) क्यों दिलवाते हो, क्या मैं बेईमानी करूंगा जो मुझ से यह ओथ दिलवाते हो। किन्तु यह फर्ज है। इसी प्रकार हाउस का यह फर्ज है कि वह फाइनेन्सेज़ पर अपना पूरा कन्ट्रोल रखे। हाउस इस सम्बन्ध में अपना कन्ट्रोल किस तरह से एकसरसाइज कर सकता है ? कन्ट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो अकाउन्टस कमेटी और दूसरी एस्टीमेट्स कमेटी जो इस हाउस द्वारा बनाई हुई है। साल भर में इन कमेटियों की दसियों बीसियों मीटिंगे हुई होंगी, हजारों रुपया इन पर खर्च हुआ होगा और पब्लिक का समय भी वेस्ट हुआ होगा। इसलिए जब तक इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट हाउस में पेश नहीं हो जाती और जब तक हम यह न देख लें कि यह खर्चा जो किया गया है वह ठीक ढंग से हुआ या नहीं। यह अकाउन्ट्स कमेटी का फर्ज है कि वह अपनी रिपोर्ट हाउस के सामने रखे जब हाउस को तसल्ली हो जावे कि जो रुपया खर्च किया गया है वह ठीक ढंग से हुआ, रुपये का इस्तेमाल ठीक ढंग से हुआ, तब फिर इस एप्रोप्रियेशन बिल को पास किया जा सकता है। इसके बिना आज कल आम तौर पर यह अफवाह फैली हुई है कि अकाउन्ट्स का बहुत मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसमें बड़ा गोटाला है। इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले एस्टीमेट्स कमेटी और अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने आ जानी चाहिये, फिर इस एप्रोप्रियेशन बिल को पास करना चाहिये। फिर आप चाहे उसे बगैर वाद-विवाद के पास कर दें। इसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा। पहले अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिये। यह हाउस सरकार को मजबूर करे कि वह इन कमेटियों की रिपोर्ट सदन के सामने रखे। सरकार को तो निश्चित रहना चाहिये; क्योंकि हमने ग्रान्टस तो पास कर दी है। इन कमेटियों की रिपोर्टस आ जाने के बाद यह बिल भी पास हो जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को १५ रोज बाद रखा जाय और सरकार को यह कह दिया जाय कि हम इस बिल को उस दिन पास करेंगे जब कि हम इन कमेटियों की रिपोर्ट्स को देख लेंगे, ताकि हमें तसल्ली हो जायगी कि वाकई में ठीक ढंग से अकाउन्ट रखा गया, ठीक ढंग से पबलिक का रुपया खर्च किया गया। इसी सम्बन्ध में मैं एक-दो उदाहरण आपके सामने रखूँगा जैसे कि इलेक्शन के लिए ग्रान्ट मांगी गई है कुछ हजार रुपये की। यह एक ऐसी चीज है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ इसमें गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ भी इलैक्शनन्स होते हैं, वहाँ लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है। पार्टियों का खर्च होता है सो तो अलग, किन्तु सरकार का करीब १० लाख रुपया एक इलैक्शन के लिए खर्च होता है। जैसे आप नीम का थाना इलैक्शनन्स को ही लीजिये, जहाँ पर ८० पोलिंग स्टेशन्स थे। सैकड़ों अफसर, उनके नीचे के अफसर, सैकड़ों कर्मचारी, हजारों कलर्क राजस्थान के दूर दूर हिस्सों से पहुँचे क्योंकि उन्हें वन डे इलैक्शन (one day election) करना था।

वे दूर-दूर हिस्सों से वहाँ आये। एक दिन उन्होंने काम किया और सात-सात दिन का टी. ए. और डी. ए. लिया। सबों पर, जितने भी हजारों आदमी थे, इस तरह हजारों रुपया आने-जाने

[श्री गोपीलाल यादव]

पर खर्च हुआ। अब सवाल यह है कि यह खर्चा कहाँ किस हिसाब में डाला गया ? हमें मालूम तो हो कि वह लाखों रुपया जो पब्लिक का इस सत्र में नष्ट हुआ है वह कहाँ किस हिसाब में डाला गया ? एक बात।

दूसरी बात, क्या यह जो हजारों रुपयों का खर्च हुआ उसको बचाया नहीं जा सकता था ? यह भी हमें सोचना है। यह सारी बातें अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही हमें मालूम हो सकती हैं।

इसके अलावा यह भी हमें पता लग सकता है कि यह जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स की मन्जूरी लेने का सवाल धीरे-धीरे हमारे सामने आता है इसका कारण क्या है ? कई ग्रान्ट्स के सामने यह लिखा गया है कि गलती से यह खर्चा रह गया है, गलती से यह हो गया है, गलती से यह रह गया है, तो इससे हमें एक और डर यह भी हो गया है कि ये गलतियाँ कहीं ब्लण्डर्स (blunders) तो नहीं हैं, तथा कोई चीज ऐसी और तो नहीं रह गई है कि पब्लिक का यह हजारों रुपया फिजूल नष्ट हो रहा हो और ये गलतियाँ कहीं बड़ी गलतियाँ तो नहीं रह गई हैं। मेरे मित्र सदन के नेता भी हैं या दूसरे साथी हैं, जिन पर मैं विश्वास करता हूँ अविश्वास नहीं करता, पर इस विश्वास करने के माने यह नहीं कि हम अपना कन्ट्रोल ऐसे मामलों पर स्लेक कर दें और हमें पब्लिक ने जिस तरह से और जिन उम्मीदों और जिन कामों की देखभाल करने के लिए जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजा है, वह हम न करें।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पब्लिक अकाउन्टस् कमेटी की रिपोर्ट और एस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्टस जब तक हमारे सामने न आ जावें, तब तक आप इस एप्रोप्रियेशन बिल को पास न करें, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं। यह तो हिसाब की बात है। कल आप इस रिपोर्ट को पेश कर दें और परसों इसे पास करालें। इससे हमें इतना पता तो लग जावेगा कि जो खर्चा किया गया है, वह ठीक है तथा कोई गड़बड़ उसमें नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को थोड़ा-सा साफ कर देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त यादवजी ने अकाउटस···

श्री अध्यक्ष—जवाब फिर देंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके बाद शायद डिस्कशन की जरूरत ही नहीं होगी। अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्टों के बारे में कहा कि सरकार पेश करदें, तो हम इसको जल्दी पास करदें या कर सकते हैं। इस विषय में मैं निवेदन कर दूं कि ये पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटियाँ सरकार की बनाई हुई नहीं हैं, इस हाउस की बनाई हुई हैं तथा सूचना के तोर पर थोड़ा निवेदन और कर दूँ कि उसके सामने कुछ मसले हैं और मुमकिन है कि न फाइनेन्स मिनिस्टर उन कमेटियों के सदस्य हैं और न चीफ मिनिस्टिर ही उन कमेटियों के सदस्य हैं, इसलिए उनसे कुछ

[श्री जयनारयण व्यास]

जानकारी लेने में देर हो तो सरकार उनको पेश करदे, यह बात नहीं है; सरकार की वजह से ये रुकी हुई नहीं हैं। सरकार की वजह से रुकी हुई हों ये, ऐसा नहीं मानना चाहिये और इस वजह से इसे पास करने में ढील करना गलत होगा। मैं उन कमेटियों के बारे में कहता हूँ कि वे सरकार की वजह से रुकी हुई नहीं हैं। फिर भी अध्यक्ष महोदय अगर आप इजाजत दें बहस की तो मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर, मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्द पास कर दें।

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है कि सदन की इस प्रकार की परम्पराएं होनी चाहिये कि कि एप्रोप्रीएशन बिल बिना बहस के ही पास कर दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन सिर्फ इतना-सा रहता है कि शायद लोक सभा में इस प्रकार की·····

श्री अध्यक्ष—आप एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।

श्री भैंरू सिंह—एप्रोप्रियेशेन बिल के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि सरकार दो दिशाओं में ध्यान देती है। एक तो यह कि उन आमदनी की मदों पर सरकार का ख्याल होता है, जिससे सरकार अपने खर्चे को उस मद के जरिये निकाल सके और एक दूसरी दिशा वह होती है जिसमें सरकार को जो आमदनी हुई है उसको किस तरह से, किस अच्छे ढंग से जनता को अधिक से अधिक लाभ हो, उस ढंग से खर्च करे।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, आमदनी की मद पर सरकार जब किसी प्रकार की कमी महसूस करती है तो इस सरकार के पास इस प्रकार के साधन तो हैं कि किसी भी टैक्स के जरिये से, फिर चाहे उस टैक्स से जनता को फायदा होता हो या नहीं, इसे देखने की फुरसत उसे नहीं, पर सरकार की आमदनी बढ़ानी है इस एक नीयत से छोटी से छोटी चीज पर और गरीब से गरीब पर, गरीब से लेकर अमीर तक सब पर जितने टैक्स लगा सकती है, जितने टैक्स उनके लिए लगाना उचित होता है, लगाती है। पर, इसके साथ-साथ उनका एक खास कर्त्तव्य, उनकी अहं ड्यूटी यह होती है कि जो जनता से एक-एक पैसा करके इकट्ठा किया गया है, जनता की रोजी से, जनता की रोटी का एक-एक हिस्सा बँटा-बँटा कर जो रुपया इकटठा किया गया है, उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, वह कहीं नष्ट तो नहीं किया जा रहा है, कोई जनता के इस रुपये को खा तो नहीं गया है, इसकी पूरी सतर्कता से निगाह रक्खें। यह सरकार का अहं कर्त्तव्य है। अगर इस तरह से सरकार काम करेगी तो खर्च बढ़ने की दुविधाओं से भी बचेगी, उनकी कठिनाइयाँ भी कम होंगी और जनता के दिल में सन्तोष भी होगा कि जो रुपया-पैसा जनता से इकटठा किया है उसका सदुपयोग भी हुआ है, वह लोगों के हित में खर्च किया गया है।

मैं इस सम्बन्ध में यही बातें रक्खूँगा। अभी सन् १९४७ में जयपुर सरकार की ओर से एक महानुभाव को दो लाख रुपया सन् ४७ में सिनेमा की बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया था।

श्री भैरूँसिंह]

सन् १६४८ में एक लाख और पचास हजार रुपया फिर उसको देना स्वीकृत हुआ। इस तरह साढ़े तीन लाख रुपया कुल मिलाकर इसके लिए दिया गया, सन् ४७ और ४८ में।

इसके बाद में..........

श्री अध्यक्ष—आप बजट पर डिस्कशन कर रहे हैं क्या ?

Reserve all these bullets for the Budget discussion.

श्री भैरूँसिंह—मेरे पास काफी मसाला स्टॉक में है, इसलिए मैं उसे धीरे-धीरे कम करना चाहता हूँ।

साढ़े तीन लाख रुपया एक तरफ दे दिया और इसलिए दे दिया कि सिनेमा हाऊस का निर्माण करे। रुपया देते समय एक शर्त भी की गई थी कि दूसरी साल से हर साल २५ हजार रुपया की एक इन्स्टालमेन्ट में इसे चुकाया जावे और इस तरह कुल १४ इन्स्टालमेन्ट्स में सारी रकम जमा करा दें। पर, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि आज उन साढ़े तीन लाख रुपयों में से एक पैसा भी वापिस सरकार को नहीं दिया गया है। सरकार ने उनको रिमाइन्डर अवश्य दिये, पर राजस्थान सरकार इस रुपये को वसूल करने में असमर्थ रही। यह सरकार के लिए कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। एक व्यक्ति रुपया ले जावे और बाद में यह कह दे कि यह दे नहीं सकता, मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए सरकार को चाहिये था कि वह रुपया देने से पहले ऐसे व्यक्ति से दुगुनी जमानत लेती। कहती, सात लाख रुपये की पहले किसी से जमानत दिलवाओ। फिर रुपया सरकार उधार देती तो आज यह कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती कि मेरे पास रुपया नहीं। सरकार के पैसे को इस तरह गर्त में डाल देना कोई क्षम्य चीज नहीं है। अब यह कह देना कि यह तो पहले की सरकार का काम था, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी देने में। कोई सरकार हो, पहले की थी तब भी उसकी जिम्मेदारी थी और अब है तब भी अब भी सरकार की जिम्मेदारी है। यह सरकार भी उसे वसूल करने में कानूनी कार्यवाही करे, न कि इस मामले की फाइलों को सेक्रेटेरियट के एक सेक्शन से दूसरे के पास एक विभाग से दूसरे विभाग में और एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट से दूसरे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के पास भेजती रहे और अगर इसी प्रकार इन कागजों को ही इधर से उधर घुमाती रही तो ये साढ़े तीन लाख रुपये कभी भी वसूल नहीं होंगे।

इसी तरह की दूसरी नजीर मैं रखता हूँ। एक हैड कॉन्स्टेबल और एक नायब तहसीलदार रुपया लेकर तहसील में तनख्वाह तक्सीम करने जा रहे थे। गाड़ी में भीड़ होने के कारण हैड कॉन्स्टेबल एक लाख रुपयों में से पचास हजार रुपये लेकर गायब हो गया। केस चलाया गया उस पर। सन् ४८ का वाकया है यह। पर उस पर, वह लिख दिया गया कि आदमी पाकिस्तान चला गया और इस सारे किस्से को खतम कर दिया गया। यदि सरकार सतर्क होती तो वह गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को लिखते, उसका पता लगाते। उसके रिश्तेदारों की प्रोपर्टी जो हिन्दुस्तान में है, उसकी खुद की प्रोपर्टी को जब्त करते। आज भी अगर उसकी छानबीन की जाती तो उसकी प्रोपर्टी का पता

[श्री भैरूँ सिंह]

लगाकर व अन्य तरीकों से वह रकम वसूल की जा सकती थी। पर, वह पाकिस्तान चला गया, हमारी सीमा से बाहर चला गया इस वास्ते असमर्थ है सरकार उससे वसूली करने में, ऐसा कह दिया गया। पर, मैं कहता हूँ असमर्थ हो सकती है सरकार, पर बिलकुल असमर्थ नहीं है। हमारी सरकार उस आदमी की पूरी जानकारी प्राप्त करे, उसकी प्रोपर्टी और धन-दौलत के बारे में हिन्दुस्तान सरकार से पूछताछ करके कोई कार्यवाही करे। पर, खेद है कि इस प्रकार की कार्यवाही भी यह सरकार नहीं कर सकी।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि राजस्थान सरकार ने कुछ सामाजिक उत्थान के लिए ३० लाख रुपये की रकम की मन्जूरी दी थी और इसको तीन भागों में विभक्त किया था। एक भाग था किसान-मण्डल, दूसरा था लोक-शिक्षण-मण्डल और तीसरा हिस्सा था आदिवासी-मण्डल। इन तीनों को इन ३० लाख रुपयों में से रकम बाँट दी गई, इसलिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सामाजिक उत्थान का कार्य करें। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इनसे सामाजिक उत्थान कितना हुआ? मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि उस किसान-मण्डल के द्वारा ५० सेन्टर कायम किये गये और इन सेन्टरों के लिए ५० रेडियो सैट खरीदे गये। पचास रेडियो खरीदने के बाद ५० बैटरियाँ खरीदी गईं और ये बैटरियाँ खरीदने के बाद महज ७ रेडियो सैट लगाये गये बाकी ४३ सैटों का कोई पता ही नहीं है। किस जगह गये क्या काम आये इसका कोई पता नहीं। इस पर पचास हजार रुपया खर्च हुआ इसका पता नहीं। रेडियो बैटरियाँ (Exhaust) एग्झोस्ट हो गई? रेडियो कहाँ गये, इस विषय में निवेदन करने की आवश्यकता नहीं। किसान-मण्डल ने यह काम किया था और फिर यह काम भी बन्द हो गया। लेकिन सरकार की यह तो जिम्मेदारी थी कि वह इस पचास हजार रुपये का पूरा-पूरा हिसाब लेती, कहाँ-कहाँ ये गये, क्या हुआ; यह सारी जानकारी लेती और इसी तरह से यह ३० लाख रुपये की रकम किस-किस काम में आई, किस तरह से खर्च हुई और सामान खरीदने के बाद इसके एक-एक भाग को जाँचती, एक-एक चीज की जाँच करती और इसके बाद रेडियो सैट किस जगह आज लग रहे हैं यह पता लगता और पैसे का जैसा दुरुपयोग हो रहा है उसका पता चलाती।

इसी तरह से किसान-मण्डल ने कुछ कागज खरीदा। लाखों रुपयों का कागज खरीदा, पर उसका कुछ पता नहीं।

आदिवासी और लोक-शिक्षा मन्डल को भी जितनी रकम दी गई थी, यह मैं नहीं कहता कि सारी की सारी रकम कार्यकर्ता हजम कर गये, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह कभी भी इस इल्जाम से वंचित नहीं रह सकते। सरकारी रुपए से जो सामान खरीदा गया है, वह सारा का सारा सामान कहाँ है? उस सारे सामान का दुरुपयोग हुआ है, वह अपने निजी काम में लाया गया है। इस तरह से ३० लाख रुपए महज किस तरह से उन्होंने इधर-उधर किए हैं? ३० लाख रुपए जनता के उन्होंने बरबाद कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इन तीस लाख रुपयों को छोटी-सी बात समझ कर बर्दाश्त कर लिया है। यह किसी तरह से भी सरकार के लिए शोभनीय चीज़ नहीं हो सकती।

[श्री भैंरूसिंह]

अध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज जो मुझे कहनी है, वह यह है कि ४,६७,०००) रु. भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने मोटर सर्विसेज़ के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाने में......

श्री अध्यक्ष—कट मोशन्स रखे हैं आपने।

श्री भैंरू सिंह–मैंने नहीं रखे।

(अपना भाषण जारी रखते हुए) चार लाख सड़सठ हजार और कुछ रुपए की इस प्रकार की योजना के लिए उन्होंने कुछ २३ बसेज़ खरीद लीं। इसलिए खरीदी कि 'हमें बसों का राष्ट्रीयकरण करना है।' उसकी कोई योजना उस वक्त नहीं थी उनके पास। सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई। लेकिन एक शख्स ने सरकार के ऑर्डर्स के एन्टिसीपेशन में ४,६७,००० रु. की बसें खरीद लीं। वह बसेज़ आज, माननीय सदस्य यदि देखें, पुलिस डिपार्टमेंट हैडक्वार्टर्स में पड़ी-पड़ी सरकार को चेतावनी दे रही हैं कि हमें सरकार काम में नहीं ला रही है, राजस्थान सरकार इस बात में असमर्थ है कि इतनी बसेज़ को काम में लें। (समय-समाप्ति सूचक घन्टी); हमें बरबाद नहीं करें, किसी तरह से काम में लें। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बातें निवेदन कर सदन से निवेदन करूँगा कि इस एप्रोप्रियेशन बिल को......सोच समझकर पारित किया जाय।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष–Order ! Order ! !

श्री भैंरू सिंह–जो चीज़ है वह मैं निवेदन करूंगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष–Order ! Order ! ! Is it within the scope of this Appropriation Bill ?

श्री भैंरूसिंह–यह चीज तो ऐसी है......

श्री अध्यक्ष—I do'nt think. I doubt that. The Hon'ble Minister will reply. I doubted all this, 47 affair and all these things. I think the supplementary Demands had been subject to cut-motions and there was a full-fledged debate formerly too when we discussed the Budget. Everything which had gone with the previous budgets we can discuss in general discussions and by way of cut-motions. So, if the member still wants to ventilate I have no objection, but it will not be healthy. Again I will appeal the Members to take to the consideration stage, pass the bill and then come to the Budget. I will give them time. Why waste energies on the splitted question ?

श्री भैरूँसिंह—मुझे कहना इतना है......

श्री अध्यक्ष—You have had your say. Order Please!

(श्री भैरोंसिंह बोलने के लिए खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष—You have had your say. Order Please!

श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स पर बोलते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और इस पर मुझे अवसर नहीं था, इस वास्ते मैं आवश्यक समझता हूँ कि मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलूँ।

एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर जो मेरा ऐतराज है वह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स पर है। जो अवांछनीय खर्चा हुआ वह सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, और अब सरकार सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स के द्वारा, उसको अब एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा यह मन्जूर करती है उसमें तो ऐतराज है ही और भी within scope है। जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसमें यह लिखा हुआ है:

"No money can be withdrawn from the consolidated Fund of the State except in accordance with law."

तो, मेरे यह बात समझ में नहीं आई कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स की जो राशि रखी गई है और उसमें जो स्वीकृति ली गई है वह अब तक किस कानून के द्वारा खर्च की गई? यदि खर्चा कर दिया गया बगैर एप्रोप्रियेशन बिल के पास हुए तो उस राशि का खर्च होना सर्वथा अवैधानिक था। यदि वह किसी दूसरे कन्सोलिडेटेड फण्ड में से खर्च हुई तो सर्वथा अवैधानिक थी। यदि वह राशि किसी दूसरे फण्ड से खर्च की गई तो फिर स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इसका तस्करा होना आवश्यक था। इस वास्ते, अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इस शंका के निवारण के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी इस शंका के निवारण के पहले आप यह बतलायेंगे कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इसका तस्करा क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष-(श्री टीकाराम पालीवाल से) आप शंका का निवारण कीजिए।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। ऐसा लगता है कि उन्हें शब्दों के अर्थ में थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। वह शब्द यह है :—

"No expenditure can be 'charged' to the Consolidated Fund of the State except in accordance with law, and not 'withdrawn'." We cannot read it 'no expenditure can be withdrawn.' The fact is that no expenditure can be charged to the Consolidated Fund except in accordance with law.

यह है कि प्रीवियसली एप्रोप्रियेशन बिल में इन्क्लूड (सम्मिलित) किए बिना कोई रुपया इन एक्सेस खर्च ही नहीं किया जाय। अगर ऐसा होता तो किसी गवर्नमेंट के लिए फन्कशन (function)

[श्री टीकाराम पालीवाल]

करना मुश्किल हो जाता। किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इसी गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, किसी भी राज्य के लिए ऐसा होने पर मुश्किल हो जाता फन्कशन करना; क्योंकि जो एक्सपेन्डीचर काम के दौरान में आने वाले हैं उन सबको हमेशा फोरसी (foresee) करना असम्भव है, किसी भी सरकार के लिए। कई दफा बिल्कुल अनफोर्सीन एक्सपेन्डीचर आते हैं, वह करने पड़ते हैं। इसलिए यह सप्लीमेंटरी का जो प्रोवीजन है वह ऐसी ही चीजों के लिए है कि उनको बाद में सप्लीमेंट्री ग्रान्ट से कवर (cover) कर लिया जाय। लेकिन जब तक वह सप्लीमेंट्री ग्रांट से कवर नहीं कर ली जाती, तब तक वह चार्ज नहीं की जाय। उस पर विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले खर्च किया जाता है उसके बाद दे आर चार्ज्ड आफ्टर दी एप्रोप्रियेशन बिल इज पास्ड (वे विनियोग विधेयक के पारित होने पर चार्ज होते हैं) मैं समझता हूँ कि अब कोई शंका नहीं रहेगी।

(श्री पालीवाल बोलने के लिए खड़े रहते हैं)

श्री अध्यक्ष—Reply

श्री पालीवाल—उसके बारे में जवाब में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही निवेदन करना है। आपने स्वयं ने फरमाया है कि जो पहले काम हो चुके हैं, उनके लिए ९र साल कहेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा; न सदन को लाभ होगा और न गवर्नमेंट को कोई लाभ होगा। एक बात तो मैं जरूर सही मानता हूँ...

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, यह रिप्लाई दे रहे हैं। मुझ को बोलना था।

श्री अध्यक्ष—आप बजट के समय बोल लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मुझ को बोलना था।

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

श्री पालीवाल—एक बात मैं स्वीकार करता हूँ। वह यह है कि यह सही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ लोन्स वगैरह पहली सरकारों ने दिये, तो उनके देने की जिम्मेदारी किसी तरह भी इस सरकार पर नहीं आ सकती है। यह सही है कि उनके वसूल करने की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी सम्भव उपाय हो सकते हैं, वह सब उनकी वसूली में काम में लाये जायेंगे, निश्चितरूप से।........

श्री गोपीलाल यादव—मैंने यह बात कही थी कि आप कृपा कर यह तो बतावें कि जब तक एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट न आवे, तब तक क्या आप टहर नहीं सकते, ताकि पता चल जाय कि सारी हालत क्या है?

श्री टीकाराम पालीवाल—पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी ऐसी बोडीज़ हैं जिन पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। हम उनको आदेश नहीं दे सकते। वे हमको सजेशन्स दे

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सकते हैं। वे रिपोर्ट टाइम पर सम्मिलि नहीं कर सके तो इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने जो डिमान्डस आपके सामने रखी हैं, उनका खर्चा हो चुका है। अब यह कहना कि क्योंकि उन कमेटियों की रिपोर्ट नहीं आई है; इसलिये रिपोर्ट आने पर पास किया जाय, ठीक नहीं है। ये दोनों इन्डिपेन्डेन्ट बोडीज़ (स्वतन्त्र संस्थाएँ) हैं और हाउस के अधीन हैं। हम उनको आदेश नहीं दे सकते। वे हमको सुझाव दे सकती हैं। इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं आती। रिपोर्ट नहीं पेश होने पर भी इसे पास करने में कोई अड़चन नहीं आती।

श्री अध्यक्ष—So, I put the question. "The question is, that the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the Service of the year ending on the 31st day of March, 1954, be taken into consideration."

(स्वीकृत)

The Bill is taken into consideration.

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

Now, we come to general discussions on the Budget.

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, हमारे इस सदन में आज यह तीसरा मौका है, जबकि विधान सभा होने के बाद से हमारे राज्य का बजट यहाँ पेश किया गया है। इन तीन अवसरों पर भिन्न-भिन्न वित्त मंत्री महोदयों ने बजट पेश किया, इन वित्त मन्त्रियों की एक दूसरे से तुलना करना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कहना काफी समझूँगा कि...

श्री अध्यक्ष—Compare the Budgets rather than the personalities.

कुँवर श्री जसवन्त सिंह—(भाषण जारी रखते हुए) इसलिये मैं इतना ही कहना काफी समझूँगा कि मौजूदा बजट ऐसा है जैसा कि एक व्यावहारिक और पुराने शासक द्वारा बजट पेश किया गया हो। हमें बहुत कुछ आँकड़े, सामान व मसाले इस साल के बजट में दिये गये हैं, जिससे हम

[कुँवर श्री जसवन्तसिंह]

भली प्रकार से इस बात को जान सकते हैं कि हमारी फाइनेन्शियल पोजिशन क्या है? इसके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को बधाई देता हूँ।

जिस प्रकार हमें माली हालत बजट में दिखाई गई है उसका संक्षेप में मैं वर्णन करना चाहता हूँ। वह यह बात है कि हमारा ओपनिंग बेलेंस ५८ लाख रुपया था। साधारण आमदनी २१ करोड़ ५५ लाख रुपये हैं। लेकिन, इस साधारण आमदनी में अस्थायी आमदनी शामिल है, गैर मामूली आमदनी भी शामिल है और भारत सरकार द्वारा नोन रेकरिंग (non-recurring) रुपये दिये गये हैं वह भी शामिल है। और जो खर्च साधारण बजट में दिया गया है वह भी २१ करोड़ ५५ लाख और ११ हजार है इसके माने यह है कि जितनी हमारी आमदनी है उतना ही खर्चा होगा। सारी दुनिया में शायद हमारा राजस्थान ही एक ऐसी रियासत होगी, जहाँ आमदनी और खर्च बिल्कुल बराबर दिखाये गये हैं। एक बार पहले भी ऐसा मौका दिया गया है। मैं ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका को सिफारिश करूंगा कि वे हमारे राजस्थान में आकर बजट बनाना सीखें। केपिटल एक्सपेन्डिचर, पब्लिक डेट और पब्लिक अकाउन्ट इन तीनों को ध्यान में रखते हुये हमारा क्लोजिंग बेलेन्स ४६ लाख और ६६ हजार रुपए रहेगा। हमारे इन्वेस्टमेंट की पोजिशन इस प्रकार बताई गई है कि राजस्थान बनने पर हमें १६ करोड़ ३७ लाख २७ हजार रुपया प्राप्त हुआ था। १ करोड़ २४ लाख रुपया ट्रस्ट फण्ड था और बेलेंस का १८ करोड़ १२ लाख रुपया हमें प्राप्त हुआ राजस्थान बनने पर। १ अप्रेल, १६५४ को बताया गया है कि हमारे पास १४ करोड़ ७६ लाख रुपया इन्वेस्टमेंट में मौजूद रहेंगे। यह अच्छी तस्वीर दिखाई गई है। लेकिन इस तसवीर के पीछे के हिस्से की ओर जाना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि १४ करोड़ रुपए अब जो ५ वर्ष के बाद रहेंगे उनमें से १२ करोड़ रुपए इम्पीरियल बैंक में गिरवी रख लिए गए हैं। ८ करोड़ ३० लाख रुपयों के ओवर ड्राफ्ट्स बैंक से लिए जा चुके हैं। जो तसवीर हमने पहले देखी थी और उससे जो, आशा दिखाई दी थी, वह अब निराशा में परिणत होगई है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह बताया था कि आमदनी के अधिकांश साधन: रेल, तार, डाक, टेलीफोन आदि हाथ से निकल गए हैं, इसलिये आमदनी के साधन कम रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत पुरानी रियासतों का तजुरबा रखता हूँ, इसलिये उसके आधार पर कह सकता हूँ कि आपके इस बयान से मैं इत्तफाक नहीं रख सकता। मैं नहीं कह सकता कि सिवाय रेलवे के, जो पुरानी राजस्थान की रियासत के पास थी, डाक, तार, टेलीफोन तो सदा से ही केन्द्र के ही हाथ में थे या उन पर हमेशा सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कब्जा था। पता नहीं मंत्रीजी को ये फेक्ट्स फाइनेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं या ये विचार उनके खुद के हैं। मुमकिन है पुरानी जयपुर रियासत में डाक का महकमा था जिससे अधिक से अधिक एक, डेढ़ लाख की आमदनी होती होगी। दूसरी जगह लोकल टेलीफोन होंगे जिनकी आमदनी बहुत मामूली होगी: क्योंकि आमदनी तो ट्रंक टेलीफोन से होती है और वे सब भारत सरकार के आधीन थे। तब, यह कहना कि हमारे आमदनी के अधिकांश साधन हाथ से निकल गए, यह ठीक

[कुँवर श्री जसवन्तसिंह]

नहीं है; क्योंकि सिवाय रेल की आमदनी के जिनकी नेट आमदनी २॥ या ३ करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती थी, और कोई आमदनी इन सीगों से नहीं थी।

इसके विपरीत हमें मालूम है कि राजस्थान की रियासतों पर सबसे ज्यादा भार फौज का था जो इण्डियन स्टेट फोर्सेज़ कहलाती थीं और वह भार करीब ५ करोड़ रुपए का उस समय था जब कि राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ था। वह सब भार केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसी हालत में मैं सदन से अर्ज करूंगा कि वित्त मन्त्री जी का यह बयान कि अधिकांश आमदनी के साधन हाथ से चले गये हैं कहाँ तक दुरूस्त है, यह मैं सदन के मेम्बरों के लिये छोड़ता हूँ। आगे चल कर वित्त मन्त्री जी ने बताया कि ऊँचे स्तर पर पहुँचने के लिये, जो 'ए' क्लास या 'बी' क्लास की भी अच्छी-अच्छी स्टेट्स जैसे ट्रावनकोर-कोचीन, मैसूर वगैरह हैं, रुपये खर्च करना आवश्यक है। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस बयान से इत्तफाक नहीं कर सकता। आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे आपका ऊँचा स्तर नहीं बन सकता। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि हमारी सरकार का जितना खर्च हो रहा है वह बेजा तौर पर हो रहा है। जहाँ खर्च करने की जरूरत है, वहाँ कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा है और जहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन स्तर जो है वह अन्य जन-हित के कार्यों से बनता है। लेकिन ज्यादा खर्च करके स्तर ऊँचा उठाना सही नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमें ऊँचा स्तर बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐफिसियेन्सी लानी पड़ेगी और कॉम्युनल फीलिंग (Communal feeling) जो हमारे राजस्थान में दुर्भाग्य से ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है और उसे जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसे खत्म करना चाहिये। और दूसरी बातों में राजस्थान को सुधारें और जनता का सहयोग प्राप्त करेंगे तभी स्तर ऊँचा उठ सकता है और एकदिन ऐसा भी आ सकता है जब हम उनसे भी आगे जा सकें।

लेकिन केवल अधिक व्यय करके हम अपना स्तर ऊंचा नहीं बना सकेंगे, यह मेरी राय है।

अब आमदनी हमारे राज्य में अधिक करने के लिए हमें जरिये ढूँढ़ने हैं कि क्या जरिये हो सकते हैं।

मौजूदा सेशन में दो नये कर हम लोगों के सामने लाये गये हैं जो कि इस सदन द्वारा पास किए जाने के लिए हैं। एक तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स है जो गई साल पास हो गया था, लेकिन इस साल से लागू होगा और इस साल जो आमदनी होगी वह इस साल में शामिल होगी।

दूसरा कर सेल्स टैक्स है जो कि हम इस साल अपनी बजट की आमदनी में देखना चाहते हैं। सेल्स टैक्स के लिए मुझे यह कहना है कि मल्टीपल पोइन्ट से राजस्थान की जनता पर लगाना चाहते हैं। मैं खयाल करता हूँ, मुमकिन है कि मेरा खयाल गलत हो, इसमें बड़ी आसानी से सफलता

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

मिलनी मुश्किल है क्योंकि हमारे राजस्थान में कर तो जितने भी हम खयाल कर सकते हैं हर प्रकार के पूरे लग गये हैं; या तो राजस्थान सरकार द्वारा लगा दिये गये है या केन्द्रीय सरकार द्वारा लगा दिये गये हैं। हम तुलना करते हैं वेस्टर्न कन्ट्रीज़ (पश्चिमी देशों) की तो वहाँ कितने-कितने कार्य जनता के लिए किए जा रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य से वेस्टर्न कन्ट्रीज़ से हम कर लगाना तो सीख गये हैं पर जनता का फायदा करना नहीं सीखे हैं। जब तक यह नहीं करेंगे, जनता को फायदे नहीं पहुँचायेंगे तब तक यही हालत रहेगी, हमारा स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता और ये कर जनता को बुरे लगेंगे, जिस तरह कि आज वे जनता को बुरे लग रहे हैं

मल्टीपल पोइन्ट सेल्स टैक्स (multple point sales tax) का प्रिन्सिपल जो इसमें रखा गया है वह गलत है। सेल्स टैक्स की आमदनी की जो रकम इस बजट में लगाई है उसके बारे में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि वह मिल नहीं सकेगी। आपकी आखिर में आंख खुलेंगी कि यह हमने बड़ी भारी गलती की। बम्बई में सबसे बड़ा स्ट्रोंग होल्ड सरकार का है, ऐसी स्ट्रोंग सरकार को भी वहाँ की जनता के सामने सर झुकाना पड़ा। इस तरह मुझे दुख है कि इस सेल्स टैक्स के मुतल्लिक राजस्थान में, सारे राजस्थान में एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू नहीं हो जाय। अगर जनता का सारे राजस्थान में आन्दोलन शुरू हो गया तो मैं अपनी सरकार को इतनी ताकतवर नहीं समझता कि वह सारे राजस्थान के आन्दोलन को दबा दे।

तो इस तरह सेल्स टैक्स में जो रुपया बताया गया है वह तो निरर्थक है, अभी आप उसको वसूल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप सेल्स टैक्स के प्रिन्सिपल्स को नहीं बदलेंगे।

आमदनी का सबसे बड़ा जो दूसरा जरिया है वह जकात का है, यानि कस्टम्स का। ३ करोड़ ५४ लाख रुपये इस साल के बताये गए हैं। फेडरल फाइनेन्शियल एग्रीमेंट (Federal Financial Agreement) के माफिक यह कस्टम ड्युटी अगले साल तक बिल्कुल चली जानी चाहिए थी। यह चौथा साल है जिसमें ४/५ (चार बटा पाँच) हिस्सा कम कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु हमारी माली हालत जो राजस्थान सरकार की है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कम नहीं किया है और जनता को कोई राहत नहीं दी गई है।

लेकिन अपने भाषण में वित्त मन्त्री जी ने बताया है कि जहाँ सेल्स टेक्स लगाया जायगा वहाँ जकात में स्केलिंग डाउन दी टैरिफ (scaling down the tariff) करेंगे, वहाँ कस्टम ड्युटी नहीं हटाई जायगी। यह कोई न्याय की बात नहीं हैं और फेडरल फाइनेन्शियल ओर्गेनाइजेशन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह भी कोई सराहनीय कार्य इस बजट में हमारी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

तीसरी जो बहुत बड़ी रकम आमदनी की हमारे बजट में रखी गई है वह आबकारी की है। इसकी आय की रकम बजट में २ करोड़ ४० लाख रुपया रखी गई है, जो शराब की १ करोड़ ५४ लाख ६५ हजार की आमदनी बजट में दिखाई गई हैं। इस एक्साइज ड्युटि को खुलासा करते हुए

Page No.46

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हमें वित्त मन्त्रीजी ने बताया है कि इस साल शराब की बिक्री में कुछ कमी हो गई है। इसके दो कारण बताये हैं कि एक तो शराब की कीमत ज्यादा कर दी गई है। ज्यादा कीमत कर देने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर उनको ज्यादा कीमत लगानी थी तो पहले ही सोच-समझ कर कार्य करना चाहिये था, दूसरों पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, यह सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा कारण यह बताया गया है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन (illicit distillation) बढ़ जाने के कारण आमदनी कम हुई है। मैं नहीं कह सकता कि इस तरह कोई भी शासक कह सकता है कि इल्लिसिट डिस्टिलिशन के कारण हमारी आमदनी घट गई, हमारी आमदनी का जरिया कम हो गया। अगर कोई सरकार यह कहे कि हमारी आमदनी इसलिए कम हो गई क्योंकि इल्लिसिट डिस्टिलेशन है, तो यह सरकार की ही बदइन्तज़ामी है, इसके लिए सरकार की सराहना नहीं की जा सकती। इसको दबाने के लिए क्या चेष्टा की गई है? मैं तो कहता हूँ कि जो कुछ चेष्टा की गई है वह यह है कि एन्टी स्मगलिंग डिपार्टमेंट को काम सौंप दिया गया है। लेकिन यह इल्लिसिट डिस्टिलेशन होना सरकार की कमजोरी है, मुझे माफ करें यदि मैं यह कहूँ कि यह सरकार की अयोग्यता है ऐसे काम को न करने की, जिनके करने की जिम्मेदारी सरकार पर है।

यह भी मैं कह सकता हूँ कि यह जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन चल रहा है इसके चलने का कारण, जरिया सरकार के ऑफिसर्स हैं। उनके अधिकारी इस काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं क्योंकि इससे उनको बहुत बड़ा फायदा है। सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। अगर सरकार चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि वे हैं आपके इन्स्पेक्टर, डिप्टी इन्स्पेक्टर और एसिस्टेन्ट कमिश्नर एक्साइज़। उनकी हरेक की इल्लिसिट डिस्टिलेशन के लिए या इल्लिसिट एक्सपोर्ट के लिए रकम बंधी हुई है। एक इन्स्पेक्टर को इससे एक महिने का एक हजार रुपया मिलता है। अगर इसका चेलेंज एक्सेप्ट करें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री —I will be very glad to know the facts but it is a very wide statement.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I am very glad that you would do this.

सरदार गुरुदयाल सिंह यहाँ नहीं है, पर चौधरी मोतीलाल यहाँ हैं। उनको मालूम है, वे ताईद करेंगे या नहीं, सही बात कहेंगे या नहीं कि गंगानगर में इन्स्पेक्टर के एक हजार रुपया बंधा हुआ है, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के डेढ़ दो हजार रुपया बंधा हुआ है। जिनको १५० रुपया माहवार तनख्वाह मिलती है उन इन्स्पेक्टर आदि के डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार रुपया बंधा हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि एक्साइज़ इन्सपेक्टर १५० रुपये में नोकर होने के लिये इतना खुश और दौड़-धूप क्यों करता है? वह इसीलिये कि उसकी दूसरी इन्कम के ज़रिये, माहवारी आय हजारों की तादाद में है। जब हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें करते हैं तो फिर इसको क्यों नहीं रोका जाता। लेकिन आज मैं खुले आम, माननीय अध्यक्ष, आपके ज़रिये यह बतला देना चाहता हूँ और यह बात छुपी नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठाने में बहुत

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

जोर पड़ेगा और वह उठा नहीं सकेगी जब तक कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन के सदस्यों का एक बोर्ड नियुक्त न करदे जिसमें ऑपोज़िशन के सदस्य भी हों। उस बोर्ड को अगर पूरे अधिकार दें तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऊँचे से नीचे तक जो भी अफसर और दूसरे व्यक्तियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह मिट सकता है। एन्टीकरपशन डिपार्टमेंट (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग) वाले भी करप्शन में शामिल हो जाते हैं। इसलिये यह करप्शन कभी नहीं मिट सकता जब तक कि लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों का एक एन्टी करेप्शन बोर्ड आप मुकर्रर न कर दें। यदि आप बोर्ड कायम कर देंगे तो यह करप्शन जिसको आप दिन और रात मिटाने की कोशिश करते हैं और जनता भी मिटाना चाहती है, मिट सकता है।

अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह कि सरकार की आमदनी है उसको हासिल करने में भी मैं समझता हूँ कि सरकार का बहुत कुछ दोष है और नेग्लीजेन्स (negligence) और लापरवाही है। मैं इस सम्बन्ध में बहुत से आइटम्स बताऊँगा और अगर सरकार एफिशिएन्ट हो तो वह आसानी से रिअलाइज़ की जा सकती है और मैं अब आपका ध्यान उन मदों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

हमको बजट में दिखलाया गया है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की रकम ४८ लाख है। लेकिन १८ लाख रुपया जो इन्कमटैक्स का हमको रिफन्ड होने वाला नहीं है वह भी कई सालों से रिफन्ड नहीं हो पाया है। पर पैसा तो भारत सरकार से मिल सकता है, मगर लिखा-पढ़ी करने की कमी है इसीलिये यह नहीं मिलो है। यदि अफसर योग्यता से काम करते तो यह १८-२० लाख रुपयों की रकम जो हमारी लापरवाही से हमें भारत सरकार से नहीं मिल पाई है कभी की मिल गई होती। जबकि हमारी माली हालत बहुत खराब है तो हमारी रकमें हासिल करने के लिए जल्दी क्यों नहीं कदम उठाते ?

इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिक विभाग की स्कीम में भी बताया गया है कि हमारी आमदनी एक करोड़ और पाँच लाख है लेकिन खर्चा १ करोड़ ११ लाख रुपये का आया, यानि इलेक्ट्रिक स्कीम में भी हमको करीब ६ लाख का घाटा ही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के एन्टरप्राइज (enterpris) जितने भी हैं वे मुश्किल से लाभ के होते हैं। गवर्नमेंट उतना फायदा नहीं उठा सकती जितना कि प्राइवेट कम्पनीज़ उठा सकती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के कई ओवर हेड चार्जेज़ (overhead charges) आदि हो जाते हैं। यह एक बहुत ताज्जुब की बात है, दुख की बात तो नहीं कह सकते और कहने की जरूरत भी नहीं कि इसमें भी हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस साल ६ लाख का घाटा बताया गया है।

दूसरा पोइन्ट जिसमें कि हमारी लापरवाही से रुपया नहीं मिल रहा है वह है इलेक्शन। इलेक्शन का जो भी खर्चा होता है वह ५० प्रतिशत भारत सरकार और ५० प्रतिशत राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ता है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दो-तीन सालों

[कुँ०श्री जसवन्तसिंह]

से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का जो हिस्सा है उसे हम रिकवर (वसूल) नहीं कर सके हैं। यह नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास रकम नहीं होने की वजह से नहीं मिला हो। लेकिन हम इसका हिसाब कि हमने कितना खर्च किया, किन-किन पर ऑडिट ऑब्जेक्शन है उसका स्टेटमेंट भारत सरकार के पास अभी तक नहीं भेज सके हैं। हमारे पास ऐसे योग्य अफसर नहीं हैं क्या? इसमें भी आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह रकम १९५१-५२ की भारत सरकार से लेनी है। सिर्फ यह हमारी अयोग्यता और लापरवाही से रिकवर नहीं हो पाये हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तीसरी बात, जिसके देखने से अफसोस भी हुआ और ताज्जुब भी हुआ वह है फौजों का मामला। ७ अप्रेल, १९४९ को इन्डियन स्टेट्स का एकीकरण हुआ। उसके थोड़े ही दिनों बाद फौजों का भी एकीकरण हुआ और कुछ समय के लिए फौजें राजप्रमुख के अधीन रहीं। उसका १९४९-५० का हमारा ५० लाख का क्लेम भारत सरकार के विरुद्ध अभी तक रियलाइज़ नहीं किया गया। यह हमारी कमजोरी है और अयोग्यता भी। यह राजस्थान सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट पर कितना बड़ा धब्बा है?

बजट में आगे हम देखते हैं तो हमें दिखाया गया है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स से हमारी आमदनी २ लाख ९१ हजार यानि करीब ३ लाख है। आप कोर्ट ऑफ वार्ड्स से आमदनी कर सकते हैं। लेकिन क्या सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वे वार्ड्स के लिये कुछ न करें, उनको लूटते ही चले जावें? कोर्ट ऑफ वार्ड्स में निर्धन अबलाएं हैं, बच्चे हैं; उनको लूटना नहीं चाहिये। सरकार उनसे ३ लाख रुपये उनके ठिकानों से ले लेती है, उनके प्रति गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का जो व्यवहार है, मेरा अधिकारियों से मतलब मिनिस्टरों से नहीं है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि मैं यह कहूँगा कि अगर पत्थर का भी किसी के हृदय हो तो वह भी उनके साथ किये गये व्यवहार को देख कर पिघल जाता है मगर सरकार के अधिकारियों का दिल नहीं पिघलता, यह बड़े ताज्जुब की बात है।

हाल ही में कोर्ट ऑफ वार्ड्स का काम रेवेन्यू बोर्ड को सुपुर्द किया गया है। २० हजार की ऊपर की आमदनी के ठिकाने सीधे रेवेन्यू बोर्ड के अधीन हैं। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन यहाँ हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी अपने इन ठिकानों में से किसी ठिकाने का मुआयना किया? कभी एक साल में एक दफे भी मुआयना किया है और कभी यह देखा है कि बेवाएं, बच्चे, जो ओर्फन्स (orphans) हैं, जिनके लिये सरकार के अलावा दूसरा कोई नहीं; उनके पास जीविका के क्या साधन हैं? वे भूखों मरते हैं या नहीं? मैं समझता हूँ कि कभी जाकर किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा।

बीकानेर में श्रीधमुख नामक तहसील नोहर में ३०-४० हजार की आमदनी का एक ठिकाना है। ठिकाने के पास खजाने में पैसा है। एक विधवा स्त्री है, एक बच्चा है और एक उसके

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

बहिन है जिसकी उम्र करीब १० साल की है; जिसको डाक्टरों ने कह दिया है कि उसको टी. बी. के रोग की आशंका है। उसका इलाज कराने की जरूरत है । हम लोगों को मालूम हुआ तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ऑफीसर तो क्या, कलेक्टर आदि के पास जाकर १००)-५०) रुपयों के लिये माँग की लेकिन सभी ने रुपये देने से इन्कार कर दिया। उसका इलाज फौरन होना चाहिये था। मगर १२ महिनों तक एक पैसा भी सरकार ने उसके इलाज के लिये नहीं दिया और कहा कि बजट में पैसा नहीं रखा हुआ है। उसने घर-घर जा कर पाँच-पाँच रुपये, दो-दो रुपये की भीख माँगी। पाँच रुपये मैंने दिये, पाँच किसी ने दिये, दो किसी ने दिये इस प्रकार रुपया माँग कर उसका इलाज कराया। लेकिन हमारी सरकार का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था कि उसने एक पैसा भी नहीं दिया। यदि सरकार इस तरह की नीति अभी तक बरतती है या बरतेगी तो मैं यह कहूँगा कि इससे लोगों की क्या सहानुभूति होगी? हम लोग तो राजनैतिक विरोधी हैं, उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमसे लड़ें और अगर आप बदला लेना भी चाहें तो हम लड़ने की ताकत रखते हैं; लेकिन अबलाओं के साथ अगर आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि यह सरकार राजस्थान में टिकने वाली नहीं है। अबलाओं और बच्चों के साथ आपका इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता।

अभी पिछले अकाल में, मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान सरकार द्वारा यह हुक्म हुआ कि कोई रकम वसूल नहीं की जावे और वह रकम नहीं उगाई गई। राजस्थान सरकार के इस आदेशानुसार कोर्ट आफ वार्ड्स ने भी रकम नहीं उगाई और उधर अबलाओं और बच्चों को हाथ-खर्च के भी नहीं दिये और यह कहा गया कि उनके पास बजट में उनको देने के लिये पैसा नहीं है।

(विराम)

तो पिछले दो सालों में उनके साथ क्या बीती है उसको मैं यहाँ कहने की जरूरत नहीं समझता और उसका कोई फल भी नहीं निकलेगा, यह भी मैं समझता हूँ। मैं खुद कमिश्नर, बीकानेर, श्री हेतुदानजी जो इस समय जोधपुर या कहीं और हैं, किन्तु पहले वे कमिश्नर बीकानेर थे, के पास कितनी ही दफा उन रोती हुई बेवाओं को ले गया जिनके पास सुबह का खाना था तो शाम का खाना नहीं था और शाम का खाना था तो सुबह का नहीं था। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि इस डेमोक्रेसी के वक्त में भी ब्युरोक्रेटिक जवाब दिया कि हम क्या करें बजट में रुपया नहीं है। जब कि इधर तीन लाख रुपया बजट में आमदनी दिखा रखी है और उधर वार्ड्स के साथ, अबलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। यह सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इसके कहने में मुझे भी बड़ा दुख होता है। पिछले साल इसी बजट सेशन में जब मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कई दफा कहा था तो उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि उनको रुपया भेज दिया जवेगा; यह कर दिया जावेगा, वह कर दिया जावेगा। सदन में यहाँ तक भी बात हुई और मैंने सदन के सामने इसको भी रखा कि इस कार्य के लिए हम लोगों में से एक कन्सलटेटिव बोर्ड बना दिया जाय और वह बोर्ड चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या कमिश्नर के लेवल पर हो और हम उनको बतावें कि वार्ड्स के साथ इस तरह से बर्ताव करें। इस प्रकार की एक तजवीज रखी गई थी, किन्तु आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

इस तरह से मैंने कहा कि आमदनी के जरिये हो सकते थे और ज्यादा हम रकम ले सकते थे किन्तु हमारी लापरवाही से हम नहीं ले सके। अब मैं कुछ ऐसे सीगों पर दो-चार बातें कहना चाहूँगा जहाँ पर हम बहुत हद तक फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमारे मौजूदा वित्त मन्त्री ध्यान देंगे। पिछली दफा जो जो तजवीजें हमने की थीं और जो जो एश्योरेन्स (वादे) हमें दिये गये थे उस विषय में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार सदन में जो एश्योरेन्स देना चाहे दे सकती है किन्तु होता क्या है कि वे एश्योरेन्स ज्योंही सदन की कार्यवाही समाप्त होती है, डिपार्टमेन्ट्स की फाइलों में बन्द हो जाते हैं और उन फाइलों पर गाँठ लगा दी जाती है। अब सदन वापिस मिलता है तो उन फाइलों की गांठ खोली जाती है और वे एश्योरेन्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस साल आप (वित्त मन्त्री) जरूर ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

मैं आपका फिजूल खर्ची की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उन मदों को लेना चाहता हूँ जिनमें फिजूल खर्ची हो रही है। सबसे पहले एक तरफ यहाँ के राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद की ओर चले जाइये। मैं सबसे पहले उस ऑफिस के खर्चे की ओर आऊँगा। हमारे राजस्थान की आमदनी को देखते हुए, जैसी कि २१ करोड़ रुपये की आमदनी बतायी गई है, हालांकि सही आमदनी नोर्मल रेवेन्यू इनकम (normal revenue income) करीब १८ करोड़ मानता हूँ लेकिन एक्स्ट्रा इनकम और नोन रेकरिंग अमाउन्ट मिलाकर २१ करोड़ हो गई है, हैड ओफ दी स्टेट पर हमारी १८ करोड़ की नोर्मल रेवेन्यू को देखते हुए १३ लाख और ५० हजार रुपया पड़ता है। यह किस तरह से पड़ता है, यह भी मैं आपको बताना चहूँगा। हैड ओफ दी स्टेट हमारे राजस्थान में तीन महानुभाव हैं। एक महाराज प्रमुख, एक राजप्रमुख और एक उपराजप्रमुख; हालांकि ओफिशियल हैड ओफ दी स्टेट राजप्रमुख ही हैं। लेकिन इस मद के नीचे ये तीन हैं। महाराज प्रमुख का अलाउन्स ६ लाख प्रतिवर्ष है, राजप्रमुख का अलाउन्स ६ लाख ५० हजार है। यह नई चीज़ हमारे सामने देखने को है कि महाराज प्रमुख को ६ लाख रुपया सालाना मिलता है जब कि राजप्रमुख को जो कि महाराज प्रमुख से केटेगरी में छोटे हैं, ६ लाख और ५० हजार रुपया सालाना अलाउन्स मिलता है और उपराज प्रमुख को १ लाख रुपया सालाना अलाउन्स मिलता है। यह उनको किस तरह से मिलता है, नहीं कहा जा सकता। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ कि जो विचार रखता है कि अगर किसी व्यक्ति से, अगर किसी शख्स से काम लेना हो तो जितना काम वह करता है, जितनी उसकी योग्यता हो उसी माफिक उसको वेतन और अलाउन्स मिलना चाहिए। मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि जो पोलिटिकल एडजस्टमेन्ट्स होते हैं उनकी पाबन्दी नहीं की जाय। एक निकोल्सन नामका बड़ा लेखक हो गया है। उन्होंने एक स्क्रेप ऑफ पेपर्स (scrap of papers) नामक किताब लिखी है। इसमें रियासतों के बीच जो संधियां हो जाती हैं वे थोड़े ही दिनों में रद्द की जाती है उसके बारे में लिखा है। मैं यह नहीं चाहता कि भारत सरकार को भी उसी का अनुकरण करना चाहिए। जहाँ तक महाराज साहब जयपुर, महाराणा साहब उदयपुर और महाराज साहब कोटा का सवाल है, उन्होंने जिस प्रकार भारत सरकार

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

के साथ अपनी रियासतें एकीकरण को पूरा करने के लिए देने का सहयोग और जिस प्रकार उन्होंने अपनी रियासतें देकर त्याग किया जिसकी प्रशंसा स्वर्गीय सरदार पटेल और हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेता करते आ रहे हैं, उनको जितना देना चाहें, दीजिये। महाराजा जयपुर को १८ लाख रुपया प्रिवी पर्स का मिलता है उसके बजाय आप २८ लाख कर दीजिये, ५८ लाख दे दीजिये और जिस वक्त में जयपुर रियासत का एकीकरण हुआ और जिस समय ४-५ करोड़ रुपया नकद इन्वेस्टमेन्ट के रूप में राजस्थान को सौंपे, उसमें से पोलिटिकल एडजस्टमेन्ट के रूप में एक-दो करोड़ भी दिये जाते तो कोई बुरा नहीं था। महाराणा साहब जिन्होंने अपनी हिस्टोरिकल स्टेट को सौंपा १० लाख के बजाय और भी कुछ दे दिया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी और इसी तरह से महाराव साहब कोटा को भी। किन्तु उनको ओफिस बियरर के रूप में जो काम सौंपा गया है और जितना वेतन और रुपया दिया जा रहा है वह अगर उस ओफिस के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो तो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। पोलिटिकल एडजस्टमेन्ट स्वयं सरदार पटेल की दूरदर्शिता से ही हुये थे, उन्होंने ही इस इमारत को खड़ा किया था। आज जिन महानुभावों के लिए इस इमारत को खड़ा किया था वे ही खुद इसको तोड़ रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि चार-पाँच साल भी यह इमारत निभेगी। ये जो पोलिटिकल एडजस्टमेन्ट्स महाराजा साहब जयपुर, महाराणा साहब उदयपुर और महाराव साहब कोटा के साथ किये हैं वे भारत सरकार द्वारा किये गये हैं, अगर राजस्थान सरकार में ताकत हो और अगर सरकार राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने का हक रख सकती हो तो भारत सरकार को कह सकती है कि खर्चा भारत सरकार को देना है और जैसा कि एग्रीमेन्ट के माफिक पोलिटिकल एडजस्मेन्ट्स हुये हैं, बन्धन भारत सरकार पर हैं; न कि राजस्थान सरकार पर। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के लिए यह जरूरी है कि जो एग्रीमेन्ट्स उन्होंने किये हैं वे उनको निभाने चाहिये। गांधी के पद-चिन्हों पर चलने वालों को स्क्रेप ओफ पेपर्स के मानने वाले नहीं बनना चाहिए। राजस्थान सरकार की माली हालत नाजुक है और माली हालत नाजुक होते हुए वह १२ लाख ५० हजार रुपयों का बोझा आगे किस तरह बर्दाश्त कर सकती है? यह जो खर्चा है उसका ताल्लुक राजस्थान सरकार से नहीं है। राजस्थान सरकार हिम्मत करके, लिखा पढ़ी करे जिससे यह खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने में, जोर डालने में राजस्थान सरकार पीछे रही है राजप्रमुख को ६ लाख ५० हजार रुपया देने का सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने किस बेसिस पर तय किया है, यह नहीं कहा जा सकता? राजस्थान सरकार अगर जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है तो उसको हक है कि वह उतना ही राजप्रमुख या हेड ओफ दी स्टेट को दे जितना कि उसकी आमदनी उसको दिला सकती है। बाकी अगर देना हो तो भारत सरकार दे। दूसरे जो प्रान्त हैं वहाँ जो गवर्नर्स हैं; जैसे मद्रास, बम्बई आदि, उनकी तनख्वाह कॉन्स्टिट्यूशन के अन्तर्गत फिक्स्ड है और उनको ५॥ हजार रुपया प्रति माह मिलता है। अलाउन्स वगैरह करके २॥-३ लाख रुपया प्रति वर्ष होता है, बम्बई में जहाँ की आमद ज्यादा है, ४-५ लाख सालाना पड़ता है। लेकिन आमद के लिहाज से सभी खर्चे होते हैं। उसी माफिक हमारी सरकार जोर दे! हमारी आमदनी के माफिक हम अलाउन्स और तनख्वाह दे सकते हैं। बाकी पोलिटिकल एडजस्टमेंट्स के लिए राजस्थान सरकार पर कोई बन्दिश नहीं हो हो सकती; वह तो केन्द्रीय सरकार पर ही हो सकती है। केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार पर किसी तरह का जोर नहीं डाल सकती।

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

दूसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ चाहे वह बात हमारे राजस्थान के मन्त्रीगण बतलावें या उनके बड़े बड़े विद्वान्, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बतलावें कि दुनिया में या हमारे भारतवर्ष में किसी हैड ऑफ दी स्टेट को, जो साल में आठ महीने बाहर रहता हो और जिसको ६॥ लाख रुपया सेलेरी के रूप में दिया जाय; हमारे राजप्रमुख साल में आठ महीना बाहर रहने के आदी हैं, वे चार महीने तो भारत से बाहर रहते हैं और बाकी के चार महीने विन्टर सीजन में बम्बई, कलकत्ता, देहली में पोलो खेलने के लिए या घुड़दौड़ के लिए जाने के आदी हैं, इस समय के अन्दर भी हम उनको साढ़े छ लाख रुपया बैराबर दे रहे हैं। अगर हमारी राजस्थान सरकार सतर्क रहती तो मैं यह कहूँगा कि उनको इस समय की, जितना समय वे बाहर रहते हैं, तनख्वाह न दी जाय। इसमें राजप्रमुख को क्या घाटा रहता है। वे देखतेहैं कि उनको जैसे आठ महीने की पूरी की पूरी तनख्वाह मिलती है तो वे बारह महीने ही बाहर रहने लगेंगे तो भी पूरी तनखा मिलेगी। इसके मुतल्लिक मैं यह बता दूँ कि हमारे जितने भी ए क्लास के गवर्नर हैं वे यदि एक महीने से ज्यादा बाहर रहते हैं या छुट्टी लेते हैं, तो उनको जो करीब साढ़े पाँच हजार रुपया मासिक मिलता है, उस समय के लिए उनकी आधी तनख्वाह कट जाती है। अगर उनको बीमारी या और किसी आवश्यक कार्यवश राज्य से बाहर रहना होता है तो वे भी एक महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। इस तरह से वे एक मास से ज्यादा अपने राज्य से बाहर भी नहीं रहने पाते हैं। अगर वे इससे ज्यादा समय के लिए बाहर रहते हैं तो उनको सिर्फ आधी ही तनख्वाह मिलती है। अगर हमें अपने राज्य की माली हालत का खयाल रखना है तो हमें कुछ कटु बातें भी राज्य में करनी पड़ेंगी। हम चाहें या न चाहें, फिर भी अगर हम व्यवहारिक शासक हैं तो हमें अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ कटु होना पड़ेगा और ऐसा होना पड़ता है। अगर हम यह सोच कर कि यह तो हमारे हैड ऑफ दी स्टेट हैं, हम क्या कर सकते हैं; अगर यह बात हमारे मन में आती है तो मैं कहूँगा कि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्त्तव्य से परे हट रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहूँ, उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राजप्रमुख को किस एग्रीमेंट के नीचे उतने दिन गैर हाजिर रहते हुए भी पूरी तनख्वाह दी जाती है? कॉवेनेन्ट के जरिये बतलाइये या कॉन्स्टीटयुशन की धारा बतलाइए, जिसके अन्तर्गत आप उनको पूरी तनख्वाह दे रहे हैं उस समय की जिस समय में वे अपने राज्य में नहीं रहते। इधर हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट, उधर भारत सरकार की फाइनेन्स मिनिस्ट्री प्रिवी पर्स पर इन्कम टेक्स लगाने पर जोर दे रही है। किन्तु हमारी सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो यदि भारत सरकार नहीं लगा रहीं है इनकम टेक्स तो कम से कम राजस्थान सरकार को तो उस हिसाब से इनकम टेक्स वसूल करना चाहिये।

सबसे बड़ी ताज्जुब की बात इस बजट को देखने से यह मालूम हुई कि महाराज प्रमुख के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी रखा गया है, जिसके खर्चे के लिए २०,४०० रुपया सालाना रखा गया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री से, जो इस समय सदन में नहीं हैं, जानना चाहता हूँ कि क्या महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरिएट से कभी एक भी फाइल निकाली गई है? वह सेक्रेटेरिएट क्या काम

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

करता है ? महाराजप्रमुख के सेक्रेटरी जो हैं उनका ग्रेड १५००) रुपया तक का रखा है; जब कि राजप्रमुख के सेक्रेटरी को जिसे २४ घंटे काम रहता है हैड ऑफ दी स्टेट की वजह से उनकी ड्यूटी २४ घंटे की मानी जाती है, केवल ७५०) रुपये का वेतन रखा गया है और महाराजप्रमुख के सेक्रेटरी को १५००) रुपया मासिक मिलता है। किस एग्रीमेंट के जरिये, किस बुनियाद पर यह ऑफिस कायम किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार की एक फाइल भी नहीं निकली हो ? अगर आप इस बीस हजार रुपये को बहुत कम समझते हैं तो आप चाहे जहाँ इसे फेंक सकते हैं। और भी बहुत से योग्य आदमी आपको मिल सकते हैं यदि आप इस तरह से रुपया बहना चाहें तो; जिसके लिए कोई बेसिस नहीं जिसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं। जिस ऑफिस से एक भी फाइल आज तक न निकली हो उसके ऊपर इतना रुपया खर्च क्यों किया जाय ? मुझे ताज्जुब होता है हर साल यह रकम बढ़ाकर रखी जाती है। गत साल १६ हजार रुपया था, आज यह २०,४००) रुपया हो गया है; इस तरह से यह आगे भी बढ़ती रहेगी। महाराज प्रमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आप यह कह सकते हैं कि उनको जो पेन्शन मिलती है, वह वेतन से बाद दे दी जाती है, इस तरह से उनको ८०० रुपया ही देना पड़ता है। किन्तु जब थोड़े समय के बाद वे पद को छोड़ देंगे या रिटायर हो जायेंगे उस वक्त उस जगह पर नई नियुक्ति होगी, उसको तो आपको १५०० के ग्रेड का वेतन देना होगा। हमारे वित्त मन्त्री जो एक मशहूर शासक प्रमाणित हो चुके हैं यह मैं सही बात कह रहा हूँ, उनकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनको सीरियसली इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये; इस तरह से हम जो अपना १०-१५ लाख रुपये की रकम सिर्फ लकीर के फकीर होने के नाते खर्च कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। हमें भारत सरकार को यह कहने के लिए तैयार रहना चाहिये कि जो रुपया आप देना चाहें दें, किन्तु इस रुपये के लिये राजस्थान सरकार की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं। काम जरूर मुश्किल है, किन्तु राजस्थान सरकार चाहे तो इसमें सफलता प्राप्त कर सकती है।

महाराज प्रमुख महाराणा साहब उदयपुर के लिए चेरिटी के लिए पाँच लाख रुपये दिये जाने के लिए बजट में रखे हैं। हो सकता है, महाराणा साहब ने इस राज्य के निर्माण में बहुत त्याग किया हो, आप उनको ५ की बजाय १५ लाख दीजिये, किन्तु इससे राजस्थान सरकार का क्या ताल्लुक है ? जिस प्रकार करोड़ों रुपया जो प्रीवी पर्स का होता है वह केन्द्रीय सरकार देती है, हमें तो कुल ७ या ८ लाख रुपया ही देना पड़ता है। उसी प्रकार यह जो पाँच लाख रुपया आप चेरिटी के लिए देना चाहते हैं, उन रुपयों का बोझा राजस्थान सरकार पर नहीं पड़ना चाहिये। जिस प्रकार प्रिवी पर्स की रकम केन्द्रीय सरकार देती है यह पाँच लाख रुपया भी वही दे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिये ?

अब मैं एक बड़े रोचक (इन्टरेस्टिंग) विषय पर आता हूँ और वह विषय है हमारे माननीय मन्त्रीगण। वे बहुत बड़े ओहदेदार हैं। राजस्थान की जनता का बोझा उनके कन्धो पर पड़ा है, बड़े-बड़े उनके कन्धे हैं। उनके बोझ से वे सिटपिटाते नहीं हैं, यह मैं भी जानता हूँ। वे भी जिस तरह से राजाओं ने त्याग किया, अपने सिद्धान्तों के लिए त्याग कर चुके हैं। जब हम हमारी राज्य की माली हालत का ख्याल कर रहे हैं तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हमें

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

इन राज्य के कर्णधारों की ओर ध्यान देना जरूरी मालूम देता है । जिनकी तनख्वाह का जहाँ तक सवाल है मैं कहता हूँ कि हजार रुपये ज्यादा नहीं है। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो यह मानकर चलते हैं कि योग्यता के अनुसार ही तनख्वाह मिलनी चाहिये। इसके अलावा दूसरी बातें भी बहुत सी हैं जो इस सदन द्वारा बुरी कही जा सकती हैं, जिनको आम जनता पसन्द नहीं करती और न विधान सभा में बैठे हुए इस पक्ष के लोग पसन्द करते हैं। अगर सच पूछा जाय तो उस पक्ष की ओर के भी बहुत से सदस्य इन बातों को पसन्द नहीं करते । आज पार्टी व्हिप के कारण उनको साथ देना पड़ता है । सब से बड़ी बात जिसकी पब्लिक प्लेटफार्म पर आलोचना होती है, जिस बात के लिए हमारे मुख्य मन्त्री बार-बार चेलेन्ज देते हैं कि यह बात सही नहीं है, वह यह है कि एक मिनिस्टर पर महीने के पाँच हजार रुपये खर्च होते हैं। मैं गवर्नमेंट के डॉक्युमेन्ट्स से प्रमाणित कर सकता हूँ यदि वे सही रूप में रखे जाँय तो, कि एक महीने में एक मिनिस्टर पर पाँच हजार रुपया खर्च पड़ रहा है।

इनका पता चल सकता है डोक्युमेन्ट्स पेश किये जावें तो। तनख्वाह के बदले हजार के बजाय पन्द्रह सौ हो सकते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। पर, दूसरा जो खर्चा हो रहा है वह बहुत ऐतराज की बात है।

एक तो है इनके दौरे। इन दौरों से कोई खास सफलता नहीं मिलती । यह तो नहीं कहता कि सभी के दौरों के बारे में यही बात है, पर अधिक दौरों का यही हाल है कि जिन कार्यों के लिए वे जाते हैं, उन कामों में न तो सफलता ही मिलती है और न प्रशंसा। बल्कि इसके बदले में एक टेल आफ हैट्रेड और बिटरनैस वहाँ के लोगों में वे छोड़कर आते हैं। उनके दौरों में आम तौर पर यह देखने में आता है और यह बड़े खेद की बात है कि जहाँ कहीं ये मन्त्री पहुँच गये, एक-दो की बात मैं छोड़ देता हूँ, सभी ऐसे नहीं हैं, वैसे पाँचों उंगलियाँ भी बराबर नहीं होतीं, पर कुछ मन्त्रियों के लिए ऐसा है कि वे दौरों पर निकलते ही रहते हैं और इसके बाद जब दौरा करके उस क्षेत्र से आते हैं तो पीछे उस क्षेत्र के लोगों में एक टेल आफ हैट्रेड और बिटरनैस छोड़कर आते हैं।

यह क्यों है ? यह हमारी आज की राजनैतिक दृष्टिकोण की खामी समझिये या हमारे पोलिटिकल डिफरेन्सेज़ की बात समझें। पर, यह एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये मन्त्री लोग पहुँचे वहाँ पर सिवाय इनकी पार्टी के सदस्यों के और किसी से संपर्क नहीं रहने पाता। कभी किसी किसान से या किसी और व्यक्ति से न ये मिलते हैं, न मोका देते हैं व न मामूली तौर पर यह तसल्ली ही दे पाते हैं कि ठीक है तुम्हारे मामले पर कागज देखकर गौर करेंगे, बल्कि मेरा ऐसा खयाल है कि जब वे वहाँ से वापिस लौटते हैं तो टेल आफ बिटरनैस और हेट्रेड छोड़कर आते हैं। इसके विपरीत दूसरे ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी हैं, दूसरे अफसर हैं—वे जब जाते हैं तो, वे आम जनता से दोस्ताना बर्ताव करते हैं, सब की सुनते हैं, जो ठीक होता है वह करते हैं और नहीं हुआ तो अच्छी तरह से समझाने की उसे कोशिश करते हैं, खुद

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

मामले को समझते हैं और दूसरों को अच्छी तरह से समझाते हैं और जाने के बाद पीछे मित्र-भाव छोड़ कर जाते हैं। यह बरताव है एक तरफ तो इस डेमोक्रेसी के कर्णधार कहे जाने वाले इन सरकार के मन्त्री महोदयों का और दूसरी तरफ यह बरताव है उन सरकारी अधिकारियों का जिनको ब्युरोक्रेटिक कहा जाता है अथवा जो भी आप उन्हें कहते हैं। तो यह आज के हमारे इन मन्त्री महोदयों का जनता के साथ बर्ताव है। यह उनको सफलता देने वाली बात नहीं है। मैं उनको अपने मित्र के नाते और एक बार सहयोगी भी रह चुका हूँ इस नाते निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको अपना रवैया और अपना बर्ताव उन लोगों के साथ भी, जो कि उनकी पार्टी के नहीं है अच्छा करना पड़ेगा, उनके साथ भी उन्हें बहुत अच्छा बर्ताव उन्हें करना चाहिये, अगर हमें डेमोक्रेसी को सफल करना है तो। अगर आप यह सोचें कि देश का कुछ भी हो, इस डेमोक्रेसी का कुछ भी बने-बिगड़े आप तो अपना ही बर्ताव रखेंगे, तो यह दूसरी बात है।

तो कम से कम इस दुर्भावना को कम करने की दृष्टि से भी सभी मन्त्रियों के लिए यह जरूरी है कि जितना कम वे दोरा करें उतना ही अच्छा हो। उससे वे अधिक समय यहाँ दफतरों में दे सकेंगे, राजस्थान का काम अच्छा होगा और लाखों रुपया राजस्थान का जो इनके टी. ए., डी. ए. में खर्च होता है वह बहुत हद तक बच जावेगा।

और तीसरी बात जो है वह है हमारे मन्त्री महोदयों की मोटर कारें। ये हमारे मन्त्रियों के लिए हमेशा झगड़े की चीज रही हैं; हालांकि मैं यह मानता हूँ कि पिछले साल से छोटी मोटरें उन्होंने ले ली हैं और ६० गैलन मासिक पेट्रोल लेना भी तय कर लिया है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री अक्सर कहते हैं कि मन्त्रियों ने वॉलन्टरी कट मन्जूर करके अपने मोटरों के खर्चे में बहुत कमी करदी है, लेकिन फिर भी मैं उनके एक मित्र की हैसियत से सलाह देता हूँ कि अगर वे उसको और मान लें तो उनकी हैसियत के लिए भी यह अच्छी बात होगी और जो बिटरनेस उनके इस मोटर के खर्चे की वजह से जनता में पैदा हो गई है वह भी मिट जावेगी, फिर चाहे इससे माली हालत इस प्रान्त की सुधरे या नहीं। ये छोटी कारें हैं जरूर, पर मेरे साथी लोगों का यह ख्याल है कि इनका दुरुपयोग बहुत हो जाता है और कुछ हद तक इस दुरुपयोग के नमूने मैंने भी देखे हैं, इसलिए मैं भी कह सकता हूँ कि आप इस पर गौर करें। आम लोगों में और मेरे साथी लोगों में आपकी इन मोटरों के दुरुपयोग के बारे में असन्तोष है। ये मोटरें छोटी हैं और सिर्फ चार आदमियों के लिए बनाई गई हैं, सात-सात और आठ-आठ आदमियों को बैठते देखा तो मुझे भी इसका दुरुपयोग लगा। तो जो चीज चार आदमियों के बैठने के लिए बनाई गई है उस पर अगर आप डबल बोझा डालें तो ये मोटरें चलेंगी कितने साल ? एक साल चलेंगी, मुमकिन है दो साल चल जाँय और फिर इस पर डेप्रिसियेशन (depriciation) कितना बनेगा। और मैं जो इससे मेरी गाड़ी का मुकाबला करूँ तो मैं अपनी गाड़ी को दस वर्ष तक इसी हालत में चला सकता हूँ और चलाऊँगा, पर मन्त्री जी की जो गाड़ी है उसको अगर अगले दो साल में ही रिप्लेस नहीं करना पड़े तो जो चाहें मैं करने को तैयार हूँ। दो साल में आपकी मोटर काम के लायक नहीं रहेगी और आपको दूसरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी और फिर डेप्रिसियेशन (depriciation) का आप हिसाब लगावें तो इस वॉलन्टरी कट का कोई अर्थ नहीं रह जावेगा

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

क्योंकि आखिर यह बोझा जाकर पड़ेगा किस पर ? तो इधर तो उस पर इतना बड़ा खर्चा होता है और उधर इस सदन में और बाहर भी मन्त्री जी को हमेशा बदनामी के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि आप मन्त्री महोदय एक बड़ी भारी सेवा इस राजस्थान प्रान्त की करेंगे अगर आप इन गाड़ियों को अपनी खुद की गाड़ियाँ करलें। आप इन्हें खरीदलें, या दूसरी मोल ले लें, लोन ले लें अगर रुपया न हो पास में तो; अगर इसका प्रोवीजन न हो तो यहाँ इसके लिए कानून पास करवा सकते हैं। पिछले साल यह कानून यहाँ ड्राफ्ट के तौर पर आया भी था पर न मालूम बाद में उसका क्या हुआ। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि वे गाड़ियों को अपनी खुद की गाड़ियां करलें और फिर आठ-आठ के बजाय पन्द्रह-पन्द्रह बिटावें, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी गाड़ी में छत पर बिठाऊँ, मडगार्ड पर बिठाऊँ और फुटबोर्ड और आगे की तरफ भी बिठाऊँ और अन्दर भी आठ-आठ आदमी बिठाऊँ तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

एक सदस्य—पुलिस चालान करेगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अगर पब्लिक रास्ते पर जाऊँगा तो। अगर अपने मकान के अन्दर-अन्दर बिटाऊँ तो कोई भी क्यों ऐतराज करेगा, पर बाहर एक्सीडेन्ट के लिहाज से पुलिस चालान कर सकती है। तो जहाँ चार-चार की सीटों पर आठ-आठ बिठाकर ये गाड़ियाँ ले जाती हैं, तो पुलिस तो उनका भी चालान कर सकती है, अगर पुलिस के आदमी कर्त्तव्यपरायण हों तो। पर उन्हें भी कहीं-कहीं आंखें मींचनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छा तो यही है कि गाड़ियाँ मन्त्री लोग खरीद लें। आप वैसे उनको अलाउन्स दें, दो सौ दें, तीन सौ दें, चार सौ देदें। मुझे ऐसी किसी बात में ऐतराज नहीं है।

श्री किस्तूरचन्द—आपने अपने मन्त्रित्वकाल में भी कभी बिटाया लोगों को ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं अपने माननीय सदस्य को बता दूं कि मैं जब मन्त्री था तो एक तो स्टेट कार रखता था और एक कार अपनी रखता था और प्रिन्सिपल के साथ और ईमान से मैं कहने को तैयार हूँ कि उसी वक्त वह सरकारी गाड़ी काम में लेता था जब आफिस या और सरकारी काम जाता था। बाकी प्राइवेट काम में जब भी कहीं जाने का काम पड़ा तो मैं ईमान से कहता हूँ कि इसके लिए कभी मैंने स्टेट कार इस्तेमाल नहीं की। मैं क्लब जाने का आदी हूँ और रोज जाता हूँ और हमेशा अपनी गाड़ी में जाता था। जबकि जैसा मेरे मित्र ने अभी कहा वैसा ही मुझे कई बार उस समय भी कहा गया कि, "जब आपको सरकारी गाड़ी मिली है तो आप इतने बेवकूफ हैं कि अपनी गाड़ी में आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों नहीं सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ?" ईश्वर ने थोड़ी-सी कॉन्शयंस दी है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती थी कि प्राइवेट काम में भी स्टेट कार को काम में लूँ, खैर।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

तो यह सलाह मेरी मेरे मित्रों की कारों के लिए है । दूसरी बात, बजट को देखने से मुझे जो फिजूल खर्च मालूम हुआ वह है इन डिपार्टमेन्टल कारों पर । कम से कम सात-आठ लाख रुपया का खर्च होता है । अगर इस पर भी सरकार गौर करे और हमारे वित्तमन्त्री इस पर ध्यान दें ठीक तरह से तो इससे भी तीन-चार लाख रुपये की बचत हो सकती है । कुछ हमारे अफसरों से प्राइवेट दावतों में भेट हो जाती है; वहाँ देखने में आया है, न मानें आप तो यह बात साबित की जा सकती है कि उनमें जाने-आने के लिए भी वे इन कारों का उपयोग करते हैं । तो इस बात को समाप्त किया जा सकता है । अपने प्राइवेट कामों में भी, जैसे अगर माननीय मन्त्री के यहाँ पार्टी है, तो हमारे कितने ही अफसर स्टाफ कारों में बैठे-बैठे वहाँ जाते हैं और इस तरह से इनका दुरुपयोग करते हैं । फिर ये कारें निजी कामों में, सिनेमा आदि में भी और जिनको शिकार आदि का शौक है वहाँ भी काम में आती है । अगर न मानें तो यह भी साबित किया जा सकता है कि इनमें भी और ऐसे ही कई प्राइवेट कामों में भी इन स्टाफ कारों का इस्तेमाल किया जा सकता है । यह साबित किया जा सकता है । इसमें अगर आप ध्यान देकर कार्यवाही करें तो मैं कहता हूँ कि तीन-चार लाख रुपया सालाना की बचत आसानी से हो सकती है । यह मैं नहीं कहना चाहता कि पुलिस की कारें कम की जावें या कुछ ऐसे अस्पताल आदि हैं जिनमें एम्बुलेंस गाड़ियाँ होती हैं उनको तो वाकई में रखना बहुत जरूरी है । पर, दूसरे विभाग हैं जैसे एजुकेशन विभाग, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का विभाग और इसी तरह के दूसरे ऑफिस हैं । उनको कारें किस काम के लिये दी जाती हैं, सिवाय दुरुपयोग किये जाने के । क्या उन्हें घर से ऑफिस आने जाने के लिए दी हैं ?

इसके साथ-साथ यह भी देखने में आया है कि हमारे कुछ ऑफीसर हैं जिनको कार अलाउन्स मिलता है । नियम को देखते हुए कार अलाउन्स मिलना मालूम नहीं होता है । तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री से यह भी प्रार्थना करूँगा कि इनको कार अलाउन्स देना भी आवश्यक नहीं है और इसकी भी बचत की जा सकती है ।

कहीं मुझे यह भी देखने में आया है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट की राय है कि कानून के विरुद्ध पुराने राजस्थान के कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो कार अलाउन्स भी लिए चले जा रहे हैं । कम से कम यह आप साफ करायें कि उनको हक है या नहीं । अफवाह यह है कि ये अफसर ऐसा होने नहीं दे रहे हैं । अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत हद तक आपका रुपया इस मद से भी बच सकता है । अब मैं आपको बतलाऊँगा ऑफिसर्स के ट्रान्सफर्स के बारे में कि १–२ साल में ३–४ मर्तबा ही नहीं, उनके १०–१२ मर्तबा ट्रान्सफर हो चुके हैं । इससे हमारी फिजूल खर्ची हो रही है । इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत हद तक अपने राज्य का रुपया बच सकेगा ।

माननीय उपाध्यक्षजी, अब मैं थोड़ा-सा बजट में एजुकेशन (शिक्षा) के मुताल्लिक, मैंने जो चीज देखी है उसकी ओर आपका ध्यान दिये बगैर नहीं रह सकता । वह यह है कि शिक्षा के सीगे में नई डेवलपमेंट स्कीम रखी गई है जिसके लिये १३,८७,०००) रु० रखे गये हैं, जिसमें से

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

६,२७,००० रुपये तो राजस्थान सरकार खर्च करेगी और बाकी के ७ लाख ६० हजार रुपये केन्द्रीय सरकार ने खर्च करने के लिये तय किये हैं। शिक्षा महकमे में "डेवलपमेंट स्कीम" रखी गई है उसमें भी एक बड़े ताज्जुब की बात है कि यह रुपया किस तरह बरबाद किया जा रहा है, किस काम में आ रहा है, सुधार करने की बहुत भारी गुंजाइश है। जो १३,८७,००० रु० का वितरण हो रहा है वह इस मुताबिक हो रहा है कि कुछ तो महकमा तालीम द्वारा कुछ संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी १,७३,६०८ रु० खर्च करना दिखाया गया है, कुछ प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स यानी कुछ संस्थाएं प्राइवेट एजेन्सी द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके लिए १,३८,०१८ रु० खर्च होना दिखाया गया है और इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज के लिए। करीब १,८८,००० रु० खर्च किया जाना दिखाया है और एजुकेशनल प्रोग्राम टू रिलीव एजुकेटेड एम्पलायमेंट है, यानी पढ़े-लिखों में बेरोजगारी कम करने के लिए शिक्षा प्रचार का ८,८७,००० रु० खर्च किया जाता है।

प्राइवेटली रन जो संस्था हैं उनमें १,३८,००० रु० दिया जाता है इस एज्युकेशन डेवलपमेंट में। मैं यह जानना चाहूँगा कि मुझे किसी संस्था से भेदभाव नहीं कि १,३८,००० रु० तो क्या, ज्यादा भी बड़ी खुशी के साथ दें यदि आपके पास रुपया है, लेकिन यह भेदभाव का बर्ताव एजूकेशन, तालीम जैसे शुद्ध महकमे में क्यों है? १,३८,००० रु० जो कि एजुकेशन डेवलपमेंट में है वह केवल २ संस्थाओं को दिया जाना तय हुआ है, जिनके बारे में अभी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। यह जो मेमोरेन्डम बजट के साथ पेश किया गया है उसमें से पढ़ना चाहता हूँ। आप पेज ६४ निकालिये। उसमें १,३८,००० रु० का विवरण दिया गया है। इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाई गई संस्थाएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिये ये रुपये दिये दिए गए हैं। दो संस्थाओं को सारी की सारी रकम दी गई है। वे दोनों संस्थायें उदयपुर डिविजन में हैं, एक तो विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर द्वारा चलाई जाती है और दूसरी संस्था है राजस्थान विश्वविद्यापीट, उदयपुर। दोनों को ही मदद दी जाती है। इसी स्कीम में ८७,६९० रु० तो विद्याभवन सोसाइटी को दिये जाते हैं और विश्वविद्यापीठ जो कहलाती है, नाम तो बहुत सुन्दर है, उसको दिये जाते हैं ५०,३२८ रु०। और कुल इस प्रकार १,३८,०१८ हुए शिक्षा प्रचार के लिए, जो इन दोनों संस्थाओं को दिये जाते हैं। तो, मैं यह जानना चाहूँगा कि राजस्थान में क्या यही दो संस्थाएं हैं जो इस तरह की खास मदद के काबिल हैं? मैं भी थोड़ी सी संस्थाएं चलाता हूँ। मैं मानने के लिए तय्यार हूँ कि मैं सरकार का राजनैतिक विरोधी अवश्य हूँ। तो क्या राजनैतिक विरोधी होने के कारण मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से जो कि सदन में बैठे हैं उनके सामने यह कहना चाहता हूँ कि कुछ संस्थाओं के लिये ६-७ महीने से डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन सेक्रेट्री से ३००)-४००) रु० के लिए मिला हूँ; भगवान मुझे ऐसे दिन नहीं दिखाए कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए माँगूं। मैं डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लेकर एजुकेशन सेक्रेट्री और एजुकेशन मिनिस्टर के पीछे पीछे फिरा हूँ, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला है। मुझे आश्वासन जरूर मिला है। मुझे इस बात का रोष नहीं है कि कुछ संस्थाओं को स्पेशल ऐड क्यों दी जाती हैं। जरूर दीजिये लेकिन यदि आप भेदभाव इस तरह से दिखायेंगे तो यह राजस्थान का भला नहीं करेगी और मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन दोनों संस्थाओं का भी भला नहीं होगा, क्योंकि इनके दुश्मन सब

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हो जायेंगे। अगर ऐसी चीज को जारी रखते हैं तो राज्य में नैतिक स्तर गिराने के दोष-भागी होंगे। मेरी जो संस्थायें हैं उनको राजनैतिक विरोधी पक्ष में होने की वजह से देना पसन्द नहीं करें, तो भले ही न दें। लेकिन कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वे बीकानेर में संस्थायें चला रहे हैं, जैसे सरदार शहर में गाँधी विद्यामन्दिर चलाने वाले मेरे मित्र हैं। आप क्यों उस संस्था को स्पेशल एड नहीं दे सकते हैं? सब का सब रुपया दो ही संस्थाओं को दे सकते थे, यह सरकार का कार्य सराहनीय नहीं है। भले आदमी इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। यह बड़ा अनहित आप राजस्थान की जनता के लिए कर रहे हैं कि इन दोनों संस्थाओं को जरूरत से ज्यादा रुपया दे रहे हैं। उनका भी अनहित आप कर रहे हैं यह भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ।

अब जो ८ लाख ८० हजार रुपए का वितरण किया जा रहा है, शिक्षित आदमियों में बेरोजगारी हटाने के लिये उसमें भी बहुत कुछ कहना था लेकिन चूँकि एक घन्टा मुझे बोलते हुए हो गया है; अब मैं सिर्फ १०-१५ मिनट आपकी आज्ञा से और लूँगा। इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इसमें देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एलाउन्स टू सोश्यल एजुकेशनल वर्क्स के १००)रु० से २०) रु० माह पर ५ महिनों के लिए रखे गये हैं। अगर आप इन सोश्यल वर्क्स के क्रिडेन्शल्स जो कुछ हैं उन्हें देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह के ये सोश्यल वर्क्स हैं और क्या काम करते हैं। इतने विवरण में आने की जरूरत नहीं है। जैसा कि इन दोनों संस्थाओं को १,३८,००० रु० दिये गये हैं उसी तरह से ८,८७,००० रु० जो वितरित हो रहे हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आप एक तरफी नीति जरूर पायेंगे, यह भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ। यह सब बातें कहने के बाद मैं यह कहूँगा कि मेरे मित्र, माननीय वित्त मन्त्री जी मेरे इन सुझावों को मानेंगे नहीं तो कम से कम गौर करेंगे। अगर वे मेरे साथ इन पर बातचीत करेंगे तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊँगा व मैं उनको समझा दूँगा कि यह नीति किस तरह हानिकारक है।

यह सब बातें कह कर अब मैं थोड़ा बीकानेर के बारे में भी २-४ शब्द कहना चाहता हूँ। हमने न मालूम किस काल में कैसा गुनाह किया, पाप किया जिसका फल हमें इस युग में ५३-५४ में भुगतना पड़ रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस साल के बजट में जो बड़ी-बड़ी रकमें रखी गई मैं उन पर रोशनी डालना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा से उपाध्यक्षजी। आप देखेंगे कि जो न्यू आइटम्स यानि नई चीजें इस साल बजट में रखी गई हैं, बजट के तीसरे भाग में दी गई हैं उसमें अगर पहिले पहल "१८ अदर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर फाइनेन्स्ड फ्राम आर्डीनरी रेवेन्यू" का सीगा देखिये। उसमें थर्ड वाल्यूम के एपेन्डिक्स 'ए' में है "वर्क्स फाइनेन्स्ड फ्रोम राजस्थान रेवेन्यू"। खर्चा २८,५०० रु० है और माइनर इरिगेशन वर्क्स जो "फाइनेन्स्ड फ्रोम लोन फ्राम गवर्नमेंट आफ इन्डिया" खर्चा २०,३२,००० रु० हैं और कुल २०,६०,५००) रु० इस साल के बजट में इस काम के लिए रखे गये हैं, उसमें सारे बीकानेर डिवीजन के लिए जो कि पहिले बीकानेर स्टेट थी उसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया है, यह मैं आपको बताऊँ।

[कुँ. श्री जसवन्तसिंह]

इसी सीगे के नीचे दूसरी बात "डेवलपमेंट स्कीम" जो है उसमें स्टेट रेवेन्यू से ६,४००) रु० और केन्द्रीय मदद से २०,०००) रु० हैं। इस प्रकार कुल २६,४००) रु० रखे गये हैं। इसमें भी बीकानेर के लिए एक पैसा बजट में नहीं रखा गया है। दूसरा आइटम ऐपेन्डिक्स 'बी' कन्स्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन, नेवीगेशन, एम्बेन्कमेंट, ड्रेनेज वर्क्स हैं। इसके लिए ३,६६,०००) रु० बजट में रखे गये हैं, लेकिन बीकानेर के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है। यह सब बीकानेरी भूलेंगे नहीं, मैं आपको बतला रहा हूँ।

अपेन्डिक्स सी में "पब्लिक हैल्थ" के लिए २ लाख ५६ हजार ३६० रुपए रखे गए हैं, उनमें से बीकानेर के लिए थोड़ी कृपा हुई है। वहाँ जो कुए हैं उनमें नीचे आने-जाने के लिए सीढ़ियें होती हैं जो १५-२० वर्ष पहले लगाई गई थीं। वे अब कमजोर हो गई हैं, वोने आउट हो गई हैं और उसका मेटीरियल गिरने लग गया है। जो लकड़ी के प्लेन्क्स है वे भी खराब हो गये हैं। सरकार ने बड़ी कृपा करके इसके लिए १५ हजार रुपए दिए हैं। यदि इनकी मरम्मत नहीं होती तो काम करने वालों की जान जाने का खतरा था, इसलिए दिए हैं। इसी तरह से कुओं में जो नल (पाइप) गल गया है क्योंकि वहाँ के पानी में सॉल्ट है, उसकी मरम्मत के लिए भी १५ हजार रुपए दिए हैं यह बड़ी कृपा की है। २५ हजार रुपए और भी दूसरे काम के लिए दिए हैं। वे बीकानेर की जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के बैंगलोज़ में जो राजस्थान के अफसर रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता है उनमें से कमिश्नर भी हैं, कलेक्टर भी हैं और भी दूसरे अफसर हैं; उन्होंने कोशिश करके उनके बंगलों के लिए २५ हजार रुपये रखवाये हैं। फिर भी जो काम होगा उससे बीकानेर के आदमियों को मजदूरी आदि से फायदा मिलेगा, हमें इसी में सन्तोष है।

अपेन्डिक्स डी सिविल वर्क्स बिल्डिंग्ज़ आदि के लिए २२ हजार रुपए रखे गए हैं उनमें से बीकानेर के लिए एक पैसा भी नसीब नहीं हुआ है। "नेशनल हाई वेज़" में ८ लाख ७७ हजार रुपए रखे गए हैं, उसमें से एक पैसा भी बीकानेर के लिए नहीं रखा गया है। इसी तरह 'अपेन्डिक्स डी' में 'डेवेलपमेंट स्कीम्स फाइनेन्स्ड फ्रोम स्टेट रेवेन्यूज़' में १६७४२० रु० रखा गया है मगर बीकानेर के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है। इसी तरह सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा लोन या ग्रान्ट से ४ लाख २६ हजार रुपए रखे गए हैं उनमें से भी एक पैसा बीकानेर के लिए नहीं रखा गया है। अपेन्डिक्स डी में "फाइनेन्स्ड पार्टली फ्राम स्टेट रेवेन्यू एण्ड पार्टली फ्रोम सेन्ट्रल असिस्टेन्स" में ३५ हजार रुपए रखे गए हैं उनमें से बीकानेर के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है। इसी तरह से 'डेवलपमेंट प्लान के तावे लोन से ८ लाख २७ हजार रुपए की रकम रखी गई है, उसमें से गंग केनाल सदावाली अप्रोच सड़क के लिए ६८ हजार रुपया रखा गया है और देहली बीकानेर रोड़ को रतनगढ़ से मिलाने के लिए २६ हजार रुपए रखे गये हैं। इस तरह से इस सीगे में कुल १३,८५,७०० रुपयों में से बीकानेर के लिए ६७,००० रुपए रखने की कृपा की गई है।

अपेन्डिक्स ई में बिल्डिंग्ज़ के लिए १० लाख रुपये रखे गये हैं। उसमें से १० हजार रुपए बीकानेर शहर के लिए दिये गये हैं। सेन्ट्रल रेकॉर्ड में फाइलें रखने के लिए जगह नहीं है। उसमें रेक्स लगाने के लिए ये रुपए रखे गये हैं। ये गवर्नमेंट काम के लिए हैं फिर भी हमें सन्तोष है कि हमारे

[कुँ. श्री जसवन्तसिंह]

यहां के कारीगरों को महीने दो महीने के लिए काम मिलेगा। इसी तरह से 'कैदियों के लोक अप नोहर' के लिए १० हजार और इसी तरह से गंगानगर के जेल को रीमोडल करने के लिए २५ हजार रुपए रखे गये हैं। हमें इसमें सन्तोष है कि इससे थोड़ी राहत गरीबों को मिलेगी। इसी तरह से 'डेवलपमेंट स्कीमज़के ताबे यातायात' के लिये १० लाख १० हजार रुपए गये हैं; उसमें से भी बीकानेर के लिए कुछ नहीं रखा गया है।

फेमिन रिलीफ के लिए अपेन्डिक्स एफ में ७ लाख रुपय गये हैं। बीकानेर डिवीज़न की एक तहसील नोहर में 'मेन मेड' फेमिन है। साथी पूछ रहे हैं 'मेन मेड' कैसे है? हमारे राजस्थान सरकार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो ईश्वर से भी बड़े हैं, यानी 'जो ईश्वर नहीं कर सकता वह वे कर सकते हैं। नोहर को स्केअर्सिटी एरिया में ले लिया गया है फिर भी इसके लिए कुछ देंगे तो शुक्र गुज़ार होंगे। इस काम के लिये अभी तक तो बजट में कोई रकम नहीं रखी है।

अपेन्डिक्स जी में ५४ लाख ५२ हजार ६ सो रुपये रखे गए हैं। इसमें से बीकानेर के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है।

अपेन्डिक्स एच में १०,८१,६६० रु. रखे गए हैं, जिसमें से बीकानेर के वाटर सप्लाई को इम्प्र व करने के लिये ५० हजार रु. रखे गए हैं; इसके लिए हम शुक्र गुज़ार हैं।

अपेन्डिक्स आई में ओरिजिनल वर्क्स बिल्डिंग्ज़ में ४ लाख ३० हजार ६७१ रु. रखे गए हैं उनमें से बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। इसी तरह डेवलपमेंट स्कीम के लिये ५ लाख रु रखे गये हैं उनमें से एक पैसा भी बीकानेर के लिये नहीं रखा।

फाइनेंस्ड फ्रोम सेन्ट्रल असिसटेन्स या लोन के सीगे में यातायात के वास्ते १,११,७३,००० रुपए रखे गए हैं, परन्तु बीकानेर के हिस्से में सिर्फ ८-६ लाख रुपए आये हैं। समय बहुत कम है। अध्यक्ष जी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मैंने समय बहुत ले लिया है। मुझे अभी बीकानेर के लिए बहुत कुछ कहना है, यह विषय यहीं खत्म करता हूँ।

इसी तरह से करोड़ों की तादाद में राजस्थान में रु. फैंके गए। टकसाल केन्द्रीय सरकार के पास है। हम कहते हैं कि हमारे पास रुपए नहीं हैं इसलिए रुपए दो। अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो और केन्द्र देगा ही पर खर्चा करना आपके हाथ में है। आप चाहें जैसे खर्च करें, चाहे बेरहमी से करें या किसी भी तरह से करें। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है। मैं कहूँगा कि करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया है। मैं कहूँगा वित्त मंत्रीजी से क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी को दूसरे की बातें सुनने की फुरसत नहीं है इसलिए वे यहाँ नहीं बिराजते हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से अर्ज करूँगा कि इस डेमोक्रेसी में बीकानेर डिविजन भी राजस्थान का अंग है, फिर इसको सजा देने के लिए सौतेली माता का सा बरताव क्यों किया जाता है? आखिर हमारा कोई अपराध तो होना चाहिए। करोड़ों रुपए दूसरों को दिए जाते हैं तो हमारा क्या कुसूर है? फिर यदि बीकानेर के लोग हल्ला नहीं करें तो उनके पास दूसरा चारा क्या है? यह डेमोक्रेसी का तरीका है कि यदि शोरगुल करें तो मदद मिल सकती है। इधर सरकार कहती है कि समझदार आदमी होते हुए शोरगुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोरगुल

[कुँ. श्री जसवन्तसिंह]

करें ? हमें बीकानेर में रहना है या नहीं ? यदि यही हालत रही तो एक दिन वह आयगा जब राजस्थान में न रहने के लिए बीकानेर को मुकाबला करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप बड़े आदमी हैं, आप हमसे अलग रहें और हमारा टुकड़ा अलग रहने दें। राजस्थान सरकार इसी महीने में राजस्थान दिन मना रही है। बीकानेर वालों का कर्तव्य रह जाता है कि वे इस दिन को शोक का दिन मनावें, यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है। हम कब तक आघात सहते रहें ? हम सही तौर से हमारा कर्तव्य करेंगे, अगर आप ऐसा कदम उठायेंगे। अन्त में एक बात और कहकर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। कहने को तो बहुत कुछ रह गया है लेकिन काफी समय हो गया है।

एक रंज है मुझे मंत्रीमंडल की तरफ का और वह इस बात का है कि पी. एस. सी. यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की एक ही नहीं बल्कि दो रिपोर्ट निकल गई हैं और हमारे संविधान के तावे यह कानूनी कर्तव्य है कि हाउस के सामने पी. एस. सी. की रिपोर्ट लावें और जिन जिन बातों पर राय के अनुसार अमल नहीं करते हैं और विरुद्ध कार्यवाही करते हैं उनके लिये लाजमी हो जाता है कि इस रिपोर्ट को हाउस के सामने लावें। क्या हमारी सरकार यह कर्तव्य समझती है कि कॉन्स्टीट्यूशन में, जो विधान इतना पवित्र माना गया है हमारे भारतवासियों के लिए, उसकी अवहेलना इस तरह की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारे संविधान की अवहेलना है। जो स्टेच्युटरी ड्यूटी है उसके अनुसार उनका कर्तव्य हो जाता है कि इस रिपोर्ट को हमारी विधान सभा के सामने रखा जाय। क्या आपकी इतनी हिम्मत हो गई है कि आप विधान की अवहेलना करें ? हमारे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और दूसरी पार्टी को सरकार बनाने का हक नहीं है क्योंकि आपकी नजरों में देश का हित दूसरे नहीं कर सकते और उधर कॉन्स्टीट्यूशन की अवहेलना तक हमारी सरकार करती है, यह आपका लोकतन्त्र राज है! क्योंकि सरकार के कुछ मंत्रियों की कारगुजारियां और कारनामे ऐसे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को सदन के सामने लायें - इसमें उनको बड़ा जोर पड़ेगा।

मेरे माननीय वित्त मन्त्रीजी ने फरमाया था कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को कल्याणकारी राज्य का रूप देने के कार्य में व्यस्त है, यह उनका आखिरी रिमार्क था। मैं भी आखीर में इसी के बारे में कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट के लिये माफ करें।

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिये बड़ा लम्बा और कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। इस रास्ते में बड़े-बड़े खड्डे, कूए और गहरे-गहरे खड्ड मिलेंगे। उनको पार करने के लिये एक छोटी-मोटी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ सकती।

राजस्थान को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का आपका जो उद्देश्य है और मेरा भी यही खयाल है कि यही आपका उद्देश्य है, परन्तु जिस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, जिस तरह की कारगुजारियाँ सरकार के व्यक्तियों की ओर से की जा रही हैं उनको देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

[कुँ. श्री जसवन्तसिंह]

अब मैं आप के द्वारा किये गये चन्द कार्यों को बताऊँगा कि क्या यही आपके कार्य कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के हैं ? क्या यही आपके कार्य हैं जिनसे आप कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं ?

मेरे साथी त्यागीजी ने बतलाया था कि किस तरह एज्युकेशन मिनिस्टर ने दूसरे साथियों को लेकर किस तरह अफसरों पर दबाव डाला और एक व्यक्ति की जमीन छीन ली थी, जिसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि राजस्थान के मिनिस्टरों और उनके सहयोगियों ने इस मामले में दबाव डाला है। उन्हीं एज्युकेशन मिनिस्टर ने जिन्होंने कि इस केस में दबाव डाल कर जमीन छीनी उन्होंने, जैसा कि मेरे साथी त्यागी जी ने बतलाया था कि राजगढ़ की तहसील में जहाँ कि हाई कोर्ट ने आदमियों को डिक्री से जमीनें दे दी थीं उन जमीनों को, जब दौरे पर गये तो किसी तरह उन जमीनों को उन लोगों से छीनने की कोशिशें की। एक मन्त्री द्वारा इस तरह के जातिवाद के कार्यों का करना जतिवाद को प्रोत्साहन देना है। क्या इसी महान् उद्देश्य की इसी तरह पूर्ति करना होता है।

श्री भोलानाथ--मुझसे मतलब है आपका ?

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—नहीं आपसे नहीं, भूतपूर्व एज्युकेशन मिनिस्टर से है, जो आपसे पहले थे। आपकी इस जातिवाद के लिये प्रशंसा नहीं कर सकता, आप इसके अयोग्य हैं।

एक बात मैं खास तौर से माननीय वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि शार्दूलपुर स्टेशन है, जिसे राजगढ़ भी कहते हैं, वहाँ पर गई होली की रात को एक आदमी खुले आम मारा गया, ३-४ रेल गाडियाँ प्लेटफार्म पर थीं, ६ गोलियाँ रिवोल्वर की लगाई गईं। बड़े इत्मीनान के साथ ये गोलियाँ लगाई गईं, उतनी जल्दी के साथ नहीं जितनी जल्दी में कि उस ओर बैठे हुए हमारे एक माननीय सदस्य के एक गोली मारी गई। बड़े इत्मीनान से, अच्छी तरह, आसानी से ६-१० गोलियाँ मुँह पर, हाथों पर, सीने पर, पेट में मारी गई। स्टेशन पर जब कि सैकड़ों आदमी थे उस आदमी को मार दिया गया, परन्तु आज तक किसी आदमी को नहीं पकड़ा गया। जिस आदमी पर शक-शुबहा है उसको नहीं पकड़ा गया है। उन गोलियों के खाली ६, १० सेल सब पुलिस के हाथों में हैं। कोई भी बता सकता है कि राजगढ़ तहसील में वह रिवोल्वर किसके पास है, पर उसको पकड़ने में पुलिस को जोर आता है। चाहे आई. जी. पी., डी. आई. जी. पी. हों, उन्हें उसे पकड़ने में जोर लगता है। मास्टर दीपचन्द के नाम से वह रिवोल्वर रजिस्टर्ड है, किस आदमी से वह कारतूस आये हैं, ऐसे आदमी हैं जो यह बता सकते हैं कि किसको वह कारतूस वेचे गये हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—Is it suggested that the revolver has been recovered ?

कुँवर श्री जसवन्तसिंह--उसके नाम से रजिस्टर्ड है।

श्री टीकाराम पालीवाल—Has the revolver been recovered ?

कुँवर श्री जसवन्तसिंह्—नहीं, वह बरामद नहीं किया गया है। Everything is with them.

श्री टीकाराम पालीवाल--फिर यह कैसे मालूम है कि यह वही पिस्तौल है?

कुँवर श्री जसवन्तसिंह्—आपको बन्दूकों के बारे में मालूम नहीं है, यह तो हम लोग जानते हैं; आपका कभी काम पड़ा नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—आपका मतलब है कि वह जो शैल्स मिले हैं उन पर उसके नम्बर हैं?

कुँवर श्री जसवन्तसिंह्—जी हाँ, सब कुछ। पर उस आदमी के हाथ कौन लगावे? इसके लिये बड़ी हिम्मत चाहिये।

अगर यही रास्ता है कल्याणकारी राज्य बनाने का तो मैं यही कहूँगा कि यह हमारी सरकार को ही मुबारिक हो। ऐसी बीसियों बातें मेरे पास हैं जिनसे मैं बताता कि अगर यही रास्ता कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का है तो हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। परन्तु समय बहुत हो गया है इसलिये और विस्तार से नहीं कह सकता।

वित्त मन्त्री जी ने यह बताया था कि विधवा स्त्रियों के और पैंशनर्स के मामले हम जल्द ही तय करने वाले हैं। मैं इसकी प्रशंसा नहीं करूँगा क्योंकि आज राजस्थान बने ५ वर्ष हो गये हैं, बहुत से पेन्शनर्स मर गये हैं, विधवा स्त्रियाँ तथा बाल बच्चे जो मौजूद हैं बड़ी परेशानियाँ उठा रहे हैं। कल्याणकारी राज्य बनाने का यह अच्छा तरीका है कि जिन लोगों ने बीस-बीस, तीस-तीस वर्ष तक सरकार को नौकरी दी, अपनी उम्र गवाँ दी, रिटायर होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेन्शन ५ वर्ष तक तय नहीं होती है और ५ वर्ष बाद वित्त मन्त्री कहते हैं कि जल्दी ही तय कर दिया जायगा। यह कल्याणकारी राज्य बनाने का कोई अच्छा रास्ता नहीं है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने इतना समय दिया। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे शान्तिपूर्वक इतनी देर तक सुना।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी चाहता था कि मेरे मित्र जसवन्त सिंहजी की तरह वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता लेकिन मैंने जब इस बजट को पढ़ा तो मुझे वहाँ सबसे बड़ी शिकायत मिली कि बजट में देहाती इलाके को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। मैं बजट पर बोलने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, जो यह है कि मुझे मन्त्री महोदयों से उनके द्वारा दिये जाने वाले जवाब के सम्बन्ध में शिकायत है।

जवाब देते वक्त, जो सैंट पर्सेंट बिल्कुल सही चीजें हैं, जिनका जवाब ही नहीं उन चीजों को जवाब से इग्नोर कर दिया जाता है, उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता और उस बहस में जो कुछ बातें ऐसी मात्रा में कहीं जाती हैं जो उस प्रश्न से इधर-उधर की हों उनको पकड़ कर अपनी स्पीच भर दी जाती है। मैं यह चाहूँगा मेरे दोस्तों से कि जो जो बातें हम कहें उनका ठीक-ठीक जवाब मिले।

[श्री गोपीलाल यादव]

मैं इस सम्बन्ध में एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के बारे में बोलते हुए मैंने एक बात कही थी कि कल्याण तेली की ४० साल की जमीन को छीन कर एक कॉंग्रेसी को दे दी गई, हालाँकि उस जमीन के बारे में रेवेन्यु सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि ४० साल के किसान को बेदखल नहीं किया जा सकता। कलेक्टर के पास केस गया तो उसने भी यही ऑर्डर दिया कि इस जमीन पर इसी काश्तकार का हक है। फिर उन कॉंग्रेसी महानुभाव ने कमिश्नर के पास अपील की। मैं उन कॉंग्रेसी महानुभाव का नाम बता देता हूँ। उसका नाम है लादूराम व्यास। फिर वह कमिश्नर साहब के यहाँ जाकर रेवेन्यु सेक्रेटरी का ऑर्डर पेश करते हैं। कहते हैं, लीजिये साहब रेवेन्यु सेक्रेटरी से मुझे यह जमीन मिल गई है, यह कब्जा मुझे दिला दीजिये। कमीश्नर ने यह लिखा कि हम कुछ नहीं कर सकते। रेवेन्यू सेक्रेट्री के हुक्म के बाद वह चीज खतम हो जाती है। उसके बाद बीसियों दफे उसको मार-पीट की गई, बेदखल किया गया और उसकी खड़ी की खड़ी फसल काटली गई। उसके लिये रेवेन्यू सेक्रेट्री के पास रिपोर्ट की और पिछले साल मैं करीब ६ बार उनके दफ्तर में गया और हर बार मुझे यही जवाब मिला कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैं यह कहता हूँ कि उस गरीब को आप जवाब क्यों नहीं देते, उस गरीब को जवाब तो दो। जब आप एक परिवार को बरबाद कर सकते हैं तो क्या यह माना जा सकता है कि दूसरे के साथ सरकार इन्साफ करेगी? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बातें आपको बताई गई हैं उनका भी जवाब आप दें और आगे भी जो बातें बतावें उनका भी जवाब दें।

सबसे पहले बजट के सम्बन्ध में जो शिकायत है वह यह है कि इस बजट के द्वारा हमें एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। वह कैसे? आपने मेमोरेन्डम, एक्सप्लेनेटरी ऑफ दी बजट तो अंग्रेजी में छपाया और बजट एस्टीमेट जो इतना बड़ा पोथा है उसको हिन्दी में बना कर हमको दिया है। मैं समझता हूँ कि वह इसलिये दिया गया है कि राजप्रमुख के भाषण पर उनके अंग्रेजी में भाषण देने पर एतराज किया गया था: इस वजह से यह हमें हिन्दी में दिया गया और अब हमें अंग्रेजी में हमें देंगे ही नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा खयाल था कि आप अंग्रेजी की चीज को पसन्द नहीं करेंगे इसलिये आपको हिन्दी में दिया गया। अगर आप अंग्रेजी में माँगेंगे तो अंग्रेजी में दे दिया जावेगा

एक सदस्य—चूंकि अंग्रेजी का एतराज करते रहे थे, इसलिये नहीं दिया।

श्री टीकाराम पालीवाल—अंग्रेजी की प्रतिलिपियें कम छपवाई गई। अगर आवश्यकता समझी जावे तो आपको दी जा सकती हैं।

वेदपाल त्यागी—आपको मेमोरेन्डम भी हिन्दी में ही देना चाहिये था, उसे फिर अंग्रेजी में क्यों दिया गया?

श्री गोपीलाल यदव—इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि पेजेज़ जिसका हवाला आपने दिया है वे हिन्दी में मिलते नहीं। बजट एस्टीमेट के पेज २४ को यदि हम हिन्दी में निकालते

[श्री गोपीलाल यादव]

है तो दूसरी चीज़ ही हमें मिलती है, इसलिये जिस चीज़ को हमें देखने में ४ घन्टे लगने चाहिये थे उसी को देखने में कल सारा दिन लग गया और कुछ पूरी बातें हम देख भी नहीं सके। इसलिये आपसे यह निवेदन है कि आप बजट हिन्दी में ही, हिन्दी के योग्य आदमियों को रख कर तैयार कराते तो ज्यादा अच्छा होता। जिस प्रकार अंग्रेजी के लिये विशेष साधन जुटा कर आपने अंग्रेजी में बजट को अच्छे ढंग से तैयार कराया है, उसी प्रकार हिन्दी में भी उसे बनाया जावे। इसके अलावा आपने इस पर मिनिंग की लिस्ट भी लगा दी है जिससे कि मीनिंग भी देख लें। इधर एक शब्द पढ़ा और फिर उधर उसका मीनिंग देखा।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मीनिंगों की लिस्ट उन लोगों के लिये है जो सदन के बाहर के लोग हैं। सदन के लोग तो काबिल लोग हैं, वे तो सब जानते हैं। सदन के बाहर वाले नहीं जानते उनके लिये यह मीनिंग रखे गये हैं।

श्री गोपीलाल यादव—इसमें नये-नये शब्द प्रयोग में लाये गये हैं, उन्हें कोई नहीं जानता।

अब मुझे यह निवेदन करना है कि आपने किसानों और देहातों की हालत को बिलकुल इग्नोर कर दिया है।

मैंने शिक्षा के बजट को देखा। सबसे पहली जो चीज आप देखेंगे वह यह है कि देहातों में कॉलेज और हाई स्कूल तो खोले नहीं जा सकते, वहाँ पर तो प्राइमरी स्कूलें ही खोली जा सकती हैं। अब बजट में उनकी हालत क्या है? पिछले साल ५३–५४ में ८,८७८ प्राइमरी स्कूलें खोली जाने का बजट में प्रोविजन था। इस साल जब हम बजट की तरफ देखते हैं तो सिर्फ ७,२२३ प्राइमरी स्कूलों का ही प्रोविजन रखा गया है। यानि पिछले साल से इस साल प्राइमरी स्कूलें खोलने का प्रोविजन घटा दिया गया है। यह है इस साल एज्युकेशन की सुविधा देहातों के लिये। जहाँ हम यह समझते थे कि प्राइमरी शिक्षा कम्पलसरी कर दी जानी चाहिये पाँच साल में, वहाँ हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की वह संख्या घटा दी गई है इस साल के बजट में बजाय बढ़ाने के।

इसके अलावा दूसरी चीज़ हैं होस्पिटल्स। पिछले साल हमको ३५ होस्पिटल्स खोलने का कहा गया था और इस साल भी ३५ खोले जाने की योजना है। इस हिसाब से सारे राजस्थान के लिये जो इतना लम्बा और चौड़ा इलाका है उसमें सिर्फ ७० होस्पिटल्स होंगे। फिर उनके लिये औषधियाँ वगैरह और खर्चे का बजट देखा तो वह भी घटा हुआ ही है।

मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह कि हम माननीय मन्त्री महोदय श्री भोलानाथ जी को, बजट भाषण पढ़ कर, धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन जब हमने देखा तो मालूम हुआ कि वास्तव में चीज कुछ और ही है और वास्तव में जैसा बताया गया वैसी परिस्थिति नहीं है; मैं आपको बताऊंगा।

श्री भोलानाथजी—आप बतावें, कहाँ है ?

श्री गोपीलाल यादव—पेज ६३

"The total of the provision in the revised estimate under the heads including in this Grant amounting to Rs. 2,86,00 shows an increase of 5·90 as compared with the budget estimate of 291·90·"

बजट एस्टीमेट २६१ लाख का था और रिवाइज्ड एस्टीमेट २८६ लाख का, इस तरह से ५॥ लाख की कमी कर दी गई है। इधर यह कहा जाता है कि ५॥ लाख बढ़ा दिये गये हैं, यह बिलकुल गलत है। आप देखिये वेरिफिकेसन्स "Variations occur under almost all other heads-increases under some and decreases under others, the net result being the increase of 5 90 lakhs." वास्तव में जो यह ५·६० लाख का इन्क्रीज़ बताया गया है वह डिक्रीज़ है, इन्क्रीज़ नहीं है।

एज्युकेशन को लीजिये; General Budget कौन से पेज पर है ?

श्री भोलानाथ—१०५ पेज से शिक्षा शुरू होती है।

श्री गोपीलाल यादव—पेज मुझे मिला नहीं। मगर जो कुछ भी मुझे जुबानी याद है उसमें मैं यह कहूँगा कि पिछली दफे २६१ और रिवाइज्ड में २ करोड़ ८६ लाख लिखा है। इसमें ५ लाख की कमी है, लेकिन बढ़ती दिखलाई गई है। इसके अलावा ३ करोड़ ३५ लाख का बजट इसी साल का बताया गया है और इसीलिये मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता था। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया है प्राइमरी स्कूलें कम कर दी गई हैं, देहातों की उन्नति के लिये कोई साधन नहीं हैं व अभी जितनी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स पेश हुई हैं उनमें एज्युकेशन की तरफ ध्यान देते हैं तो यही पाते हैं कि घटौती हुई है और मेडिकल का भी रिवाइज्ड एस्टीमेट देखते हैं तो उसमें भी घटौती की गई है। कहने का मतलब यह कि जितना रुपया पब्लिक युटिलिटी के कामों मे खर्च होना चाहिये नहीं किया जा रहा है। जितना पुलिस राज्य बनाने वाले मदों पर खर्च किया जाता है वह बहुत अधिक है। जहाँ खर्च करने की चीजें हैं, वहाँ तो पैसा खर्च किया नहीं जाता और जहाँ फिजूल खर्च होता है वहाँ खर्च बढ़ा है।

मैं यह अर्ज करूँगा कि यह चीज टीक उसी प्रकार हो रही है जिस प्रकार की राजाओं के जमाने में हुआ करती थी। राजाओं के राज्य में जैसी फिजूल खर्ची हुआ करती थी उसी प्रकार अब भी होती है। राजाओं के समय में क्या हुआ करता था ? यदि उनको पी. डब्ल्यू. डी. में दो लाख का खर्च करना होता तो वे बजट में ६ लाख दिखा देते थे। दो लाख को खर्च करके ६ लाख को अपने पास जमा में रख लेते थे और हिदायत कर देते थे कि दो लाख से ज्यादा खर्च न किया जावे। वही बात अभी भी हो रही है। सरकार ने एज्युकेशन का बजट इतना बड़ा दिखा दिया है, लेकिन दरअसल अधिकारियों को हरबार यही हिदायत कर दी जाती है कि काटो, काटो खर्च को। अगर आप दिल्ली

[श्री गोपीलाल यादव]

जैसी छोटी स्टेट की तरफ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ शिक्षा पर ३३ प्रतिशत आय खर्च की जाती है और यहाँ पर आप १४ प्रतिशत को भी कम करने जा रहे हैं। क्या यही कल्याणकारी राज्य है ?

दूसरी बात यह कि देहातों की उन्नति के लिये बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा। बहुत थोड़ा रुपया डिविजनों में रखा गया है। उससे यही होगा कि वहाँ के लोग अच्छी हालत में हो सकेंगे। भाखरा और चम्बल योजना से उन एरियाज़ को कोई फायदा नहीं होगा जो रेगिस्तान में है इससे तो बीकानेर और चम्बल के आस-पास के एरिया को ही फायदा होगा। किसानों को तो तभी फायदा हो सकता है जब कि वे इस सिद्धान्त पर काम करें :"Own your own well" हर एक किसान को कहा जाय कि वह खुद अपना कुआ बनाए। उसके लिये सरकार उसको ५० प्रतिशत मदद दे, कुछ सहायता के रूप में और कुछ कर्ज के रूप में। इसलिये उनके लिये कोई स्कीम बनाकर काम किया जाए जिससे कि हर एक किसान अपना कुआ बना सके। भाखरा डेम बीकानेर को फायदा पहुँचाएगा और चम्बल उसके सरहद पर बसने वालों को; बाकी राजस्थान यों ही मरता रहेगा। मैं तो यह कहूँगा कि बाकी किसानों के लिये आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनकी कमर तोड़ रहे हैं और हमसे छिपा रहे हैं।

अभी बजट सेशन आने के ६ ही दिन पहले राजप्रमुख का एक ऑर्डिनेन्स हमारे सामने आया। उस ऑर्डिनेन्स द्वारा सेटलमेंट के ऑफीसरों को हिदायत की गई है और लिखा गया है कि ग्रोस प्रोडयूस का $\frac{1}{4}$ हिस्सा लिया जावे।

आप ताज्जुब करेंगे कि संसार के अन्दर कहीं भी आज तक यह नहीं हुआ कि लेन्ड रेवेन्यू ग्रोस प्रोड्युस का एक चौथाई लिया जाय। $\frac{1}{6}$ तो हमने जागीरदारों के लिए रखा है जिनको हम रोज गालियाँ देते थे कि दुनिया को लूट-लूट कर खा रहे हैं। $\frac{1}{6}$ तो वे किसानों से ले सकते हैं जिनसे कि वे अधिक लिया करते थे। अब हम जो करने जा रहे हैं, लेन्ड रेवेन्यू जो मुकर्रर करने जा रहे हैं वह कर रहे हैं ग्रोस प्रोड्युस का $\frac{1}{4}$ और वह हम उन लोगों से लेंगे जो कि खातेदार टिनेन्ट्स हैं। किसानों को आपने खातेदार टिनेन्ट्स माना है। तो इस तरह से आधी पैदावार किसानों की चली जाती है। इस ऑर्डिनेन्स को हाउस के सामने लाये और निकालने की कोई जल्दी नहीं थी। इस प्रकार राजप्रमुख द्वारा ऑर्डिनेन्स निकाल देने से कानून निकाल देने से किसान तबाह हो जावेंगे। इस प्रकार ऑर्डिनेन्स को जल्दी निकालने की कोई वजह नहीं मालूम होती। आसमान से तो कोई बिजली नहीं पड़ रही थी। पहले तो उसको जारी कर दिया, फिर कहा गया कि आपने यदि इसको गिरा दिया तो गवर्नमेंट की डिफीट हो जायगी और गवर्नमेंट की पोलिसी फेल होने के बराबर होगी और उसके लिए अफसोस करना पड़ेगा, महरबानी करके वोट दें। तमाम किसानों के वोट लेने के लिए पहले से ही निकलवा दिया गया। मैं निवेदन करूं कि मेरे मित्र वोट डाउन जरूर करेंगे।

[श्री गोपीलाल यादव]

इस तरह से मैं दूसरी चीज़ आपको और बताऊं। पिछले सेशन में एग्रीकल्चर इनकम टेक्स लाया गया था। १५ लाख रुपये की इससे आमदनी होने का कहा गया है। मैं वित्त मन्त्री से कहूँगा कि १५ लाख के बजाय हम २५ लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टेक्स की डिपार्टमेंट द्वारा वसूली मत कराइये। आप एक स्कीम बना लें कि इतनी जमीन वाले को इतनी आमदनी हो सकती है और उस पर जिस प्रकार इनकम टेक्स पैसा-दो पैसा, आप लगावें, लगा दीजिये। मैं आपको कह सकता हूँ कि १५ लाख के बजाय २०—२५ लाख रुपया आपके पटवारी वसूल कर लेंगे। हम उस टैक्स को दे भी सकेंगे। किन्तु होने क्या जा रहा है कि यदि किसी के पास २० बीघा जमीन है और उसको पांच सौ रुपये की आमद होती है और वह इनकम टेक्स के अन्तर्गत नहीं आता है तो उसको भी नोटिस दिया जायगा। वह इधर से उधर मारा मारा फिरेगा। लोग उसको लूटेंगे। १५ लाख रुपया खजाने में आयेगा और १ करोड़ रुपया किसानों के पास से रिश्वत में चला जावेगा, यह निश्चित है। यह जो आप कर रहे हैं इस पर आप सोचें। इस ढंग से टेक्स लगावें कि जितना हम किसानों से लेना चाहते हैं उतना ही उसकी जेब से जाय और गवर्नमेंट के खजाने में भी वह रकम आ जाय, इससे किसानों को भी फायदा हो। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि जिस ढंग से आप कर रहे हैं, उससे तो किसानों की कमर टूट जायगी।

इसके अलावा इस बजट में कोई रिलीफ किसानों को नहीं दिया गया है। सभी मानते हैं कि राजस्थान में दूसरे सब प्रान्तों से किसानों पर टैक्स ज्यादा है और फिर भी पूरा नहीं पड़ता। Every year (प्रति वर्ष) उनके ऊपर बोझा बढ़ता जा रहा है और हर साल दो दफा बढ़ता चला जाता है। एक और चीज़ बढ़ रही है किसानों पर। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में बताया कि कृषि की चीजों के भाव गिर रहे हैं। । नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ तो किसानो की आमद घट रही है क्योंकि जब चीज़ों की कीमतें घट रही हैं तो उसका असर किसानों पर ही अधिक पड़ने वाला है और दूसरी तरफ किसानों पर अधिक टैक्स लग रहे हैं। आज किसानों को भूखे मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। चूँकि उसके पास अखबार नहीं हैं, उसके पास पार्टीज़ को देने के लिए चन्दा नहीं है, उसके पास प्रेस नहीं है। उसके जो रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं वे असेम्बली में व्हिप की वजह से दबे बैठे हैं। नतीजा यही हो रहा है कि किसान भूखों मर रहे हैं और उनको दबाया जा रहा है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इस चीज़ को देखना है कि किसानों की हालत किस तरह से बदले और उनको बदलने के लिए आपको कदम उठाना है और उनकी हालत को इस ढंग से बदलना है।

दूसरी चीज जो मुझको कहना है वह है न्याय-व्यवस्था के बारे में। गरीबों को इससे ज्यादा पीड़ा है ? लाखों लोग मुकद्मे बाज़ी करते हैं। गवर्नमेंट यह कर रही है कि मुकदमेबाज़ी से तो लाभ उठा रही है और जस्टिस पर जो खर्चा होता है वह भी उनसे वसूल कर रही है और उसके सिवाय बचत भी बता रहीं है। हाईकोर्ट में सिर्फ तीन जज हैं। सन् १९४९ और ५१ के केसेज़ अभी तक बिना फैसले के पड़े हुये हैं, हजारों केसेज़ पड़े हुये हैं, ढेर लग रहे हैं। सौ-सौ मुकदमों की तारीखें

[श्री गोपीलाल यादव]

होती हैं किन्तु दस मुकदमे ही एनलिस्ट (enlist) किये जाते हैं। तारीखों पर लोग आते हैं, उनका रुपया बर्बाद होता है और दो-चार मुकदमे ही निकल पाते हैं। किन्तु, हम यह नहीं कर सकते कि तीन जज और बढ़ा दें तो मामले क्लीयर हो जावेंगे। कर क्या रहे हैं कि स्टाम्प ड्युटी के अन्तर्गत जो रकम आती है, रजिस्ट्रेशन की जो रकम आती है वह हम जस्टिस पर खर्च करते हैं और फिर उसमें से भी बचत कर लेते हैं। किसानों को लूट कर सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का खर्चा उनसे लिया जा रहा है। इसके अन्दर हाईकोर्ट, सेशन्स कोर्ट्स, मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट और सारी अदालतें शामिल हैं। इन तमाम का खर्चा मिला कर और जेल वगैरह का खर्चा मिला कर भी, मैं आपको बताता हूँ जेल का खर्चा २४ लाख रखा गया है; स्टाम्प्स, रजिस्ट्रेशन फीस से जो आमद होती है वह कहीं ज्यादा है। जब हमको इतनी आमदनी हो रही है तो हम क्यों नहीं जजेज़ की संख्या बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिले। क्यों नहीं कर रहे हैं? ध्यान नहीं गया है। हम अंग्रेजी ज़माने की ही बात कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट इलाहबाद में रखा गया है, किन्तु वह तो रख दिया गया है चाहे लोगों को तीन-तीन सौ मील से चल कर आना पड़े। जिस निगाह से हम इसको देखते हैं हमको वह निगाह छोड़ देनी चाहिये। पहले मेरे एक मित्र ने कहा था कि हिज़ हाइनेन्स एक बिल्डिंग युनिवर्सिटी के लिए देने को तैयार हो गये हैं, यदि युनिवर्सिटी का दफ्तर वहाँ बना दिया जाय। मेरा खयाल है कि वे अभी तक युनिवर्सिटी को वैसी ही पुरानी चीज़ मानते हैं कि वह तो पर्चे बनाया करती है और यह वह जोधपुर में करे तो क्या और दूसरी जगह करे तो क्या। उन्हें यह पता नहीं है कि युनिवर्सिटी का नक्शा ही और हो गया है। टीचिंग बड़ा बनाया जा रहा है, रेजिडेन्शियल इन्स्टीटयूशन्स बड़े बनाये जा रहे हैं। मकान मिल जायगा कहीं भी। जेसलमेर में भी मकान खाली हैं। यहाँ के किसी दफ्तर को भेज दिया जाय उस रेगिस्तान में। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो हमारे यहाँ चल रही हैं।

श्री खेतसिंह—जेसलमेर में तो जरूरत नहीं है, भरतपुर में भेज़ दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—धन्यवाद।

अब मैं एक चीज़ के बारे में, जो बहुत ही अहम है इन्हीं के बराबर और वह है वेतन सम्बन्धी, कहूँगा। जितने चपरासी और क्लर्क्स हैं उनकी जितनी तादाद है और उनको जो तनख्वाहें दी जाती है उनका हिसाब उनकी तादाद के अनुसार लगा कर और १२ से डिवाइड करके देखा तो मुझे पता लगा कि चपरासियों की तनख्वाह २५ से २७ तक आती है और क्लर्क्स की इसी तरह ५० से शुरू होती है। स्वीपर्स वगैरह की तो १०), १२) रु० माहवार औसत पड़ती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट में हम आशा करते थे कि कम से कम आप इतनी तनख्वाह गरीब चपरासियों और क्लर्क्स को दें कि जिससे उनका गुजारा चल जाय। क्या २५ रुपये में और १२) रु० में गुजारा चल सकता है? मैं समझता हूँ कि आप कहेंगे कि आपके पास रुपया नहीं है। मैं यह बता देना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय यह रुपयों की चीज़ नहीं है, किन्तु दिल की चीज़ है। दिल में जो आज हम महसूस कर रहे हैं वह नहीं हो रहा है। अगर दिल हो तो रुपयों का भी इन्तजाम हो जाता है।

[श्री गोपीलाल यादव]

मैंने अभी आपसे कहा कि दिल्ली में ४३ पर्सेन्ट बजट का हिस्सा एजुकेशन पर रखा गया है। इसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ५०० रुपया तनख्वाह कर दी; मुझे अधिक नहीं लेना है, यह कहा। मुझे यह निवेदन करना है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी जगह पब्लिक की भलाई के लिए काम कर सकती है, किन्तु किसी जगह उसका जरा भी ध्यान नहीं रख सकी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नियम बना लीजिये। रुपयों का इन्तजाम भी हो सकता है। हम आपको रुपया दे भी सकते हैं, किन्तु चपरासियों को सौ रुपये से कम तो नहीं मिलना चाहिए। यदि आप सौ रुपया भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पचास रुपये से तो कम नहीं मिलना चाहिए। पचास रुपये जो रक्खे उसमें उनको और उनके बच्चों को रोटी मिल जायगी। उनके बच्चों के लिए फीस माफ कर दीजिये। आपने जो अनाज ६) रुपया और १२) रुपया मन का खरीद कर भर रखा है वह उनको ६) और १२) रु० से ही दीजिये। अगर उनको सस्ती चीज़ मिल जाय तो वे गुजारा कर सकते हैं।

जब आप यह नहीं करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि आप चाहे इसको बुरा मानें, हम एक मशीन की तरह से काम करा रहे हैं। दूसरों के दुख और दर्द को जानने का माद्दा आप में नहीं।

इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में मेरे मित्र जसवन्तसिंहजी ने बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख के पद के लिये हमें लाखों रुपया जो खर्च करना पड़ रहा है इसके सम्बन्ध में मैं एक चीज़ सजेशन के रूप में कह दूँ। यदि आपने उसके मुताबिक कार्य किया तो मैं समझता हूँ आपको उसमें सेन्ट परसेन्ट कामयाबी हासिल होगी। राजप्रमुख और महाराज प्रमुख को रुपयों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको प्रीवी पर्स जारी है, उनको प्रीवी पर्स मिली हुई है। इसके बाद आप किसी आदमी को राजप्रमुख बनाते हैं तो उसको प्रीवी पर्स तो मिलती है, फिर उसको तनख्वाह देने की क्या जरूरत? आप जो यह कहते हैं कि उनको प्रीवी पर्स भी मिलती रहे और राजप्रमुख के पद का अलाउन्स भी मिलता रहे, यह मेरी समझ में गलत बात है। यह जिस किसी ने किया है गलत किया है। हमारे राजस्थान के १८ राजाओं को प्रीवी पर्स के रूप में कुछ न कुछ रुपया मिलता है, उसके बाद भी हम केवल राजप्रमुख को १३ लाख रुपया सालाना देते हैं। मेरा यह सुझाव है कि आपको यह करना चाहिये कि जिस किसी को आप राजप्रमुख बनावें उनसे आपको १३ लाख रुपया वसूल करना चाहिये, वे १३ लाख रुपया देंगे। ऐसा करने पर भी मेरी राय में कई राजा महाराजा तैयार हो जायेंगे राजप्रमुख बनने के लिए। आप महाराजा भरतपुर को राजप्रमुख बना दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल--महाराजा भरतपुर से १३ लाख रुपया माँगा जाय या नहीं?

श्री गोपीलाल यादव--(अपना भाषण जारी रखते हुए) या तो वे दे देंगे, नहीं तो कम से कम इतना मैं अवश्य निवेदन करूँगा कि वे १३ लाख रुपया लेंगे तो नहीं। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि ऐसे प्रिन्सेज़ आपको राजस्थान में मिल जायेंगे जो अपने आपको इस काम के लिए ओफर करेंगे और बहुत मेहनत के साथ इस काम

[श्री गोपीलाल यादव]

को करेंगे, सिर्फ अपने प्रिवी पर्स में ही काम करेंगे। अगर आप किसी को राजप्रमुख बनाते हैं तो उसको कह दीजिये कि जो आपको प्रीवी पर्स मिलती है उसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे। देखते हैं आपका काम चलता है या नहीं ?

इसके अलावा एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। वह यह कि मिनिस्टरों पर जो पाँच हजार रुपया मासिक खर्च आता है मैंने तो पिछले साल ६ हजार रुपयों का अन्दाज लगाया था; खैर, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि पाँच हजार रुपया खर्च आता है उसको मैं मानकर चलता हूँ। इस पाँच हजार को कम करने का क्या तरीका है। आप जो पार्टी प्रोपोगेन्डा करते हैं वह सब आप मिनिस्टरों की कारों के जरिये से करते हैं। यह ठीक नहीं है। कल ही मेरे मित्र श्री पालीवाल जी वैर तहसील गये थे, वहाँ उन्हें कुछ दो-तीन उद्घाटन करने थे। काँग्रेस के लोगों ने क्या तरीका अख्त्यार कर रखा है कि जहाँ कहीं भी पार्टी का प्रोपोगेन्डा कराना हो वहाँ एक मंत्री का दौरा रख लेते हैं। इससे यह होता है कि उन मंत्रीजी का दौरा हो जाय तथा सारा पार्टी का प्रोपोगेन्डा भी हो जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—आप माफ कीजिये मैं वहाँ कोई उद्घाटन के लिये नहीं गया था। मैं यह देखने के लिए गया था कि वहाँ एक सड़क बन रही है, जिसको लेकर दो गाँव के लोगों में झगड़ा खड़ा हो गया था। वह स्थान देखने के लिए मैं गया था। वहाँ जाने पर लोगों ने मुझे उद्घाटन के लिए कहा और मैंने उद्घाटन किया।

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

वह तो मैं भी मानता हूँ कि एक काम के साथ दूसरे काम भी लगाये जाते हैं और लगाये जाने भी चाहिये। मुझे निवेदन करना है कि आप यह तय कर दीजिये कि एक मिनिस्टर का दौरा एक डिस्ट्रिक्ट में साल में तीन दफा से ज्यादा न हो। इस तरह से एक मिनिस्टर एक साल में एक डिस्ट्रिक्ट में तीन दफा ही जा सकेगा अर्थात् चार महिने में एक डिस्ट्रिक्ट में एक दफा जायगा। इस तरह से राजस्थान में यदि २४ जिले हैं तो अगर हमारे यहाँ सात मिनिस्टर हैं या दस मिनिस्टर हैं, तो एक मिनिस्टर साल में तीन दफा उस डिस्ट्रिक्ट में जाये और वहाँ ओफिसों का इन्स्पेक्शन करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय को देखे दूसरे कार्यालयों का काम देखें, शिक्षा संस्थाओं को देखें कि वहाँ कैसे काम हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल हमने देखा कि जहाँ मिनिस्टर लोग नहीं जाते वहाँ का काम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मुस्तैदी से होता है और जहाँ मिनिस्टर लोग दौरे पर जाते हैं वहाँ पर काम में भी कमी होती है और रुपया भी वेस्ट जाता है।

दूसरी काम की चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। साठ गैलन पेट्रोल आपको मिलता है। जहाँ आपको साठ गैलन पेट्रोल मिलता है, जहाँ आप मोटर से जाते हैं वहाँ आप बिल्कुल टी. ए. मत लीजिये। यदि टी. ए. लेते हैं तो डी. ए. मत लीजिये। इन दोनों में से एक चीज को बन्द कर दें। आपको जो पेट्रोल मिलता है ६० गैलन वह करीब १८०) रुपये का होता है। इस तरह से आप १८०)

[श्री गोपीलाल यादव]

रुपया माहवार भत्ते के रूप में लेते हैं। इसलिये आपको टी. ए. या डी. ए. दोनों में से एक को छोड़ देना चाहिये।

एक और चीज है। आप ट्रांसफर्स करते समय यह इन्स्ट्रक्शन्स दीजिये कि एक व्यक्ति कम से कम एक जगह पर तीन साल तक रहेगा। जब तक उसकी करप्शन या और किसी प्रकार की शिकायत न आ जाय उसको वहां से न बदला जाय। अगर वह इलाका उस व्यक्ति से खुश है तो उसको वहीं रहने देना चाहिये। यदि किसी शिकायत के कारण बदलना आवश्यक हो तो कुछ सजा देकर उसको वहां से बदलना चाहिये। आज हम यह देखते हैं कि एक पुलिस का सब इन्सपेक्टर एक जगह जाता है; वह बेचारा वहाँ के चोरों से, डाकुओं से या भले आदमियों से वाकिफ भी नहीं होता कि उसके पहले ही उसका ट्रान्सफर हो जाता है। इसी प्रकार भरतपुर के इलाके के कुछ नाकेदार थे, कस्टम्स हवालादार, जिन पर उनके हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट कुछ नाराज हो गए थे, उनको बेचारों को वहां से बदल दिया गया। ऐसे जो ट्रॉसफर्स होते हैं वे खर्च बढ़ाने के सिवाय और किसी प्रकार भी फायदेमन्द नहीं होते। इस प्रकार से तबादला करना भी एक प्रकार से उन पर जुल्म है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम तीन साल के पहले किसी भी व्यक्ति का दूसरी जगह तबादला नहीं होना चाहिये।

जैसा कि मैंने सुबह भी कहा वन डे इलेक्शन (one day election) जो हम करते हैं उसमें हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। वह इस प्रकार होता है कि जहाँ कहीं इलेक्शन्स होते हैं वहाँ बहुत सारे अफसर और स्कूल के मास्टर आदि पहुँच जाते हैं। वे सात दिन तक वहाँ रहते हैं। उन सात दिनों में टी. ए., डी. ए. सब लगता है। हम क्यों न उस एक दिन के इलेक्शन के बजाय सात दिन का इलेक्शन कर लें। उससे होगा यह कि उस डिस्ट्रिक्ट के तमाम आदमी वहाँ काम करने लग जायेंगे और हमें बाहर से आदमी बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे हमारे टी. ए. व डी. ए. की रकम काफी बच जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वन डे इलेक्शन को बिल्कुल हटा दीजिये। इस चीज का प्रबन्ध आप ही कर सकते हैं।

इसके अलावा मैं आपको दूसरी एक और चीज निवेदन करना चाहता हूं। जितने भी आपके पास इकोनोमी के साधन हैं उन पर आप अपनी अकाउन्टस् कमेटी की राय लेकर मालूम कीजिये कि आप कहीं ज्यादा रकम तो खर्च नहीं कर रहे हैं आप एस्टीमेट कमेटी और अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट देखिये और उनके सुझावों के अनुसार काम कीजिये। लेकिन अभी तक किसी भी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामनें नहीं है। हम कैसे सुझाव दे सकते हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं जल्दी ही अकाउन्टस कमेटी की रिपोर्ट पेश करने वाला हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—धन्यवाद ! ताकि, निवेदन करने का मतलब यह था कि सरकार उस रिपोर्ट से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावे।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—इसमें गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं।

श्री यादव—इस रिपोर्ट से लाभ उठायेंगे तो हमारा बजट अच्छा होगा और हम कल्याण-कारी राज्य की तरफ अपना कदम बढ़ा सकेंगे।

सबसे पहले तो आप बेरोजगारी मंत्रालय कायम कीजिये जो हमारे प्रांत की बेरोजगारी को मिटा सके।

इसके लिये दो-चार करोड़ रुपया बजट में रखिये। आप इस मिनिस्टरी के लिये काम करें जिससे बेरोजगारी का सवाल हल हो। तीसरी बात यह है कि हरेक आदमी पर आप ओल्ड एज पैंशन (old age pension) का टैक्स लगा दीजिए कि तुमको एक आना पैंशन टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आदमी बूढ़े हो जावें तो उन्हें आप पैंशन दीजिये। यह नहीं कि जो सरकारी मुलाजिम हों उन्हें ही आप यह पेन्शन दीजिए। मेरा मतलब तो यहाँ हरेक आदमी से है। ६० साल की उमर के बाद हर आदमी को पैंशन मिले गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री किस्तूरचन्द—आप तो राजनीति से अलग हो जावेंगे तब ?

श्री गोपीलाल यादव—धन्यवाद है।

जन-लेखा-समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष—Mr. Kapildeo Agarwal will present the Report of the Public Accounts Committee.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Sir, I beg to present the Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the State for the year 1950-51 and the Audit Report thereon. I hereby present the Report, Sir.

श्री हिम्मत सिंह—एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट भी आज ही पेश हो जाए तो अच्छा हो।

श्री गोपीलाल यादव—वह भी कर दीजिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उसके लिये तो आप अपने पड़ौसियों से ही पूछ लीजिये।

श्री गोपीलाल यादव—(श्री जसवन्त सिंह को सम्बोधित करते हुए)
कुँवर साहब रखिये न ?
माननीय उपाध्यक्ष, आप से भी रखवा दीजिये एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट।
(श्री कपिलदेव द्वारा प्रस्तुत प्रति की छपी आवृत्ति न देख कर)
क्या यह प्रेजेन्ट करने का तरीका है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरी तबियत खराब थी और आप आज ही जल्दी-जल्दी चाहते थे, इसलिये छपने तक की इन्तजार हो नहीं सकती। फिर भी एक-दो कापी तो ऑफिस के पास स्पेअर भी हैं। आप देख लीजिये उन्हें बजट डिस्कशन के लिये तो।

श्री उपाध्यक्ष—We should now again resume budget discussions.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Not more interesting than the Report of the Estimate Committee that will come.

श्री कपिलदेव अग्रवाल--It merely depends on the Chairman, Sir.

श्री गोपीलाल यादव—इससे तो यह पता चलता है कि किसी तरह से यह रिपोर्ट रोकी गई है। रिपोर्ट का रोका जाना हाउस की प्रिविलेज का प्रश्न है, पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है।

Can Shri Jaswant Singh... ...

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—I am not the Chairman.

श्री कपिल देव—You were formerly, Sir.

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—Supposed to be.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद (क्रम में)

श्री चाँदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सन् ५४-५५ का जो बजट पेश किया है, वह एक प्रगतिशील बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जनस्वास्थ्य, सड़कें आदि सभी कार्यों के लिये पर्याप्त रकम की व्यवस्था की गई है। और कोई नया टैक्स नहीं लगाते हुये भी इसको सन्तुलित बनाया गया है, जिसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ अपने वित्तमंत्री महोदय को तथा इस सरकार को।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रकार का बजट कल्याणकारी राज्य बनाने में सहयोग देगा, लेकिन जब तक प्रांत में व्याप्त भ्रष्टाचार को खतम करने की कोशिश न की जावेगी तब तक यह होना जरा मुश्किल मालूम होता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, भ्रष्टाचार जिस तेज प्रगति से प्रांत में बढ़ता जा रहा है, उसके लिये मैं समझता हूँ कि सभी व्यक्तियों को खेद है। भ्रष्टाचार खुले आम फैला हुआ तो है ही इसके अलावा अधिकारी गण सरकारी खजाने पर भी डाका डालने में नहीं चूकते हैं। साबित भी करा दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों को सजा नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ तहसील में नकदी लगान मुकर्रर हो चुका है। फिर भी इस खरीफ की फसल में जबरन खले लाटे गये और उसका अनाज सरकारी खजानों में जमा नहीं हुआ और उन अधिकारियों को कोई सजा नहीं दी गई, जिन्होंने कायदे के खिलाफ लटाई की और जिन्होंने इसे सरकार के खजाने में न जमा कराकर ऊपर ही ऊपर उड़ा गये; बल्कि सजा दी गई बेचारे उन किसानों को जिनके यहां से लटाई की गई थी और अब दुबारा नकदी लगान वसूल किया जा रहा है और उनके खिलाफ कुर्कियाँ जारी की जा रही हैं।

[श्री चाँदमल]

यह है पाटन, चुरली और बड़गाँव के किसानों की हालत जो कि किशनगढ़ तहसील के रहने वाले हैं।

इस तरह की सरकारी अनाज उड़ाये जाने की यह पहली ही घटना नहीं है। इससे पहिले भी कई मर्तबा इस तरह की कार्यवाही हो चुकी है।

ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार मिटाने में दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने साबित किया है, पर हमारी सरकार की कृपा से उन्हें सजा नहीं हुई जिससे उनके हौंसले और भी बढ़ते जा रहे हैं।

इसी तरह दो साल पहले टिकवाड़ा ग्राम से खलिहानों में से सरकारी अनाज उड़ाया गया और इसके लिए शिकायत करके यह साबित कर दिया गया कि वास्तव में उस खलिहान में से अनाज उडाया गया था लेकिन उन भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को, जिनका कि इसमें हाथ था, कोई सजा नहीं दी गई। साल भर तो इन्क्वायरी चलती रही और इसके बाद फिर से दुबारा किसी अफसर को नियुक्त कर दिया गया और इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस इन्क्वायरी का परिणाम नहीं निकलने का नतीजा यह हुआ कि अधिकारियों के हौंसले बढ़ गये और वे खुले आम यह कहते सुने जाते हैं कि वे सरकारी खजाने में डाका डाल सकते हैं और उन्हें सजा देने वाला कोई नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस तरह की कई घटनायें हो रही हैं जिसमें खुले आम रिश्वत माँगी जाती है तलवार और बन्दूक का डर दिखाकर और उन्हें सजा नहीं दी गई। मैं पुलिस के खिलाफ भी एक किस्सा बताना चाहता हूँ। लादू जाट भंवाड़ा का मदनगंज से पाँच-छः गाड़ियों में ले जाकर उसका खेत का अनाज जबरन उठा कर ले गये। वह रिपोर्ट दर्ज कराता है कि इस तरह से मेरे कूए पर से नाज उठाकर ले गये पर पुलिस का अफसर मौके पर पहुँचता है, जाँच करता है, पता चल जाता है उस ले जाने वाले का कि फलां व्यक्ति अनाज ले गया है, पर उसका चालान नहीं करके उसी शिकायत करने वाले पर उस केस का (final) लगा दिया जाता है। गश्त गिरदावरी में ऐसे आदमी के नाम काश्त दर्ज हैं जो नाबालिग है, पर सिर्फ गश्त गिरदावरी की गलती के आधार पर उस केस का चालान नहीं किया गया और मामला दबा दिया गया।

माननीय उपाध्यक्षजी, भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ तक कह सकता हूँ कि किशनगढ़ तहसील में मातहत कर्मचारियों पर माहवारी टैक्स लगा दिया गया है रिश्वत देने का। अगर कोई इससे इन्कार करे तो उसे रिटायर कर दिया जाता है, सस्पेन्ड तक कर दिया जाता है। मदनलाल तिवाड़ी तफेदार है, जिन्होंने जब रिश्वत देना मन्जूर नहीं किया माहवारी टैक्स के रूप में तो उसे जबरन रिटायर कर दिया गया इस आधार पर कि तुम्हारी एज (आयु) हो गई। उसे उम्र से पहले ही रिटायर कर दिया गया। मामला जब आगे बढ़ता है तो वह कहता है मुझ से पूछा तक नहीं गया, मुझसे मेरी उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई। आखिरकार उस मामले में निर्णय होता है कि उसको

[श्री चाँदमल]

वापिस उसी स्थान पर रखा जाय। पर इतना होने पर भी उस अफसर से कोई पूछने वाला नहीं है जब कि उसके कारण सरकार का इतना नुकसान हुआ कि उसे ११ महीने की तनख्वाह की रकम घर बैठे देनी पड़ी। इतने दिन तक वह बाहर रहा और ११ महिने तक परेशान हुआ, सो अलग।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी तरह का एक मामला है मदनलाल शर्मा का। उसने भी इसी तरह से रिश्वत देने से इन्कार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे सस्पेन्ड कर दिया गया और उसकी अपील होने पर उसको फिर से बहाल करना पड़ा। जो सस्पेन्ड करने वाला अधिकारी था जिसको कोई अधिकार नहीं था सस्पेन्ड करने का, उसने उसे सस्पेन्ड कर दिया। पर इसके बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ, वह वैसे ही है।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, यह भ्रष्टाचार तो इस हद तक बढ़ा है कि अधिकारी जाते हैं गाँवों में और बन्दूक तलवार लेकर जाते हैं और किसानों से कहते हैं कि इतना अनाज दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जावेगा। इस रूप में भी रिश्वत लेने के किस्से हैं और इसके लिए आवाज बुलन्द की गई पर परिणाम कुछ नहीं निकला।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मारफत इस सदन को और खास कर इस सरकार के इन मन्त्री महदयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज की जनता बड़ी आशाभरी निगाहों से आपकी तरफ देख रही है। वह चाहती है कि लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह बजट ही पर्याप्त नहीं हो सकता, पर इसके साथ आपको यह भ्रष्टाचार भी समाप्त करना पड़ेगा और इसमें जो अधिकारी शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी।

अब मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ जवाई बन्ध के बारे में। इस योजना के लिए काफी पैसा बजट में मन्जूर किया गया है और पहले भी किया गया था। यह जो पैसा मन्जूर किया गया है उसका कई मायनों में जितना उपयोग होना चाहिए वह नहीं होता और जैसा कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक सवाल के जवाब में मन्जूर भी किया था कि जवाई बान्ध पर जो अनुमान किया गया था उससे तिगुना-चौगुना खर्च हुआ, और जितनी जमीन की उससे सिंचाई होनी चाहिए थी उसकी एक तिहाई हुई। उपाध्यक्षजी, ऐसे छोटे-छोटे काम भी हैं जिनमें जितना रुपया लगाया जाय वह एक ही समय में वसूल हो सकता है। उन कामों की माँग किये जाने पर भी कभी कोई खयाल नहीं किया गया। दादिया के तालाब की फीडर की ओर ध्यान दिलना चाहता हूँ, जिसके कारण से कई वर्षों से वह तालाब भरा नहीं है। ६ साल पहले इसके माँग की गई थी लेकिन वह फीडर तैयार नहीं हुआ। ऐसे फीडर कई दिनों तक माँग करने के बाद भी तैयार नहीं हुए हैं। उपाध्यक्षजी, इसी तरह अरई तहसील के कोडिया तालाब की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ स्थिति यह है कि कोडिया तालाब से इरिगेशन के लिए कोडिया तालाब का पानी डाला जाता है नाड़ी में और फिर उस नाड़ी से सिंचाई हो जाती है। कई वर्षों से माँग की जा रही है कि इस पानी का अपव्यय न किया जाय और

[श्री चाँदमल]

कोड़िया तालाब से सीधी नहर निकाल कर सिंचाई की जावे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीन साल पहले जब मैं असेम्बली में आया था तो माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि कटसूरा के तालाब को उस वर्ष तैयार करा दिया जायगा, लेकिन वह आज तक तैयार नहीं हुआ है।

परबतसर तहसील में जहाँ पानी की खास तौर से कमी है, पानी का बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ ऐसे कई तालाब हैं जो टूटे हुए हैं, जो यदि आज तैयार किये जायं तो उनसे सिंचाई हो सकती है और पानी की बहुत बड़ी कमी दूर हो सकती है। परबतसर तहसील के बरुए गाँव में एक तालाब बना हुआ है ? वह तालाब कई वर्षों से टूटा हुआ है। इसकी भी बहुत माँग की जाती है। बरुए गाँव की स्थिति यह है कि वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है। उस तालाब की स्थिति यह है कि इतना पानी आता है पहाड़ों से उतर कर कि अगर उसको बनाया जाय तो वह काफी पानी रोक सकेगा और उसके जरिये से पीने का पानी आस-पास के हिस्सों को मिल सकता है। इससे सिंचाई भी करीब १५०० बीघा हो सकती है। वहाँ जूए घाटी में भी जिसके कि तीन तरफ पहाड़ हैं बाँध बनाया जाय। इसके सिर्फ एक तरफ बान्ध बनाना पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप परबतसर की तहसील का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरसब्ज हो जायगा, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उपाध्यक्षजी, अब मैं आपकी मारफत निवेदन करूंगा कि लाखों रुपया जो सिंचाई पर खर्च होता है उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता है। सिंचाई विभाग द्वारा पानी का अपव्यय हो रहा है वह खास तौर से ध्यान देने की बात होती है। किसानों की फसलें सूख जाती हैं और किसानों को वक्त पर पानी नहीं मिलता है। फसलें सूख जाने के बाद जो पानी तालाब में होता है तो तालाब के पेटे को काश्त कराना जरूरी होता है तो उसका पानी खाली कराया जाता है। उपाध्यक्षजी, यहाँ तक है कि सिंचाई अधिकारियों की गड़बड़ की वजह से जिस जमीन की सिंचाई की जानी चाहिए थी वह नहीं की जा सकती, कूए जमीनों में हैं उनसे आबपाशी की जती है और जो तालाब के पेटे की जमीन में इरीगेशन होने वाली होती है उनकी जमीनों को पानी नहीं मिलने की वजह से सूख जातीं हैं। इसी तरह से गोगूंदा का तालाब है उससे करीब ४०० बीघा कूए की जमीन की आबपाशी की गई है। गोली के किसानों को भी पानी नहीं दिया गया है और उसका परिणाम यह हुआ कि जो ४०० बीघा जमीन काश्त होने वाली थी वह नहीं हो सकी।

उपाध्यक्षजी, इस तरह से पानी के डिस्ट्रिब्युशन की अव्यवस्था है। वह इस तरह से है कि अरई तहसील में जो काश्त के लिए पानी चाहिए वहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता है। उसका अधिकारी मिलेगा मोजमाबाद में। उसके लिए किसानों को भागना पड़ता है मोजमाबाद और मोजमाबाद के अधिकारी से जब तक कुछ खर्च नहीं करें तब तक इजाजत नहीं मिलती है। उस इजाजत को प्राप्त करने के लिए ५-७ दिन तक लग जाते हैं और फसलें सूखती रहती हैं। जब मैं पहले असेम्बली में आया था उस वक्त मैंने आवाज उठाई थी (घंटी) उस वक्त यह मान लिया गया था कि इस

[श्री चाँदमल]

संबन्ध में हैडक्वार्टर वहाँ मुकर्रर कर दिया जायगा। जो सिंचाई का काम होता है उनमें पैसा लगता है। मैं ऐसा मानता हूँ जो पैसे लगते हैं उनका कुछ भाग बरबाद हो रहा है।

सरवाड़ में बांके सागर नाम का तालाब है। सरवाड़ की जनता की इस माँग पर कि सूरज कुंड को बांकेसागर से पानी दिया जावे बांकेसागर तालाब को एक्सटेन्ड किया गया, लेकिन सरकारी आज्ञा के बावजूद सूरज कुंड में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। यह है बांके सागर पर लगे पैसे का उपयोग। इस तरह से पैसों का कुछ उपयोग नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरवाड़ के दूसरे तालाब के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि उस पर किस तरह से पैसा लगता है। उस तालाब को एक्सटेन्ड करने में जो ठेकेदार थे वह यह चाहते थे कि जैसा काम उन्होंने किया है अगर पानी उसमें ज्यादा आ गया तो वह सारा काम साफ हो जायगा तो उन्होंने उस तालाब के फीडर को काट दिया जिससे कि तालाब में पानी इकट्ठा न हो और बान्ध टूटने का मौका न आये और एक साल खत्म हो जाय तो अपना पैसा लेलें। (घन्टी) इस तरह की अव्यवस्था चल रही है। एक मिनट।

अब मैं निवेदन करूँगा मेडिकल के बारे में। किशनगढ़ सिटी में जो डिस्पेन्सरी है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। ग्रान्ट्स की संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में हैं लेकिन ५३—५४ के वर्ष में एक पैसे की भी दवाई नहीं भेजी गई है। दूसरे अरई में जो डिस्पेन्सरी है उसमें तीन साल में ३००) रु० की दवाई दी गई है। मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह की डिस्पेन्सरियों की हालत है तो फिर जो दवाइयों का पैसा दिया गया है वह कहाँ रखा जाता है, आखिर वह कहाँ गया? देहात की दवाइयों का क्या होता है? अब मैं डिस्पेन्सरियों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूँगा। सारे परबतसर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक डिस्पेन्सरी है जब कि कई क्षेत्रों में ३, ४, ५, डिस्पेन्सरियाँ हैं। सरकार ने, जावला ग्राम में जो डिस्पेन्सरी कायम थी वह भी बन्द कर दी। जब इस तरह से नई डिस्पेन्सरियाँ कायम की जावें तो खास तौर से पहले उनको स्थान दिया जाना चाहिए जहाँ कि डिस्पेन्सरियाँ नहीं हैं। कहीं-कहीं तो मौजूद हैं और जहाँ मौजूद हैं उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

तो मैं इन शब्दों से साथ यह उम्मीद करता हूँ कि यह जो जनहितकारी कार्यों के लिए रकमें रखी गई हैं उनका वास्तविक उपयोग हो और यह भ्रष्टाचार खत्म हो।

चौधरी श्री मोतीराम—उपाध्यक्षजी, हमारे सामने राजस्थान का तीसरा बजट आया है। मुझे इस बजट को देखते हुए काफी सन्तोष है कि यह सबसे अच्छा बजट है और इसी बजट से हमारे राजस्थान की उन्नति है, वह तरक्की करने वाला है।

उपाध्यक्षजी, इस बजट में १० हजार मील सड़कों का जिक्र किया गया है और अगले साल में २०० प्राइमरी स्कूलें शिक्षा के लिए खोलने का दिया गया है और इसी तरह से शिक्षा में बहुत सी और बातें भी बताई गई हैं। इस तरह से एक बहुत लम्बा-चौड़ा खर्च इस राजस्थान सरकार के ऊपर है। वह खर्च यह है कि जागीरदारों को मुआवजा और राजा लोगों की प्रिवी पर्स। वह भी खर्च

[चौधरी श्री मोतीराम]

इसमें शामिल है। इस तरह यह बजट देखते हुए इतना खर्च होना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं इसलिए आशा करता हूँ कि बजट दिन ब दिन तरक्की करता आ रहा है और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसमें अच्छे-अच्छे कार्य हो रहे हैं और हरेक जगह भी थोड़े-थोड़े कुछ न कुछ कार्य होने वाले हैं। इन शब्दों के साथ में बजट के हर सीगे की तारीफ करता हूँ।

हाँ, थोड़ी सी निन्दा करनी है कि सरकारी लोग अपने-अपने क्षेत्रों में मनमानी करते हैं। खैर, मैं इतना तो निराश नहीं होता। हमारे मन्त्री लोग अपने क्षेत्रों में कार्य समाप्त कराने के बाद किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ भी ध्यान रखेंगे जबकि उनका कार्य पूरा हो जायगा, उनकी कॉंस्टीटुएन्सी राजी हो जायगी तो उसके बाद हमारी बारी भी आयेगी। इसमें थोड़ी मेरी नाराजगी है, वह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। वह यह है कि हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं हो रहा है। यह मौजूदा तीन साल से वहाँ की जनता कहती आ रही है। बजट में १० हजार मील सड़कें जिनमें डामर की भी हैं, कंकड़ की भी हैं, कई तरह की सड़कें यहाँ रखी गई हैं; मगर यह समझ में नहीं आता कि गंगानगर इलाके में या गंगानगर जिले में नई सड़कों को क्यों नहीं बनाया जा रहा है; क्योंकि वहाँ से सबसे ज्यादा आमदनी सरकारको मिलती है, ट्रकों, जीपों, कारों के लाइसेन्स से ज्यादा आमदनी मिलती है। उनके लिये सड़कों की जरूरत होती है और इसी एरिया में सड़कें ज्यादा बनाई जानी चाहिये और उसी इलाके का यह हाल है। वहाँ पर किसानों से ज्यादा पैदावार है, शहरों में किसान अपनी उपज को गाड़ियों आदि में भरकर ले जाते हैं। वहाँ ट्रकें, जीपें बहुत ज्यादा तादाद में चलती हैं। फिर भी वहाँ की सड़कों में बहुत गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं जिनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। मन्त्री महोदय जो पी॰ डबल्यू. डी. के मिनिस्टर रहे हुए हैं वे वहाँ पिछले साल गये थे, उनको सड़क दिखाई थी। उन्होंने भी महसूस किया था कि यहाँ सड़कें होनी चाहिये। बावजूद इसके भी वहाँ कोई सड़क नहीं बनाई जाती है और यह कह कर टाल दिया जाता है कि एक मिलिट्री रोड भारत सरकार द्वारा बन रही है। बीकानेर से पंजाब तक सड़क बनने के बारे में दो साल से हम सुन रहे हैं पर पता नहीं कब बनेगी? बीकानेर से अबहोर तक जो सड़क बनेगी उससे किसानों को क्या लाभ होगा? वह तो बाउंडरी की सड़क है और सरकार के काम आ सकती है लेकिन वह सड़क आम जनता के कोई काम आनेवाली नहीं है।

चौथी माँग गंगानगर के लोगों की जो है वह है डिग्री कॉलेज के बारे में। वहाँ किसी तरह की डिग्री कॉलेज नहीं है। पिछले साल वहाँ पर छात्रों ने सत्याग्रह किया था, तब उनको आश्वासन दिया गया था कि आगामी साल डिग्री कॉलेज बना देंगे। मैंने इस साल बजट देखा लेकिन इसका कहीं पता नहीं है। वहाँ पर इतने शहरी लोग हैं, इतना लम्बा-चौड़ा इलाका है शिक्षा से लोगों को प्रेम है क्योंकि पंजाब नजदीक लगता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस कॉलेज के बारे में सरकार तय क्यों नहीं करती है? तीन साल से कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट में मिलते रहते हैं, इस्तदुआ कर रहे हैं, आश्वासन दिये जाते हैं, इस पर भी कुछ करने-धरने की बात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से मेरी नाराजगी है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस पर सोचे और ध्यान दे।

[चौधरी श्री मोतीराम]

दूसरी बात यह है कि मेरे लायक दोस्त, कुँवर साहब ने मेरी शहादत चाही है। मैं शहादत में तो कुछ नहीं अर्ज करूँगा क्योंकि यह कोर्ट नहीं है लेकिन यह अर्ज करूँगा कि उनकी बात सही है। आबकारी से पता चलेगा कि आबकारी से सरकार की आमदनी क्यों कम हो चुकी है। वहाँ गन्ने की अच्छी उपज होती है। गन्ना बीजने वाले लोग अपने गन्ने से नाजायज शराब बनाकर बेच देते हैं और शहर में ले जाकर अधिकारियों को देते हैं और उनकी राय से बेच देते हैं। उस शराब में नारंगी का रस मिला कर खुशबूदार बनाकर अधिकारियों को देते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं। ठेकेदार लोग सेन्ट परसेन्ट उसमें पानी मिला देते हैं क्योंकि अधिकारियों का उसमें हिस्सा रहता है इसलिये उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वे खुल्लमखुल्ला पानी मिला देते हैं। कोई भोलाभाला गरीब आदमी यदि कभी शिकायत करता है तो उसको अधिकारी लोग धमका देते हैं। इस तरह से सरकार के बजट में घाटा पड़ रहा है और पालीवालजी ने अपनी स्पीच में भी यह कह दिया है। यह तो है करप्शन की बात। सरकार करप्शन कमेटी बना रही है, इससे क्या फायदा है ? सरकार यह बतादे कि इस एन्टी करप्शन कमेटी ने कितने केस पकड़े और किन-किन को सजा मिली और क्या-क्या सुबूत हुआ ? यदि ऐसा नहीं है और कोई अमल नहीं किया जाता क्योंकि सिफारिशें चलती हैं तो कम से कम इस कमेटी को जरूर तोड़ दिया जाय ताकि सरकार पर बोझ तो नहीं रहे। सरकार ने डिपार्टमेन्ट खोल रखा है। डी० आई० जी०, एस० पी० तक डिपार्टमेन्ट के अफसर हैं। डी० आई० जी० नहीं हैं तो एस० पी० तो है और उनको तनख्वाह तो सरकार को बाँटनी पड़ती है। ऐसे डिपार्टमेन्ट की जरूरत नहीं है। यह साफ बात बतादी है जो सरकार की नज़र में है। यह तो हुई आबकारी की बात। अब मैं पुलिस विभाग की बात कहूँगा।

६ महीने की बात है। इस पर थोड़ा सोच-विचार करूँगा। एक थानेदार साहब सन ५२ में जो रिश्वतखोर और माने हुए आदमी थे, जिनके नाम के छापे लगे हुए हैं और बड़ा जबरदस्त रिश्वत लेने वाला है और नम्बरी आदमी है; हिन्दूमल कोट में इसकी शिकायत हुई तब वहाँ से इसकी ट्रान्सफर छोड़मल थाने में जो हिन्दूमल कोट से थोड़ी दूर पर है, हुई। वहाँ पर उसने लोगों से बात-बात पर यह कहा कि इतने रुपये दो तो तुम्हारा काम बन जाय। वहाँ पर जनता ने शिकायत की तो उसका तबादला हुआ अलवर में। वहाँ पर रहना मौजू नहीं समझता था क्योंकि वहाँ पर उसको कम पैसे मिलते थे। गंगानगर जैसे स्थान में वह हिला हुआ था इसलिये १५ रोज अलवर रहा और वहाँ से आ गया जयपुर में। जयपुर से ५-७ रोज बाद ही चला जाता है झुन्झुनू और झुन्झुनू से पहुँच जाता है, हनुमानगढ़ जाकर उसने बड़ी धांधली मचाई। वहाँ ऐसी धांधली मचाई कि वहाँ के सेठों से कहने लगा कि तुम्हारा नाज बाहर जाता है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिये, वरना चालान कर दूँगा। कन्ट्रोल तो था ही, हर तरह के कानून और पाबन्दी नाज पर लगी रहती थी। उन व्यापरियों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा चार आना हिस्सा प्रति मन के हिसाब दे देंगे, तुम हमारी बहियाँ तलब मत करो और उन सेठों की बहियों में चार आना मन उस थाणेदार को देने का इन्दराज मौजूद है। यह फरजी बात नहीं है। उसका माहवारी हिसाब होता था। इस तरह इसकी शिकायत सामने आई है। इसने एक दूसरे महाजन को कहा कि जैसे मैं और एक आदमी एक मकान में किराये पर रहते हैं। एक किरयेदार पर कोई इल्जाम था तो उसने दूसरे रहनेवाले महाजन से कहा कि तुम हमको ५ हजार

Page No.82

[चौधरी श्री मोतीराम]

रुपये दो नहीं तो तुम्हारा चालान कर दूंगा। उसने कहा कि मैं क्यों रुपया दूं ? इस पर उसने उस महाजन को हवालात में डाल दिया और उसके खिलाफ फरजी केस बना दिया। आगे आकर अदालत से वह महाजन बरी हुआ और उसकी बड़ी भारी शिकायत हुई। इन्पेक्टर पुलिस ने उसकी जाँच करके रिपोर्ट की। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वाकई में यह केस सच्चा है, इसने रिश्वत ली है। इसके बाद आपकी करप्शन कमेटी गई। उसने भी रिपोर्ट की कि इसने रिश्वत ली है। इसके बाद एस. पी. साहब ने उसकी जाँच की। उन्होंने उसको लम्बी-लम्बी तारीखें दीं। दो-दो महीनों की तारीखें दी, ताकि वह गवाहों को फोड़ सके। उसके खिलाफ फिर भी ११ केसेज़ साबित हो गये। एस. पी. साहब ने तंग आकर अपनी रिपोर्ट दी कि यह वाकई कुसूरवार है, इसको सजा मिलनी चाहिये। बीकानेर डी आई. जी. उसको एक साल के लिए हैड कॉन्स्टेबल बनाते हैं। करप्शन कमेटी की रिपोर्ट, इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट, सी. आई. डी. की रिपोर्ट और एस. पी. की रिपोर्ट होने पर भी उसको हैड कॉन्स्टेबल बनाया गया जब कि वह डिस्मिस कर देने के लायक था। मैं तो कहता हूँ कि क्यों इस तरह के करप्शन रोकने के महकमे बनाये जाँय, क्यों जाँच हो ? हजारों रुपया जाँचों में राज्य का खर्च होता है। होता कुछ नहीं है, फिर क्यों हजारों रुपया राज्य का बर्बाद किया जाता है ?

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह करप्शन होता है। सरकार को कम से कम करप्शन कमेटी के बारे में कदम उठाना चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि स्पेशल कोर्ट बना कर इस तरह के केसेज़ की जाँच करवाई जानी चाहिये। राजाओं के जमाने में भी जिसकी ज्यादा शिकायत होती थी तो उनको दंड दिया जाता था। महात्मा गाँधी का भी यह उसूल नहीं है कि इस तरह के लोगों को दंड नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को तो दंड जरूर दिया जाना चाहिये।

हमारे ऑपोज़िशन के लीडर महोदय से सम्बन्ध रखने वाली बात में अब आपको सुनाऊँगा जो कि उनसे व्यक्तिगत ताल्लुख रखती है।

दीपसिंह मास्टर है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, आपका व्यक्तिगत ताल्लुक उसके साथ है......

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—मैं उसको जानता भी नहीं।

श्री मोतीराम—मैं आपको बताता हूँ, आप उसे जानते हैं। यह रिपोर्ट है, आपके वक्त की रिपोर्ट है। सन् १९४८ में मन्त्री-मंडल बना था, पोपुलर गवर्नमेंट बनी थी, आप उसके प्रधान मन्त्री थे। कृपा करके दो मिनट दे दें। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप जान-बूझ कर मना कर रहे हैं।

तो उस वक्त मर्जर का जमाना था, आप उस वक्त ठेकेदार थे बीकानेर को इकाई के रूप में रखने के लिये। एक महाजन दीपसिंह का साथी है उसको बरगलाया गया, खड़ा किया गया। आपके साले कह दो या जीजा कह दो; जसवन्तसिंह जी एस. पी. हैं, आपके नातेदार हैं, आपके

[चौधरी श्री मोतीराम]

साले भी हैं और बहनोई भी हैं। आपने यह किया कि उस कर्मानन्द की चमड़ी खींच कर गोली लगा दी। वह भोला सीधा था, उसको हड्डा चढ़ाया। उस कर्मानन्द को महाराज तक ले जाया गया, आप तो थे ही। मर्जर में रहने वाले कौन थे? ४ मन्त्री थे: श्री कुंभाराम रेवेन्यू मन्त्री थे, श्री हरदत्त सिंह होम मिनिस्टर थे, मस्तान सिंह शिक्षा मन्त्री थे और गौरी शंकर आचार्य पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री थे। चारों आदमी जनतन्त्र की तरफ से थे। दूसरा क्या था कि ये दो हरदत्त सिंह और कुम्भाराम चन्ट थे। ये समझते थे कि इन दोनों को सजा करा दी जाय तो डराने से मान जायंगे कि बीकानेर रियासत मर्जर में नहीं जाय।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—On a point of Order, Sir, is it relevant to the present Budget ?

श्री मोतीराम—दीपसिंह की बात कही गई थी, इसलिए कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—आप व्यक्तिगत बातों में मत जाइये और अपनी बात दो मिनट में कह दीजिये।

श्री मोतीराम—एस. पी. जसवन्तसिंह जी के मकान पर तो कर्मानन्द को गोली लगी थी। उस कर्मानन्द ने बयान दिये कि मुझको जिस रिवोल्वर से मारा गया है वह जसवन्तसिंह जी के कोट में पड़ा है। यह केस इस तरह से बना था, यह सारा राज खुल गया। इनके हाथ में सारी हुकूमत थी। आज का जमाना होता तो इस तरह प्रधान मन्त्री होते हुए, राज कर्मचारी होते हुए कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के साथ इस तरह करते तो पता चल जाता।

मारने वाला डाकू है। राजगढ़ रास्ते में पड़ता था। वहाँ से गुजरा तो मैंने सुना कि डाकू डाकू के द्वारा मारा गया है। उसने डाकू के खिलाफ सारा राज खोलना चाहा, गवर्नमेंट का गवाह बनना चाहता था। वह केस अब दीपसिंह के जिम्मे लगाया जाता है और कहा कि उसको कैसे पकड़ें हिम्मत चाहिये; जैसे आप पकड़वाना चाहते थे वही कदम है, वही रास्ता है।

मैं इन शब्दों के साथ कि कोई गलती कर गया होऊँ तो माफ करना, स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह बजट की स्पीच काफी लम्बी है, अतः इस पर ही बहस होनी चाहिये। अगर एक दूसरे पर चार्जेज़ लगायेंगे तो असली चीज पर बहस हो ही नहीं सकेगी। व्यक्तिगत चार्जेज़ की बातें हैं उनको लम्बा नहीं किया जाय। आमतौर पर कहीं चर्चा आ जावे तो व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो असली काम जो बजट की बहस का हमारे सामने है वह यों ही रह जायगा। आम बजट की तारीफ या निंदा, कि क्या खामी रही, इससे सम्बन्धित बातें कहनी चाहिये।

एक सदस्य (कांग्रेस)—यह इसी तरफ लागू है या उस तरफ भी?

श्री उपाध्यक्ष—दोनों तरफ।

श्री जवानसिंह—तो क्या माननीय उपाध्यक्ष के कहने का मतलब यह लगाया जाय कि ये शब्द एक्सपंज करदिये जायगें ?

एक सदस्य (कॉंग्रेस)—यह तो समझ-समझ का फेर है।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आज बोलूँ या कल बोलूँ ? आज तो समय होने में सिर्फ ढाई मिनट रह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप आज शुरू कर दीजिये।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा के सम्मुख यह तीसरा बजट पेश हुआ। पहला बजट घाटे का बजट था। उसमें हमको कई और बातें सोचनी पड़ी थीं और जनता के अन्दर, अफसरों के अन्दर एक निराशा सी छा गई थी कि हमारी सरकार घाटे में चल रही है। पर हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी के प्रयासों से जो दूसरा बजट आया था वह बेलेन्स्ड बजट था।

एक सदस्य (विपक्ष)—XXXX

श्री खेतसिंह—यह भी बेलेन्स्ड बजट है, इसके लिये हमें खुशी होनी चाहिये। हमें जानना चाहिये कि अभी जागीरें भी खत्म नहीं हुई हैं और दूसरे भी ऐसे मद हैं जिनसे हमें आमदनी होगी, फिर भी हमारी सरकार ने जो बजट हमारे सामने पेश किया है वह संतुलित बजट पेश किया है। इन तीन वर्षों में जो तरक्की हमने की है वह किसी से छुपी नहीं है। हर दिशा में हमने तरक्की की है। जो पहले स्कूलें थीं उनसे कहीं ज्यादा स्कूलें खोली हैं, पहले जो अस्पताल थे उनसे कुछ ज्यादा अस्पताल खोले हैं। कई माइल लम्बी सड़कें तैयार हो गई हैं। यह मैं मानता हूँ और ऑपेजीशन के सदस्य भी जरूर यह जानते हैं, हृदय में विचारते होंगे कि हमारी सरकार ने हर दिशा में तरक्की की है। इसलिये महज यह कह देना कि फलाँ डिविजन में सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो बजट पेश हुआ है उसमें एक ही डिविजन को एक ही रियासत को बढ़ाया गया है, यह कहना ठीक नहीं !

इसके अलावा जब हम विधान सभा के सदस्य बनकर यहाँ आये हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना चाहिये। हमको किसी डिविजन या खास कॉंस्टिटुएन्सी के हित के लिए नहीं सोचना चाहिये। मैं खुद समझता हूँ कि कुछ समय के लिए मुझे भी अपनी कोन्सटीट्युएन्सी का मेनिया हो गया था। लेकिन तीसरा बजट सदन के समक्ष आने पर मेरी विचार-धारा में काफी परिवर्तन हो गया किन्तु मेरे ऑपोजिशन के लीडर के दिमाग में वही भावना भरी है। उन्होंने अपनी सारे स्पीच में यही बताया कि बीकानेर में सड़क नहीं बनी, पार्क नहीं बने, वहाँ कुछ नहीं बना। यह कहना उनका ठीक नहीं।

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से ये शब्द हटाये गये।

[श्री खेतसिंह]

मैं यह कहूँगा कि हर डिविजन में कुछ न कुछ काम अवश्य हुआ ही है। मैं मानता हूँ कि बीकानेर में इससे ज्यादा क्या होगा कि बीकानेर को भाखरा और नांगल योजना से सबसे ज्यादा फायदा हो चुका है। महज यह कहना कि बीकानेर में कुछ नहीं हुआ, यह उचित नहीं। कुछ और डिविजन भी ऐसे हैं जहाँ कुछ नहीं किया गया है, मगर फिर भी वे खुले दिल से यही कहते हैं कि जो कुछ राजस्थान के लिए हुआ है वह हमारे लिए हुआ है।

एक सदस्य—समय हो चुका है।

श्री खेतसिंह—मैं कल बोल लूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज का समय हो गया है अतः आज की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक १६ मार्च, १९५४ के ८-३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२-३८ बजे, दिनाँक १६ मार्च, १९५४ के ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१५ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

२. (४८/ ई एम.) श्री प्रतापसिंह एम, एल. ए. डिविज़न नम्बर ११७—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बीदासर हाई स्कूल में कक्षा ६ से कक्षा १० तक कितने हरिजनों के लड़के पढ़ते हैं ?

(ख) उनके नाम और पिताओं के नाम और उनकी जन्म-तिथियाँ क्या हैं, हाउस की टेबल पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(क) बीदासर हाई स्कूल में कक्षा ६ से १० तक केवल एक ही हरिजन छात्र पढ़ रहा है।

(ख) उसका नाम उसके पिता का नाम और उसकी जन्म तिथि का विवरण निम्न प्रकार है :

१. नाम छात्र ....तााराम रेगर

२. पिता का नाम ....श्री जोधाराम रेगर

३. जन्म तिथि १५-३-१९३४

प्रश्न

(70/R. M.) Shri Abani Kumar Mukerjee, M. L. A. Division No. 1. Will the Revenue Minister be pleased to State—(1) How much land Revenue and arrears have been collected from each division of Rajasthan during the period from 1st April, 1953 to 31st December, 1953 ? A separate statement in respect of land revenue and arrears collected from each division may be furnished.

(2) Did the falling in food prices effect the realisation of land revenue in any way ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)